रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226337
CG-DL-E-01042021-226337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

[राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश]

अधिसूचना

रोनोहिल्स, 31 मार्च, 2021

फा.सं. आर.जी.यू./प्रशा.-38/सा./10.—राजीव गांधी विश्वविद्यालय के संविधि 41 के अधीन निहित प्रावधानों में निहित शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित अध्यादेशों, जिनकी प्रतिकृति नीचे है, ये कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदन के तुरंत बाद से प्रभावी हो गए हैं।

अध्यादेश

दर्शन निष्णात् (एम.फिल) कार्यक्रम

(राजीव गाँधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006की धारा 6(ii), 31(1)(डी) 31(2) के अधीन)

प्रस्तावना : राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की *धारा 6(ii), 31(1)(डी) 31(2) के* द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से,एवं इस विषय में पहले के समस्त अध्यादेशों को निरस्त करके, एतद् द्वारा विश्वविद्यालय दर्शन निष्णात्/मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल) अध्यादेश, 2020 का निर्माण करता है।

1. **लघुशीर्षक, आवेदन एवं प्रारंभ, प्रयुक्त शब्दावलियाँ**

a. यह अध्यादेश दर्शन निष्णात्(एम.फिल.) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा। इसके अंतर्गत उल्लिखित नियम अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

b. यह अध्यादेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियों के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थान में अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देना एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम करना) विनियम, 2018; एवं उसमें संशोधन, द्वारा नियंत्रित होगा व इनका पूरक होगा।

प्रयुक्त शब्दावलियाँ

a. अकादमिक परिषद् अथवा ए.सी.का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम एवं उसके अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

b. स्नातकोत्तर अध्ययन मंडल (बोर्ड) (बी.पी.जी.एस.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अध्यादेशों एवं उनके अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

c. उम्मीदवार का अर्थ है मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.) की उपाधि हेतु आवेदक।

d. सी.ओ.ई. का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक।

e. विभागीय अनुसंधान समिति (डी.आर.सी.) का अर्थ है ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

f. कार्यकारिणी परिषद् (ई.सी.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

g. संकाय अध्ययन मंडल (बोर्ड) (एफ.बी.एस.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अध्यादेशों एवं उनके अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

h. शुल्क का अर्थ है, इस उपाधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियत एवं समय-समय पर संशोधित शुल्क।

i. अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

j. अनुसंधान मंडल (बोर्ड) (आर.बी.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

k. शोधार्थी या अध्येता का अर्थ है, ऐसे उम्मीदवार जो एम.फिल. की उपाधि के लिए पंजीकृत हों।

l. आरजीयूएमपीईटीका अर्थ है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.फिल./पी.एच.डी.में प्रवेश के लिए संचालित परीक्षा।

m. यू.जी.सी. या आयोग का अर्थ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

n. विश्वविद्यालय का अर्थ है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश।

2. **दर्शन निष्णात्/एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड:** निम्नलिखित उम्मीदवार विश्वविद्यालय में दर्शन निष्णात्/मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल) कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे :

2.1 दर्शन निष्णात् (एम.फिल.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी संबंधित/प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर अथवा वैधानिक नियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष स्वीकृत व्यवसायिक उपाधि, न्यूनतम 55 % अंक के साथ या यू.जी.सी. के 7-बिन्दु पैमाने के अनुसार बी ग्रेड (या जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का पालन होता है, बिंदु पैमाने के समकक्ष ग्रेड) या विदेश की शैक्षणिक संस्था से समतुल्य उपाधि जो मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी

द्वारा अनुमोदित हो, प्राधिकारी द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त हो, अथवा उस देश के नियमानुसार समाविष्ट अथवा स्थापित हो, मूल्यांकन हेतु उस देश की कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी, अथवा शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को प्रत्यायित या आस्वश्त की गयी संस्था से प्राप्त हो।

2.2 यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर निर्णीत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), दिव्यांग या अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि सितम्बर 19, 1991से पहले प्राप्त की हो, 55% से 50% तक 5% तक की छूट या ग्रेड के अनुसार समकक्ष छूट की अनुमति होगी। पात्रता के लिए 55% अंक (जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली है, ग्रेड प्वाईंट के समकक्ष ग्रेड) तथा 5% अंकों की छूट ऊपरलिखित श्रेणियों के लिए तब मान्य होगी जब अभ्यर्थी ने पात्रता परीक्षा बिना रियायती अंक प्रणाली के अधीन उत्तीर्ण की हो।

3. कार्यक्रम की अवधि

3.1 दर्शन निष्णात्/एम.फिल. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम के तौर पर नियमित प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि कोर्स वर्क के साथ लगातार 2 (दो) सेमेस्टर / एक वर्ष और अधिकतम लगातार 4 (चार) सेमेस्टर / दो वर्ष होगी।

3.2 महिला शोधार्थियों एवं दिव्यांग (40% से अधिक दिव्यांगता) को एम.फिल. की अधिकतम अवधि केअतिरिक्त एक वर्ष दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महिला शोधार्थी को एम.फिल./पी.एच.डी. की पूर्ण अवधि के दौरान एक बार 240 दिन तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश दिया जाएगा।

3.3 दर्शन निष्णात्/ एम.फिल. पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में महामारी, प्राकृतिक आपदा, गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती होने तथा ऐसी स्थिति में असाधारण एवं स्वीकार्य कारणों के कारण जिससे शोधार्थी का शोध कार्य प्रभावित हुआ हो, अधिकतम अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही 6 माह की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।(आर बी द्वारा अनुमन्य होने पर ही)। इस अवधि से आगे कोई भी विस्तार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

3.4 अधिकतम अवधि में छूट किसी शोधार्थी के लिए स्वीकार होगी, यदि उसे अपने लघु-शोध प्रबंध के पुनर्लेखन के लिए बाह्य परीक्षक/परीक्षकों द्वारा संस्तुति की गयी हो।

4. प्रवेश की प्रक्रिया

4.1 विश्वविद्यालय दर्शन निष्णात् (एम.फिल.) छात्रों को प्रवेश परीक्षा (आरजीयूएमपीईटी) के माध्यम से प्रवेश देगा या अन्य समरूप प्रक्रिया जो अकादमिक परिषद् द्वारा यू.जी.सी. विनियम, 2016 एवं समय-समय पर उसके संशोधन केअनुसार स्वीकृत हो।

4.2 विश्वविद्यालय के विभाग/संस्थान/केन्द्र से सम्बन्धित विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) एवं आरजीयूएमपीईटी की अधिसूचना से पूर्व छात्रों की प्रवेश संख्या के विषय मे पात्र शोध-पर्यवेक्षकों से परामर्श करके एवं इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार दिए गए विषय में विशिष्ट शोधक्षेत्र तथा शोध के लिए उपलब्ध शैक्षणिक, भौतिक सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं शोध कार्य के लिए आवश्यक अन्य जरूरतों के अनुसार ही उनके अधीन खाली पदों की संख्या का निर्णय लेगी।

4.3 विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं लिये गये निर्णय के अनुसार प्रवेश के लिए सीटों की संख्या की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर तथा कम से कम एक (01) राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक (01) स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा सूचित की जाएगी। विश्वविद्यालय वेबसाइट में विस्तृत विज्ञापन में संस्थान/विभाग/केन्द्र में उपलब्ध सीटों की संख्या तथा विषय से संबंधित शोध क्षेत्र/संस्थान (यदि कोई हो), विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का विभाजन प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश प्रक्रिया आरजीयूएमपीईटी आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र तथा उम्मीदवारों के हित के लिए अन्य समस्त प्रासंगिक जानकारी सूचित की जायेगी।

4.4 आरजीयूएमपीईटी दो चरणों वाली प्रक्रिया होगी अर्थात लिखित परीक्षा, एवं साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा। आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में 50% अनुसंधान प्रविधि तथा 50% विषय केन्द्रित, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम से होगा।

4.5 आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा का अर्हक अंक, सकल अंकों का 50% होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एन.सी.एल.)/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% से 45% तक 5% अंकों की छूट होगी।

4.6 आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा उत्तीण करने वाले अभ्यर्थियों को विषय/विषय क्षेत्र में अधिसूचित सीटों की संख्या के 3:1 में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस अध्यादेश में उल्लेखित विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की सूची, आरजीयूएमपीईटी की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं आवेदन में दर्शाए गए विषय के विशिष्ट क्षेत्र के अनुसार, यदि विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा ऐसी सीटों की संख्या सम्बन्धित विशिष्ट शोध के क्षेत्रों में विज्ञापित की गई है, निर्मित की जाएगी।

4.7 अभ्यर्थी जिन्होंने उपरोक्त अनुच्छेद-2 के अंतर्गत उल्लेखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त किया हो तथा यू.जी.सी.-नेट (जिसके अंतर्गत जे.आर.एफ.)/जे.आर.एफ. सहित यू.जी.सी. सी.एस.आई.आर. नेट (जिसके अंतर्गत जे.आर.एफ.) सहित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) उत्तीर्ण की हो उन्हें आरजीयूएमपीईटी से छूट प्राप्त होगी। सेवारत अभ्यर्थी को उनके नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा"अनापत्ति प्रमाणपत्र" के साथ एम.फिल. में चयनित होने के परिणामस्वरूप नियमित शोधार्थी के रूप में एम.फिल. कोर्स करने हेतु आवश्यक दो वर्षों की अवकाश की मंजूरी का विशेष उल्लेख आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। सेवारत अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के समय तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न करने पर इस कार्यक्रम हेतु चयन के अपने दावे को गंवा देगा।

4.8 स्ववित्तपोषित विदेशी नागरिक जो अपने देश के राजदूतावास/उच्चायुक्त अथवा विदेश में समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय मिशन द्वारा अनापत्ति के बाद प्रवेश प्राप्त किया हो, उसे आरजीयूएमपीईटी में छूट प्राप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, के संशोधित दिशा निर्देशों/सुझावों के अनुसार अनुसंधान वीज़ा प्राप्त, ऐसे विदेशी जो भारत में अनुसंधान करने के इच्छुक हैं वे विदेश में संबंधित भारतीय मिशन को भारत में शोध करने हेतु, शोध परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ एवं उन स्थानों का विस्तृत विवरण सहित जहाँ वे जायेंगे, विगत भ्रमण, क्या शोधार्थी को मान्यता प्राप्त अथवा प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिला है अथवा नहीं एवं वित्तीय संसाधनों के साक्ष्यों के साथ आवेदन करेंगे।

4.9 प्रवेश परीक्षा आरजीयूएमपीईटी में छूट की पात्रता का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपलब्ध मानदंडों तथा वर्तमान अध्यादेशों अनुसार होगा।

4.10 एक उम्मीदवार को उपरोक्त धाराओं के अनुसार आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदन पत्र में ऐसी छूट मांगी गई हो। ऐसे छूट प्राप्त अभ्यर्थी संबंधित विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए सीधे उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उनका विकल्प विषय/अनुशासन में विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान करने के अनुरूप हो जैसा कि निर्दिष्ट एवं विज्ञापित किया गया है।

4.11 अभ्यर्थी को संबंध विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा गठित मंडल (बोर्ड) विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) के सामने अपने शोध क्षेत्र/रुचि की प्रस्तुति साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के रूप में करनी होगी।

4.12 साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार किया जायेगा कि क्या

(i) उम्मीदवार प्रस्तावित अनुसंधान के लिए क्षमता रखता है;

(ii) अनुसंधान कार्य विश्वविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकता है;

(iii) अनुसंधान का प्रस्तावित क्षेत्र नए/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान कर सकता है।

4.13 उम्मीदवारों का चयन वरीयता के क्रम में किया जाएगा। आरजीयूएमपीईटी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में 70% भारांक आरजीयूएमपीईटीपरीक्षा को तथा 30% भारांक उम्मीदवार के साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा को आधार मानकर मेरिट सूची बनाई जाएगी जबकि आरजीयूएमपीईटी परीक्षा में छूट प्राप्त छात्रों को केवल साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में रखा जाएगा।

4.14 विभाग/संस्थान/केंद्र में उपलब्ध एम.फिल. पाठ्यक्रम की सीटों का 40% आरजीयूएमपीईटी परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एवं60% छूट प्राप्त उम्मीदवारों के लिए होगा। यद्यपि, सीटें अंतर-परिवर्तनीय होगी। यदि दोनों ही श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ऐसी स्थिति में छूट प्राप्त उम्मीदवार यदि चाहे तो अलग से आवेदन करके आरजीयूएमपीईटी परीक्षा में उपस्थित हो सकता है बशर्ते उसको दोनो श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा एवं ऐसी स्थिति मे उसका परिणाम अलग-अलग श्रेणी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में रखा जाएगा।

4.15 इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार होगा। यदि अनुसूचित जाति (एस.सी.)/ अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)/ओ.बी.सी.(नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी के लिए आवंटित सीटें खाली रह जाती हैं, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय उस विशेष श्रेणी के लिए एक विशेष प्रवेश अभियान शुरू करेगा, जो सामान्य श्रेणी के प्रवेश बंद होने की तारीख से एक महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। खंड 4.5 के अधीन उल्लेखित पात्रता शर्तों के साथ उपयुक्त प्रणाली अपनाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि इन श्रेणियों के अधीन अधिकांश सीटें भर जाय।

4.16 पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से उम्मीदवार को एक पंजीकृत एम.फिल. शोधार्थी माना जाएगा एवं शैक्षिक शाखा द्वारा एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। भविष्य में होने वाले सम्प्रेषण/पत्राचार एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तावेजों में पंजीकरण संख्या का उल्लेख होगा।

4.17 शैक्षिक शाखा समस्त पंजीकृत एम.फिल. शोधार्थियों को वार्षिक आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट परउनके नाम, अनुसंधान विषय का उल्लेख, पर्यवेक्षक का नाम, नामांकन की तारीख एवं पंजीकरण संख्या की सूची बनाए रखेगी।

5. अनुसंधान पर्यवेक्षक का आवंटन

5.1 शोध-निर्देशक को नियुक्त करने के लिए विभाग/केंद्र/संस्थान अत्यंत सावधानी बरतेंगे जो उनकी विशेषज्ञता एवं अनुसंधान ज्ञानक्षेत्र की रुचि के आधार पर होगा।

5.2 मूल्यांकनपरख पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशनों के साथ विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित आचार्य एवं विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित सह/सहायक आचार्य को एक पी.एच.डी.डिग्री एवं मूल्यांकन परक पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने पर निर्देशक/ सह निर्देशक के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। यद्यपि, सहायक प्राध्यापक को अनुसंधान निर्देशक/सह निर्देशक की पात्रता के लिए अपना परिवीक्षा काल पूर्ण करना होगा। बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई मूल्यांकन परक पत्रिकाओंकी संख्या कम है या नहीं हैं, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् किसी व्यक्ति को लिखित कारणों के साथ निर्देशक/सह निर्देशक बनने के लिए उपर्युक्त नियमों में छूट प्रदान कर सकती है।

5.3 विश्वविद्यालय के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही निर्देशक/सह निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे। बाहरी शोध-निर्देशक को अनुमति नहीं दी जाएगी। विषयों के संदर्भ में जो अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति के हैं, जहां संबंधित विभाग/संस्थान/केंद्र को लगता है कि विभाग/संस्थान/केंद्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए इस तरह के डी.आर.सी.एवंएफ.बी.एस. से उचित अनुमोदन के साथ आर.ए.सी. की सिफारिश पर नियमों तथा शर्तों को निर्दिष्ट करके एवं विभाग/संस्थान/केंद्र/संकाय की सहमति से अन्य संकाय/विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा पूरक विश्वविद्यालय या बाहर के संस्थानों से एक सह निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है।

5.4 एक चयनित एम.फिल. शोधार्थी के लिए अनुसंधान निर्देशक के आवंटन का निर्णय संबंधित डी.आर.सी. द्वारा शोधार्थियों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। यह निर्णय शोधार्थी की रुचि के विषय एवं अनुसंधान

पर्यवेक्षक की उस क्षेत्र में विशिष्टता जो साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय शोधार्थी ने जाहिर की हो, के आधार पर लिया जाएगा।

5.5 एक शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक यदि एक आचार्य है ऐसी स्थिति में वह तीन से अधिक एम.फिल. शोधार्थियों का मार्गदर्शन नहीं करेगा। एक सह आचार्य के रूप में अनुसंधान पर्यवेक्षक अधिकतम दो एम.फिल. शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगा। अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में एक सहायक आचार्य अधिकतम एक एम.फिल. शोधार्थी का मार्गदर्शन करेगा।

5.6 सह-निर्देशक के संदर्भ में, समस्त शोध स्कॉलर की गणना निर्देशक एवं सह निर्देशक दोनों के कोटा के तौर पर की जायेगी। एम.फिल. के लिए पंजीकृत जब तक वे शोध जमा नहीं करते तब तक उन्हें कोटा के अधीन गिना जाएगा।

5.7 विवाह या अन्य कारणों के कारण महिला एम.फिल. शोधार्थी के स्थानान्तरण पर शोध आंकडे उस विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किये जायेंगे जहां शोधार्थी जाना चाहता है। बशर्ते इस अधिनियम की समस्त शर्तों का शोधार्थी पूर्णता से पालन करता है तथा शोध कार्य किसी प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है जो किसी वित्तीय लाभ से जुड़ा है। शोधार्थी पहले से किए गए कार्य का पूर्ण लाभ पूर्व निर्देशक एवं विश्वविद्यालय को भी देगा।

6. कोर्स वर्क (क्रेडिट अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, न्यूनतम मानक आदि)

6.1 एम.फिल. के लिए निर्धारित क्रेडिटों में से कोर्स वर्क न्यूनतम 8 क्रेडिट एवं अधिकतम 16 क्रेडिट का होगा।

6.2 एम.फिल. के लिए कोर्स वर्क को पूर्वाकांक्षित माना जाएगा। विभाग/संस्थान/केन्द्र शोध विधि में निहित क्षेत्र जैसे मात्रात्मक विधि, गणक का प्रयोग, प्रकाशित शोध की समीक्षा, संबंध क्षेत्र में प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य इत्यादि के लिए न्यूनतम 4 क्रेडिट निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त अनुसंधान एवं प्रकाशन मूल्यों पर 2 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम होगा (यू.जी.सी. के निर्देशानुसार क्रमांक अ.शा.सं.एफ.1.1/2018 (जर्नल/केयर) दिनांक दिसम्बर, 2019)। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के होंगे जो छात्र को एम.फिल. उपाधि के लिए निर्मित करेंगे।

6.3 एम.फिल. के लिए कोर्स वर्कसंबंधित बी.पी.जी.एस.द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एम.फिल. के लिए निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम विभाग/संस्थान/केंद्र एवं एफ.बी.एस. तथा एसी द्वारा अनुमोदित होंगे। एम.फिल. कोर्स वर्क के लिए निर्धारित समस्त विषयों, क्रेडिट घंटे, अनुदेशनात्मक जरूरत तथा विषय वस्तु, अनुदेशनात्मक एवं मूल्यांकन विधि के अनुरुप होंगे। पाठ्यक्रम कार्य क्रेडिट घंटे के अनुरूप होगा जो संबंधित विभागीय मंडल (बोर्ड) ऑफ स्टडीज (डीबीएस) आवश्यकतानुसार एवं जब आवश्यक हो, तब पाठ्यक्रम की सामग्री को संशोधित/अपग्रेड करेगा जो एफ.बी.एस. व अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदन पर अगले शैक्षणिक सत्र से ही लागू होंगे।

6.4 विभाग जहाँ एम.फिल. शोधार्थी अपना अनुसंधान करेगा, वह आर.ए.सी. की सिफारिश पर निमनोक्त खंड 8.1 के अनुसार एवंडी.आर.सी. द्वारा अनुमोदित होने पर विषयों का निर्धारण करेगा।

6.5 कोर्स वर्क का मूल्यांकन विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा आयोजित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षा में किये गये प्रदर्शन के आधार पर होगा। आन्तरिक मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षा के भारांक में अनुपात 25:75 होगा। शोधार्थी यदि आन्तरिक मूल्यांकन में 55% अंक प्राप्त नहीं करता है ऐसी स्थिति मेंवह कार्यक्रम जारी नहीं रख पायेगा।

6.6 एक एम.फिल. शोधार्थी को अपने शोध को जारी रखने के लिए तथा लघु-शोध प्रबंध जमा कराने के लिए न्यूनतम 55% अंक या यू.जी.सी. के 7-बिन्दु पैमाने में समकक्ष ग्रेड से कोर्स वर्क में उत्तीर्ण होना होगा (या समकक्ष ग्रेड जहाँ सी.जी.पी.ए. प्रणाली लागू हो)। यदि छात्र कोर्स वर्क सम-सत्र परीक्षा मे उत्तीर्ण नहीं कर पाता है ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय परिणाम घोषित होने के दो महीने के अंदर पूरक परीक्षा संचालित करेगा। यदि शोधार्थी पूरक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है ऐसी स्थिति मेंइस स्थिति में वह कार्यक्रम जारी नहीं रख पायेगा।

7. अनुसंधान सलाहकार समिति एवं इसके कार्य

7.1 डी.आर.सी. प्रत्येक एम.फिल. शोधार्थी के लिए एक चार सदस्यीय आर.ए.सी. का गठन करेगी जिसमें पर्यवेक्षक की सलाह पर तीन सदस्य विभाग/संस्थान/केन्द्र से तथा एक सदस्य सजातीय/संबंधित विभाग से होगा। सह-पर्यवेक्षक, यदि कोई है, ऐसी स्थिति में वह अतिरिक्त सदस्य होगा। ऐसी स्थिति में जिसमें आर.ए.सी. विश्वविद्यालय के बाहर से बाह्य-सदस्य जो प्रासंगिक विशेषज्ञता रखता हो उसको सम्मिलित करना चाहती है ऐसी स्थिति में उचित तर्क के साथ सम्मलित किया जा सकता है। शोधार्थी का पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा। यदि विभाग/संस्थान/केन्द्र में प्राध्यापकों की संख्या आर.ए.सी. के गठन के लिए पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में सजातीय/सम्बन्धित विभाग या अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से सदस्य लिये जायेंगे।

शोध अकादमिक परिषद् (आर.ए.सी.) के निम्नलिखित दायित्व होंगे:

(i) अनुसंधान प्रस्ताव की समीक्षा करनाएवं अनुसंधान के विषय को अंतिम रूप देना;

(ii) शोध विधि एवं अध्ययन की रचना तथा उन विषयों की पहचान जिनमें कार्य करना है, करने में शोधार्थी का मार्गदर्शन करना।

(iii) आवधिक रूप से शोध कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें सहायता करना।

7.2 एम.फिल. शोधार्थी प्रत्येक सत्रांत में आर.ए.सी. के समक्ष अपने कार्य की प्रगति के मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुति देगा। शोधार्थी के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन आर.ए.सी. के द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय को जमा की जाएगी।

7.3 यदि दर्शन निष्णात् (एम.फिल.) शोधार्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं है ऐसी स्थिति में आर.ए.सी. इसके कारणों को जानकर ठीक करने के सुझाव संबंधित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुमति पर देगी। यदि एम.फिल. शोधार्थी ये सुधारात्मक सुझाव लागू नहीं कर पाता ऐसी स्थिति में आर.ए.सी. विशिष्ट कारणों के साथ डी. आर. सी. एवं संकायाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय को एम.फिल. शोधार्थी का पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति करेगी।

7.4 छमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर जमा करना प्रत्येक एम.फिल. शोधार्थी के लिए अनिवार्य होगा एवं यह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नॉन-नेट छात्रवृत्ति तथा जे.आर.एफ. छात्रवृति को जारी करने के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में होगी।

8. डिग्री के लिए न्यूनतम मानक / क्रेडिट मूल्यांकन एवं आकलन की विधियां,

8.1 एम.फिल. की उपाधि के लिए समग्र न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता, जिसमें पाठ्यक्रम के काम के लिए क्रेडिट भी सम्मिलित हैं यह न्यूनतम 4 प्रश्न पत्र तथा समग्र डिग्री में 24 क्रेडिट से कम नहीं होगी। लघु-शोध प्रबंध के लिए 12 क्रेडिट निर्धारित होंगे (शोध-प्रबंध के लिए 8 एवं मौखिक परीक्षा के लिए 4)

8.2 कोर्स वर्क को संतोषजनक पूर्ण करने एवं उपखंड 5.5 के अनुसार अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, ऐसी स्थिति में एम.फिल. शोधार्थी अपना शोध कार्य कर सकेगा। वह आर.ए.सी. की सिफारिश पर अपना प्रस्तावित शोध उप-विषय डी.आर.सी. को जमा कराएगा।

8.3 एम.फिल. शोधार्थी, एम.फिल. कार्यक्रम के अन्तिम सत्र के समाप्त होने से एक महीने पहले अपने लघु-शोध प्रबंध का प्रारूप बनाएगा एवं विभाग में आर.ए.सी. जो समस्त प्राध्यापकों एवं शोधार्थी के लिए खुला होगा, के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि एवं टिप्पणी अपने शोधकार्य में आर.ए.सी. के साथ परामर्श करके सम्मिलित करेगा।

8.4 एम.फिल. शोधार्थी न्यूनतम एक (01) शोधपत्र को किसी संगोष्ठी/सेमिनार में प्रस्तुत करेगा एवं उसके प्रस्तुतीकरण का प्रमाण लघु-शोध प्रबंध को निर्णय के लिए जमा करवाने से पहले, साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगा।

8.5 शोधप्रबंध साहित्य चोरी या अन्य शैक्षिक अनाचार की समीक्षा के अधीन होगा। शोध पर्यवेक्षक उरकुंडया अन्य सॉफ्टवेयर जो अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया हो, उसका प्रयोग करके, एक प्रमाण पत्र उत्पन्न

करके लघु-शोध प्रबंध के साथ संलग्न करके जमा करेगा। मूल्यांकन के लिए जमा करते वक्त, लघु-शोध प्रबंध के साथ शोधार्थी एक शपथ पत्र देगा एवं शोध पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र देगा जिसमें यह सत्यापित हो कि किया गया कार्य मौलिक है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं की गई हैएवं यह कार्य किसी उपाधि/डिप्लोमा के लिए किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्व में जमा नहीं किया गया है तथा यह विश्वविद्यालय के एम.फिल. उपाधि प्रदान करने के अध्यादेश के अनुकूल है। विभागाध्यक्ष लघु-शोध प्रबंध को परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेगा। शोधार्थी विभागाध्यक्ष/केन्द्र/संस्थान के अध्यक्ष के माध्यम से लघु-शोध प्रबंध की हार्ड एवं इलेक्टॉनिक प्रति परीक्षा नियंत्रक को जमा करायेगा।

8.6 एम.फिल. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत लघु-शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके पर्यवेक्षक, सजातीय विभाग से एक प्राध्यापक जो सहआचार्य से कम के स्तर के न हो एवं एक बाह्य परीक्षक जो विश्वविद्यालय से न हो, द्वारा किया जाएगा। आर.ए.सी. विभागाध्यक्ष के माध्यम से पाँच बाह्य परीक्षक एवं 2 आन्तरिक परीक्षकों के नाम (सजातीय विभाग से) एवं दो बाह्य परीक्षको के नाम क्रमानुसार चयनित कर, जो कि सह आचार्य या उसके समतुल्य से कम के स्तर के न हों परीक्षा नियंत्रक को कुलपति के अनुमोदन के लिए भेजेगी, जो कि सजातीय विभाग से एक आंतरिक परीक्षक एवं वरीयता के क्रम में दो बाह्य परीक्षकों के नाम तय करेंगे तथा लघु-शोध प्रबंध को प्रथम बाह्य एवं प्रथम आन्तरिक परीक्षक को प्रेषित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेगी।

8.7 विश्वविद्यालयएम.फिल. लघु शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए उचित एवं प्रभावी प्रक्रिया अपनाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया लघु-शोध प्रबंध जमा कराने की तिथि से, तीन महीने के अंदर पूर्ण हो जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए परीक्षा नियंत्रक दोनों बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों को मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रारूप के साथ सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रति मेल से भेजेगा। परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय बाह्य परीक्षक को 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर अनुस्मारक पत्र भेजेगा, तत्पश्चात प्रत्येक सप्ताह अनुस्मारक पत्र भेजेगा। यदि बाह्य परीक्षक प्रथम स्मरण पत्र के 15 दिन के अन्दर मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भेजता है ऐसी स्थिति में लघु-शोध प्रबंध दूसरे परीक्षक को भेजा जाएगा। परीक्षक दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल्यांकन प्रतिवेदन की हस्ताक्षरित प्रति भेजेगा एवंप्रतिवेदन ईमेलके माध्यम से भी भेजेगा।

8.8 शोधार्थी को सार्वजनिक मौखिक परीक्षा अपने शोध के बचाव में केवल तब देनी होगी यदि परीक्षक द्वारा प्रेषित की गई मूल्यांकन प्रतिवेदन सन्तोषजनक है। यदि परीक्षक सुधार की सिफारिश करता है ऐसी स्थिति में यह शोधार्थी एवं पर्यवेक्षक को सूचित किया जाएगा। संशोधित लघु-शोध प्रबंध बाह्य परीक्षक को 15 दिन के अन्दर प्रतिवेदन भेजने के आग्रह के साथ प्रेषित किया जाएगा। यदि दूसरी प्रतिवेदन भी असंतोषजनक आती है ऐसी स्थिति में शोधप्रबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।

8.9 यदि बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन प्रतिवेदन लघु-शोध प्रबंध को निरस्त करने की सिफारिश करती है तब विश्वविद्यालय लघु-शोध प्रबंध को क्रमानुसार दूसरे क्रम के बाह्य परीक्षक को भेजेगा तथा मौखिक परीक्षा तभी होगी जब दूसरे बाह्य परीक्षक की प्रतिवेदन सन्तोषजनक आयेगी। यदि दूसरे परीक्षक की प्रतिवेदन भी असन्तोषजनक आती है ऐसी स्थिति में लघु शोध प्रबंध रद्द कर दिया जाएगा एवं शोधार्थी उपाधि प्राप्ति करने का पात्र नहीं होगा।

8.10 शोधार्थी की मौखिक परीक्षा, दोनों परीक्षकों (आन्तरिक एवं बाह्य) द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणी एवं अन्य के आधार पर डी.आर.सी.द्वारा ली जाएगी, जो आर.ए.सी.के सदस्यों, विभाग के प्राध्यापकों, दूसरे शोधार्थियों एवं अन्य इच्छुक विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों के लिए खुली होगी।

9. उपाधि प्रदान करना एवंआईएनएफएलआईबीएनईटी (इनफ्लिबनेट)के साथ निक्षेपण (डिपॉजिटरी):

मौखिक परीक्षा के बाद शोधार्थी लघु-शोध प्रबंध की संशोधित प्रति, यदि परीक्षक ने ऐसा कहा है ऐसी स्थिति में, इलैक्ट्रानिक प्रति के साथ आर.ए.सी.के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को जमा कराएगा। इसके प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय पुस्तकालय को आईएनएफएलआईबीएनईटी (इनफ्लिबनेट) पर अपलोड करने के लिए भेजेगा। परीक्षा नियंत्रक कुलपति/सक्षम अधिकारी की सहमति से विश्वविद्यालय की आर.बी.की मीटिंग आयोजित करेगा (सामान्यतः जो प्रति माह होगी) जिसमें समस्त सार्थक दस्तावेज जो शोधार्थी केएम.फिल. उपाधि के लिए आवश्यक है रखेगा एवं अनुमोदन प्राप्त करेगा। परीक्षा का वर्ष उपाधि प्रदान करने वाला वर्ष गिना जाएगा। तत्पश्चात अनुमति मिलने पर परीक्षा नियंत्रक एक अस्थाई प्रमाण पत्र जारी करेगा कि एम. फिल. की उपाधि यू.जी.सी.

विनियम, 2016 के अनुसार प्रदान की गई है। एम.फिल. उपाधि शोधार्थी को अगले दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी। परीक्षकों की लघु शोध प्रबंध के मूल्यांकन की प्रतिवेदन की प्रति एम.फिल. शोधार्थी को एम.फिल. उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना के छः माह बाद प्रदान की जाएगी।

10. शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं आधारिक संरचना जरूरत, एम. फिल, पी.एच.डी. कार्यक्रम संचालन की मान्यता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय के स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले विभाग एवं भारत सरकार की शोध प्रयोगशाला / राज्य सरकार एम.फिल. कार्यक्रम शुरू कर सकती है यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया एम. फिल/पी.एच.डी. उपाधि नियामक 2016) एवं विश्वविद्यालय के एम.फिल. अध्यादेश के नियम तथा शर्तों को पूर्ण करते हैं।

11. **समस्याओं का निराकरण:** इस अध्यादेश में उल्लेखित किसी अनुच्छेद की व्याख्या के बारे में कोई संदेह या विवाद होने पर संबंधित द्वारा उसे कुलपति को प्रेषित किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी का इस पर निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस अध्यादेश के प्रावधानों में निहित न होने के बावजूद भी, कुलपति कार्यकारिणी परिषद् की तदनंतर स्वीकृति की शर्त पर समस्याओं के निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

12. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य संबंधित सांविधिक नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधनों को स्वतः संज्ञान से स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू करेगा। ऐसे परिवर्तन/संशोधनों की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तदनंतर पुष्टि की जायेगी।

****

अध्यादेश

विद्यावाचस्पति उपाधि (पी.एच.डी) अध्यादेश, 2020

प्रस्तावना

राजीव गाँधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 31(2) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग से तथा इस विषय में पहले के समस्त अध्यादेशों के अधिक्रमण में, विश्वविद्यालय एतद् द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश निर्मित करता है यथा विद्यावाचस्पति (पी.एच.डी) उपाधि अध्यादेश,2020।

1. लघुशीर्षक, प्रयोग एवं प्रारंभ, प्रयुक्त शब्दावलियाँ

a. यह अध्यादेश विद्यावाचस्पति (पी.एच.डी) उपाधि अध्यादेश,2020कहा जाएगा। इसके अंतर्गत उल्लेखित विनियम अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू होंगे।

b. यह अध्यादेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियों के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थान में अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देना एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए) विनियम, 2018; एवं उसमें संशोधन, द्वारा नियंत्रित होगा व इनका पूरक होगा।।

प्रयुक्त शब्दावलियाँ

a. अकादमिक परिषद् अथवा ए.सी. का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम एवं उसके अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

b. स्नातकोत्तर अध्ययन मंडल (बोर्ड) (बी.पी.जी.एस.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अध्यादेशों एवं उनके अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

c. उम्मीदवार का अर्थ है विद्यावाचस्पति (पी.एच.डी.) की उपाधि हेतु आवेदक।

d. सी.ओ.ई. का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक।

e. विभागीय अनुसंधान समिति (डी.आर.सी.) का अर्थ है ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

f. कार्यकारिणी परिषद् (ई.सी.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

g. संकाय अध्ययन मंडल (बोर्ड) (एफ.बी.एस.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय अध्यादेशों एवं उनके अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

h. शुल्क का अर्थ है, इस उपाधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पर नियत एवं समय-समय पर संशोधित शुल्क।

i. अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

j. अनुसंधान मंडल (बोर्ड) (आर.बी.) का अर्थ ऐसी समिति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निहित शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया हो।

k. शोधार्थी या अध्येता का अर्थ है, ऐसे उम्मीदवार जो पी.एच.डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत हों।

l. आरजीयूएमपीईटीका अर्थ है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.फिल./पी.एच.डी. की प्रवेश परीक्षा।

m. यू.जी.सी. या आयोग का अर्थ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

n. विश्वविद्यालय का अर्थ है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश।

2. **पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड:** विश्वविद्यालय में विद्यावाचस्पति/पी.एच.डी.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगेः-

2.1 पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी संबंधित/प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर अथवा वैधानिक नियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष स्वीकृत व्यवसायिक उपाधि, न्यूनतम 55% अंकों के साथ या यू.जी.सी. के 7-बिन्दु पैमाने के अनुसार बी ग्रेड (या जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का पालन होता है, बिंदु पैमाने के समकक्ष ग्रेड) या विदेश की शैक्षणिक संस्था से समतुल्य उपाधि जो मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा अनुमोदित हो, प्राधिकारी द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त हो, अथवा उस देश के नियमानुसार समाविष्ट अथवा स्थापित हो, मूल्यांकन हेतु उस देश की कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी, अथवा शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को प्रत्यायित या आस्वश्त की गयी संस्था से प्राप्त हो।

2.2 यू.जी.सी.द्वारा समय-समय पर निर्णीत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), दिव्यांग या अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि सितम्बर 19, 1991से पहले प्राप्त की हो, 55% से 50% तक 5% तक की छूट या ग्रेड के अनुसार समकक्ष छूट की अनुमति होगी। पात्रता के लिए 55% अंक (जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली है, ग्रेड प्वाईंट के समकक्ष ग्रेड) एवं 5% अंकों की छूट ऊपरलिखित श्रेणियों के लिए तब मान्य होगी जब अभ्यर्थी ने पात्रता परीक्षा बिना रियायती अंक प्रणाली के अधीन उत्तीर्ण की हो।

2.3 यू.जी.सी. विनियम 2009 अथवा 2016 के आधार पर, जैसा मामला हो, जिन अभ्यर्थियों को एम.फिल. उपाधि प्राप्त है तथा एम.फिल.पाठ्यक्रम का कोर्स वर्क कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7-बिन्दु पैमाने पर 'बी' ग्रेड (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहाँ बिन्दु पैमाने पर समतुल्य ग्रेड) के साथ एम.फिल. उत्तीर्ण हो, वे लिखित परीक्षा से छूट के पात्र होंगे। यद्यपि,एम.फिल.उपाधि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण माध्यम से प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।

2.4 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल.उपाधि के समकक्ष, किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान से ऐसी उपाधि है जो कि अपने देश के किसी कानून के अधीन निगमित स्थापित अथवा शैक्षणिक संस्थानों का मानक तथा प्रत्यायन प्राधिकरण, निर्धारण अथवा गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य हेतु उस देश का कोई भी सांविधि प्राधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत, मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित हो ऐसी स्थिति में वे पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

2.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी)/दिव्यांगजन तथा अन्य श्रेणियों के एम.फिल.उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी।

2.6 इस विश्वविद्यालय के सदाशयी छात्र जिनका एम.फिल. से लघु-शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है, उसे विश्वविद्यालय में पी.एच.डी.पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते की वह खंड 2.3 एवं 2.5 में उल्लेखित अन्य समस्त पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

3.1 पी.एच.डी. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा एक पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम के तौर पर नियमित प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाएगा एवं इस अध्यादेश की शर्तों के अधीन होगा। पी.एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कोर्स वर्क सहित न्यूनतम तीन वर्ष एवं अधिकतम छह वर्ष की होगी।

3.2 महिला शोधार्थियों एवं दिव्यांगजनों (40% से अधिक दिव्यांगता) को पी.एच.डी. की अधिकतम अवधि के अतिरिक्त दो वर्ष दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, महिला शोधार्थी को पी.एच.डी. की पूर्ण अवधि के दौरान एक बार 240 दिन तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश दिया जाएगा।

3.3 पी.एच.डी.पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में छह माह की अतिरिक्त छूट महामारी, प्राकृतिक आपदा, गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती तथा ऐसी स्थिति में मान्य कारणों एवं असाधारण स्थिति में अनुसंधान मंडल (बोर्ड) के पूर्व अनुमोदन पर शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पूर्व दी जा सकती है। इस अवधि से आगे कोई भी विस्तार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

3.4 उपरोक्त उल्लेखित अधिकतम अवधि में छूट एक शोधार्थी के लिए स्वीकार होगा यदि उसे बाहरी परीक्षक/परीक्षकों की सिफ़ारिश पर शोध को फिर से जमा करने की अनुमति दी गई हो।

4. प्रवेश हेतु प्रक्रिया

4.1 विश्वविद्यालय पी.एच.डी.पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश परीक्षा (आरजीयूएमपीईटी) के माध्यम से प्रवेश देगा या अन्य समरूप प्रक्रिया जो अकादमिक परिषद् द्वारा यू.जी.सी. विनियम, 2016 एवं समय-समय पर उसके संशोधन केअनुसार स्वीकृत हो।

4.2 विश्वविद्यालय विभाग/संस्था/केन्द्र से सम्बन्धित विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) एवं आरजीयूएमपीईटी की अधिसूचना से पूर्व छात्रों की प्रवेश संख्या के विषय मे पात्र शोध-पर्यवेक्षकों से परामर्श करके एवं इस अध्यादेश के प्रावधानों खंड-5 के अनुसार दिए गए विषय में विशिष्ट शोधक्षेत्र एवं शोध के लिए अवस्थित शैक्षणिक, भौतिक सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं शोध कार्य के लिए आवश्यक अन्य जरूरतों के अनुसार, उनके अधीन खाली पदों की संख्या जानकर निर्णय लेगी।

4.3 विश्वविद्यालय प्राधिकरी द्वारा अनुमोदित एवं लिये गये निर्णय के अनुसार प्रवेश के लिए सीटों की संख्या की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर तथा कम से कम एक (1) राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक (1) स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा सूचित की जाएगी। विश्वविद्यालय वेबसाइट में विस्तृत विज्ञापन में संस्था/विभाग/केन्द्र में उपलब्ध सीटों की संख्या तथा विषय से संबंधित शोध क्षेत्र/संस्थान (यदि कोई हो), विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का विभाजन प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश प्रक्रिया आरजीयूएमपीईटी आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र तथा उम्मीदवारों के हित के लिए अन्य समस्त प्रासंगिक जानकारी सूचित की जाएंगी।

4.4 आरजीयूएमपीईटी दो चरणों वाली प्रक्रिया होगी अर्थात लिखित परीक्षा, एवं साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा। आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में 50% अनुसंधान प्रविधि तथा 50% विषय केन्द्रित, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम से होगा।

4.5 आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा सकल अंकों के 50% के साथ अर्हक होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एन.सी.एल.)/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% से 45% तक 5% अंकों की छूट होगी।

4.6 आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु संबंधित विषय में प्रवेश हेतु अधिसूचित सीटों की संख्या के विरूद्ध 3:1 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। विभिन्न आरक्षण श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के नामों के सूची खंड 4.11 में उल्लेखित अनुसार आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा

संबंधित विभाग/संस्थान/ केन्द्र में शोध की विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध सीटों की संख्या एवं आवेदन में उनके द्वारा विषय हेतु चयनित विशिष्ट शोध क्षेत्र के आधार पर होगा। सूची विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को ई-मेल एवं/या संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

4.7 अभ्यर्थी जिन्होंने उपरोक्त खंड–2 के अंतर्गत उल्लेखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त की हो तथा यू.जी.सी/जी.ए.टी.ई. (केवल अभियांत्रिकी एवं तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु) प्रत्यायित यू.जी.सी.-नेट (जेआरएफ सहित)/ यू.जी.सी-सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण किया हो अथवा उपरोक्त खंड 2.3 एवं 2.4 में उल्लेखित मानदंडों पर एम.फिल. उपाधि प्राप्त की हो अथवा उपरोक्त खंड 2.6 में उल्लेखित अनुसार इस विश्वविद्यालय में एम.फिल. शोध पत्र जमा एवं जिसका मूल्यांकन हो गया हो परन्तु साक्षात्कार लंबित हो अथवा शिक्षक अध्येतावृत्ति उपाधि प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में उसे लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। विश्वविद्यालय के अथवा अरुणाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के नियमित संकाय सदस्यों को आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा में छूट दी जाएगी बशर्ते खंड-2.0 अंतर्गत उल्लेखित न्यूनतम योग्यता की शर्ते वे पूरी करते हों तथा उनके नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा "*अनापत्ति प्रमाणपत्र*"के साथ पी.एच.डी.में चयनित परिणामी नियमित शोधार्थी के रूप में पी.एच.डी. कोर्स वर्क करने हेतु आवश्यक छह माह के अध्ययन अवकाश की मंजूरी का विशेष उल्लेख आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया हो। सेवारत अभ्यर्थी द्वारा मौखिक साक्षात्कार के समय तक *अनापत्ति – प्रमाण पत्र* जमा न किए जाने पर वह इस कार्यक्रम हेतु चयन के अवसर को गवां देगा।

4.7.1 स्ववित्तपोषित विदेशी नागरिक जो अपने देश के राजदूतावास/उच्चायुक्त अथवा विदेश में समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय मिशन द्वारा अनापत्ति के बाद प्रवेश प्राप्त हो, उसे आरजीयूएमपीईटी में छूट प्राप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, के संशोधित दिशा निर्देशों/सुझावों के अनुसार अनुसंधान वीज़ा प्राप्त, ऐसे विदेशी जो भारत में अनुसंधान करने के इच्छुक हैं वे विदेश में संबंधित भारतीय मिशन को भारत में शोध हेतु, शोध परियोजना की विस्तृत रूपरेखा के साथ एवं उन स्थानों का विस्तृत विवरण सहित जहाँ वे जायेंगे, विगत भ्रमण, क्या शोधार्थी को मान्यता प्राप्त अथवा प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिला है एवं वित्तीय संसाधनों के साक्ष्यों के साथ आवेदन करेंगे।

4.7.2 प्रवेश परीक्षा आरजीयूएमपीईटी में छूट की पात्रता का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपलब्ध मानदंडों तथा वर्तमान अध्यादेशों के अनुसार होगा।

4.8 अभ्यर्थी को उपरोक्त धाराओं के अनुसार आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदन पत्र में ऐसी छूट मांगी गई हो। ऐसे छूट प्राप्त अभ्यर्थी संबंधित विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए सीधे उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उनका विकल्प विषय/अनुशासन में विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान करने के अनुरूप हो जैसा कि निर्दिष्ट एवं विज्ञापित किया गया है।

4.9 अभ्यर्थी को संबंध विभाग/संस्थान/केंद्र द्वारा गठित मंडल (बोर्ड) विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) के सामने अपने शोध क्षेत्र/रुचि की प्रस्तुति साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के रूप में करनी होगी।

4.10 साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा परीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार किया जायेगा कि क्या

(i) उम्मीदवार प्रस्तावित अनुसंधान के लिए क्षमता रखता है;

(ii) अनुसंधान कार्य विश्वविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकता है;

(iii) अनुसंधान का प्रस्तावित क्षेत्र नए/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान कर सकता है।

4.11 अभ्यर्थी का चयन वरीयता क्रम में किया जाएगा। आरजीयूएमपीईटी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में 70% भारांक आरजीयूएमपीईटीपरीक्षा को तथा 30% भारांक उम्मीदवार के साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा को आधार मानकर मेरिट सूची बनाई जाएगी जबकि आरजीयूएमपीईटी परीक्षा खंड 4.7 में छूट प्राप्त छात्रों को केवल साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में रखा जाएगा।

4.12विभाग/संस्थान/केन्द्र में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम की कुल सीटों का 40% आरजीयूएमपीईटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए होगा तथा 60% आरजीयूएमपीईटी से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए होगा। जबकि इन दोनों वर्गों में योग्य एवं/अथवा उपयुक्त अभ्यर्थी के न होने की स्थिति में सीटे अंतर-परिवर्तनीय होंगी। छूट प्राप्त अभ्यर्थी भी आरजीयूएमपीईटी लिखित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसने पृथक रूप से दोनों वर्गों के लिए आवेदन

किया हो तथा ऐसी स्थिति में उसका परिणाम पृथक रूप से दोनों वर्गों के लिए मेरिट के आधार पर खंड – 4.11 में उल्लेखित बिंदु के अनुसार निर्मित किया जाएगा।

4.13इसके, विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार की नवीनतम राष्ट्रीय आरक्षण नीति के अनुसार होगा। यदि एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी.(नॉन-क्रीमीलेयर)/ई.डब्लू.एस./दिव्यांग श्रेणी के लिए आवंटित सीटें रिक्त रह जाती हैं, ऐसी स्थिति में सामान्य वर्गों के प्रवेश की अंतिम तिथि से एक माह के अंदर खंड 4.5 के अधीन उल्लेखित पात्रता शर्तों के साथ उपयुक्त प्रणाली अपनाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि इन श्रेणियों के अधीन अधिकांश सीटें भर जाय।

4.14अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से ही पी.एच.डी. पंजीकृत शोधार्थी माना जाएगा तथा विश्वविद्यालय की शैक्षिक शाखा द्वारा उसे पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। शैक्षिक शाखा द्वारा समस्त प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को पृथक पंजीकरण संख्या दी जाएगी, जिसका उल्लेख समस्त दस्तावेजों तथा भविष्य में पत्राचार एवं प्रमाणपत्र में किया जाएगा।

4.15शैक्षणिक शाखा द्वारा समस्त पंजीकृत पी.एच.डी. शोधार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उनके नाम, शोध विषय, शोध पर्यवेक्षक के नाम, पंजीकरण तिथि का उल्लेख करते हुए वार्षिक आधार पर रखी जायेगी।

5. शोध निर्देशक का आवंटन

5.1 विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के शोध क्षेत्र एवं विशिष्टता के आधार पर शोध निर्देशक नियुक्त करते हुए अत्यन्त सावधानी बरती जाएगी।

5.2 विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी भी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पाँच शोध प्रकाशित किए हों तथा विश्वविद्यालय के कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पी.एच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसने संदर्भित शोध-पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशित किए हों उसे शोध निर्देशक/सह निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। जबकि सहायक आचार्य को शोध निर्देशक/सह निर्देशक होने के लिए परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।

बशर्ते कि, उन क्षेत्रों/विधाओं में जहाँ कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हो अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, ऐसी स्थिति मेंअकादमिक परिषद् शोध पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तो में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान करेगी।

5.3 विश्वविद्यालय के केवल पूर्णकालिक शिक्षक ही निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य निर्देशकों को अनुमति नहीं दी जायेगी। उन विषयों के संदर्भ में जो अंतर-अनुशासनात्मक हैं, जहाँ संबंधित विभाग/संस्थान/केन्द्र को प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय के अंदर अथवा संस्थान के बाहर से सह-निर्देशक अन्य संकाय/विभाग/संस्थान/केन्द्र से विशेषज्ञ लिया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति मेंडी.आर.सी.एवं एफ.बी.सी. से उचित अनुमोदन के साथ आर.ए.सी. की संस्तुति पर संबंधित विभाग/संस्थान/केन्द्र/संकाय की सहमति तथा विशिष्ट सेवा शर्तों पर सह निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है।

5.4 किसी चयनित पी.एच.डी. शोधार्थी के लिए शोध निर्देशक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा प्रति शोध निर्देशक शोधार्थियों की संख्या, निर्देशकों की विषय विशेषज्ञता तथा शोधार्थी की शोध रूचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

5.5 किसी एक दिए गए समय के दौरान, कोई भी आचार्य, शोध निर्देशक /सह-निर्देशक के रूप में आठ पी.एच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्ग दर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह–आचार्य, शोध निर्देशक के रूप में अधिकतम छह पी.एच.डी. शोधार्थियों को तथा सहायक आचार्य शोध निर्देशक के रूप में अधिकतम चार पी.एच.डी.शोधार्थियों को मार्ग दर्शन कर सकता है।

5.6 सह निर्देशक के संदर्भ में, समस्त शोधार्थियों को निर्देशक /सह निर्देशक दोनों के वर्गो में गिना जाएगा। समस्त पी.एच.डी. पंजीकृत शोधार्थी को इन वर्गो में तब तक गिना जाएगा जब तक वे आपना शोध प्रबंध जमा नहीं कर देते।

5.7 विवाह अथवा अन्यथा कारण से, किसी पी.एच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहें बशर्ते कि, इन विनियमों की अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तों का अक्षरशः एवं भावना से पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी द्वारा प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल निर्देशक तथा विश्वविद्यालय को मार्ग दर्शन तथा पूर्व में किए गए शोध कार्य के लिए पूर्ण श्रेय देगा।

6. पाठ्यक्रम कार्य (क्रेडिट अपेक्षाएँ, संख्या, अवधि, पाठ्य विवरण, कार्य पूर्ण करने की न्यूनतम मानदंड, आदि)

6.1 पी.एच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य न्यूनतम 08 (आठ) क्रेडिट तथा अधिकतम 16 (सोलह) क्रेडिट का होगा।

6.2 कोर्सवर्क को पी.एच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षित माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को विभाग/संस्थान/केन्द्र द्वारा कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कंप्यूटर अनुप्रयोगतथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोधकार्य की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान एवं प्रकाशन मूल्यों पर 2 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम होगा (यू.जी.सी. के निर्देशानुसार क्रमांक अ.शा.सं.एफ.1.1/2018 (जर्नल/केयर) दिनांक दिसम्बर, 2019)। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के होंगे जो छात्र को पी.एच.डी. उपाधि के लिए निर्मित करेंगे।

6.3 पी.एच.डी. के लिए पाठ्यक्रम संबंधित विभाग/संस्थान/केन्द्र के स्नातकोत्तर अध्ययन मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्धारित तथा एफ.बी.एस. एवं अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। पी.एच.डी. के लिए निर्धारितसमस्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधित कोर्सवर्क, क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा विषय वस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। संबंधित डीबीएस आवश्यकता अनुरूप कोर्स वर्क के विषय वस्तु में सामान्य संशोधन/संवर्धन कर सकते हैं तथा एफ.बी.एस. एवं अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदन के उपरांत आगामी शैक्षणिक सत्र से कार्यान्वित कर सकते हैं।

6.4 ऐसे विभाग जहाँ शोधार्थी अपना शोध कार्य जारी रखता/रखती हैं, वे डी.आर.सी. द्वारा अनुमोदन तथा आर.ए.सी. जैसा कि खंड-7.1 अधीन अनुबंधित, आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा।

6.5 प्रवेश प्राप्त शोधार्थी को, पाठ्यक्रम के सफल समापन हेतु, प्रारंभिक एक सत्र में एक नियमित छात्र के रूप में अनिवार्य उपस्थिति के साथ निर्धारित कोर्सवर्क समापन एवं अन्य संबद्ध आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा। प्रवेश प्राप्त सेवारत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अनिवार्य रूप से पी.एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि हेतु अध्यन अवकाश ग्रहण करना होगा। जबकि शोधार्थी जिन्होंने एम.फिल.उपाधि प्राप्त की हो एवं/या एम.फिल/पी.एच.डी. कोर्स वर्क संबंधित/प्रासंगिक विषय/अनुशासन में सफलता पूर्वक संपन्न किया हो, वे पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से कोर्स वर्क से छूट प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते ऐसे कोर्स वर्क को आर.ए.सी. एवं डीबीएस द्वारा निर्धारित कोर्स वर्क के समतुल्य तथा उपयुक्त माना गया हो तथा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुमोदित किया गया हो। ऐसे शोधार्थी जिन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम कोर्स वर्क को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया हो उन्हें कोर्स वर्क पूर्ण करने के लिए 8 क्रेडिट की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करना होगा।

6.6 कोर्स वर्क का मूल्यांकन संबंधित विभाग/संस्थान/केन्द्र द्वारा आयोजित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में शोधार्धी के प्रर्दशन के आधार पर किया जाएगातथा सत्रांत परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। आंतरिक निर्धारण एवं सत्रांत परीक्षा के लिए 25:75 के अनुपात में भारांक होंगे। ऐसे मामले में, जब शोधार्थी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने में विफल होता है, ऐसी स्थिति में उसे कार्यक्रम छोड़ना होगा।

6.7 शोधार्धी को शोध कार्य को जारी रखने तथा शोध प्रबंध जमा करने के योग्य होने के लिए कोर्स वर्क में कम से कम 55% अंक या यू.जी.सी. 7-बिन्दु पैमाने के समतुल्य ग्रेड (अथवा समतुल्य ग्रेड/सी.जी.पी.ए. के बराबर समकक्ष ग्रेड) प्राप्त करना होगा। यदि शोधार्थी कोर्स वर्क की सत्रांत परीक्षा में विफल रहता है, ऐसी स्थिति में परिणाम घोषणा की तिथि से दो माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि शोधार्थी इस परीक्षा में पुनः विफल रहता है ऐसी स्थिति में शोधार्थी को कार्यक्रम छोड़ना होगा।

7. अनुसंधान सलाहकार समिति तथा इसके कार्य

7.1 विभागीय अनुसंधान समिति प्रत्येक शोधार्थी के लिए चार सदस्यों की शोध सलाहकार समिति गठित करेगी, जिसमें तीन सदस्य विभाग/संस्थान/केन्द्र से होंगे तथा एक सदस्य शोधार्थी के पर्यवेक्षक की सलाह पर सजातीय/संबंधित विभाग से होगा। सह पर्यवेक्षक, यदि कोई हो, वहआर.ए.सी में अतिरिक्त सदस्य के रूप में रहेगा, ऐसे मामले जहाँ आर.ए.सी. को विश्वविद्यालय विभाग से बाहर सुसंगत विशेषज्ञ सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में उचित तर्क के साथ एक बाहरी विशेषज्ञ सम्मिलित किया जा सकता है। शोधार्थी के शोध निर्देशक इस समिति के संयोजक होंगे। यदि विभाग/संस्थान/केन्द्र में अवस्थित संकाय सदस्य आर.ए.सी. गठित करने हेतु काफी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में संबंधित/प्रासंगिक विभागों अथवा अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के सदस्य से शोधार्थी के लिए आर.ए.सी. गठित की जायेगी।

अनुसंधान सलाहकार समिति के निम्नलिखित दायित्व होंगे -

7.1.1 शोधार्थियों के शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध शीर्षक को अंतिम रूप देना।

7.1.2 शोधार्थी को अध्ययन ढाँचा विकसित करना, शोध कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना तथा उसके द्वारा लिए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान करना।

7.1.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा इसकी प्रगति में सहायता प्रदान करना।

7.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत, शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के परामर्श से अपने अनुसंधान विषय की रूपरेखा निर्मित करेगा एवं कोर्सवर्क के सफल समापन के बाद 90 (नब्बे) दिनों कि अवधि के अंदर अंतिम रूपरेखा जमा किये जाने के लिए शोध सलाहकार समिति की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

7.3 कोर्स वर्क के सफल समापन तथा उपरोक्त खंड - 6.7 में निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्ति के पश्चात, संबंधित प्रकरण होने पर,शोधार्थी शोधकार्य आरंभ करेगा। उसे प्रस्तावित शोध कार्य की अंतिम रूपरेखा उपरोक्त समयावधि के अंदर अनुसंधान सलाहकार समिति को जमा करनी होगी। अनुसंधान सलाहकर समिति शोध प्रबंध पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप देगी तथा संबंधित विभाग/संस्थान/केन्द्र की विभागीय अनुसंधान समिति को अनुमोदन हेतु संस्तुति करेगी, जो संबंधित संकाय की एफ.बी.एस. द्वारा अनुमोदित होगा। एफ.बी.एस. के अनुमोदन के उपरांत, अभ्यर्थी विश्वविद्यालय खाता में निर्धारित शुल्क जमा कराएगा, तथा औपचारिक अनुसंधान कार्य शुरू करेगा।

7.4 शोधार्थी को अपने शोध कार्य में हुई प्रगति के मूल्यांकन एवं अग्रिम सुझाव हेतु अनुसंधान सलाहकार समिति के समक्ष प्रत्येक सत्रांत में प्रस्तुति देनी होगी। अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के माध्यम से शोधार्थी छमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यावलय को जमा करेगा जिसकी एक प्रति शोधार्थी को दी जाएगी।

7.5 ऐसी स्थिति में, जहाँ शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो ऐसी स्थिति मेंशोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा संबंधित विभाग/संस्थान/केन्द्र के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के अनुमोदन पर सुधारक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुधारक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल रहता है, ऐसी स्थिति में शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विभागीय अनुसंधान समिति एवं संकायाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

7.6 बिना किसी विधिमान्य कारण के छमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप नॉन-नेट फेलोशिप बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, बिना किसी विधिमान्य कारण समय पर छमाही प्रगति प्रतिवेदन जमा नहीं करने पर जेआरएफ अध्येतावृत्ति के साथ शोधार्थी द्वारा अध्येतावृत्ति जारी के लिए आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

8. मूल्यांकन एवं निर्धारण पद्धति, न्यूनतम मानदंड आदि

8.1 शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व, शोधार्थी को विभाग में अनुसंधान सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुति देनी होगी जो समस्त संकाय सदस्यों एवं अन्य शोधार्थियों तथा छात्रों के लिए भी खुली होगी। उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया एवं

टिप्पणियों व अनुसंधान सलाहकार समिति के परामर्श को प्रारूप शोध प्रबंध में उपयुक्त रूप से सम्मिलित करना होगा।

8.2 पी.एच.डी. शोधार्थी कम से कम एक संदर्भित पत्रिका/समूह समीक्षित पत्रिका/यू.जी.सी.सूचीबद्ध पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व, सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कांग्रेस में दो शोधपत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके साक्ष्य में प्रस्तुति प्रमाण पत्र एवं/अथवा पुनर्मुद्रण प्रस्तुत करेगा।

8.3 शोध पर्यवेक्षक उरकुंड अथवा यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित अन्य सॉफ्टवेयर उपकरणों की सहायता से साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी अनाचार की जाँच करेगा तथा इसके उपरांत प्राप्त प्रमाण पत्र शोध प्रबंध में संलग्न किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु जमा करते समय, शोधार्थी द्वारा स्वपुष्टि तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शोध पर्यवेक्षक से प्रमाण पत्र कार्य की मौलिकता के संबंध में देय होगाजिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा की किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की उपाधि/डिप्लोमा हेतु जमा नहीं किया गया तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार पी.एच.डी. उपाधि की शर्तों को पूर्ण करता है। शोधार्थी शोध प्रबंध की वास्तविक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रति संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से, पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों से विधिवत प्रमाणित करवाने के पश्चात शैक्षिक शाखा के कार्यालय में जमा कराएगा। औपचारिकता एवं आवश्यकताओं के संतोषजनक होने पर शैक्षिक शाखा शोध प्रबंध को परीक्षा नियंत्रक के पास मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगी।

8.4 शोधार्थी द्वारा जमा किए गए शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा जो कम से कम सह-आचार्य के पद से नीचे के स्तर के न हों तथा विश्वविद्यालय में नियोजित नहीं हों। यदि आर.ए.सी. संकल्प ले ऐसी स्थिति में एक परीक्षक विदेश से हो सकता है। आर.ए.सी., डी.आर.सी. के माध्यम से दस बाह्य परीक्षकों की सूचीनिर्मित करेगी जिनमें सह आचार्य अथवा समतुल्य पद से कम वाले सम्मिलित न हों, परीक्षा नियंत्रक को कुलपति/सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु जमा करेगी, जो दो बाहरी परीक्षकों के नामों का निर्धारण शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु भेजने के लिए करेंगे।

8.5 विश्वविद्यालय पी.एच.डी. शोध मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु समुचित सक्षम प्रणाली अपनायेगा जिससे कि यह प्रक्रिया शोधप्रबंध जमा करने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर पूर्ण की जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए परीक्षा नियंत्रक ईमेल द्वारा बाह्य परीक्षकों को शोध की इलेक्ट्रोनिक प्रतिलिपि मूल्यांकन हेतु उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु भेजेंगे तथा उनकी स्वीकृति पर शोध प्रबंध की इलेक्ट्रोनिक प्रति के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन जमा करने हेतु निर्धारित प्रपत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय शोध प्रबंध प्रेषण के 60 दिन पश्चात प्रत्येक पाक्षिक अनुस्मारक के साथ आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक को ई-मेल के माध्यम से अनुस्मारक भेजेंगे। ऐसे मामले में, बाह्य परीक्षक पहले अनुस्मारक के तारीख से 30 दिनों के अंदर मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भेजता है, ऐसी स्थिति में शोध प्रबंध तीसरे परीक्षक को भेजा जाएगा। परीक्षक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित प्रारूप में भेजे जा सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में उनके कार्यालय ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

8.6 शोध प्रबंध के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट संस्तुति सम्मिलित हो। शोध प्रबंध के संदर्भ में कोई एक मूल्यांकन प्रतिवेदन असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की संस्तुति नहीं किए जाने पर परीक्षा नियंत्रक, परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध भेजेंगे तथा नवीनतम परीक्षक की प्रतिवेदन संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित होगी। यदि नवीनतम परीक्षक की प्रतिवेदन भी असंतोषजनक हो ऐसी स्थिति मेंशोध प्रबंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

8.7 शोधार्थी की मौखिक परीक्षा, दोनों (बाह्य एवं आंतरिक) परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में दिए गए आलोचनाओं, अन्य टिप्पणियों पर संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में विधिवत गठित मौखिक परीक्षा मंडल (बोर्ड) में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा ली जाएगी तथा संबंधित आर.ए.सी. के सदस्यों, विभाग के संकाय सदस्यों, शोधार्थियों तथा अन्य इच्छुक विशेषज्ञों/शोधार्थियों के लिए भागीदारी हेतु खुली रहेगी। शोधार्थी

की मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने पर, मौखिक परीक्षा मंडल (बोर्ड) अपनी प्रतिवेदनसमस्त परीक्षकों की शोध प्रबंध पर वास्तविक मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ जमा करेगा।

8.8 बाह्य परीक्षक की इच्छा पर अथवा अभूतपूर्व स्थिति में, जैसे महामारी एवं प्राकृतिक आपदा में मौखिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। शोधार्थी के आपातकालीन चिकित्सा में गतिशील न होने की स्थिति में, महामारी, प्राकृतिक आपदा तथा इस तरह की बहुत ही असाधारण एवं मान्य स्थिति में शोधार्थी अपनी मौखिक परीक्षा की प्रस्तुति ऑनलाइन दे सकता है, बशर्ते शोधार्थी ऐसी स्थिति में छूट हेतु कुलपति से लिखित रूप में अनुरोध करें। पर्यवेक्षक एवं संबंधित संकायाध्यक्ष भी लंबे अवकाश पर होने के कारण तथा शारीरिक रूप से उपस्थित रहने में असक्षम होने पर मौखिक परीक्षा में ऑनलाइन उपस्थित हो सकते हैं।

8.9 ऑनलाइन मौखिक परीक्षा का संचालन केवल तभी किया जाएगा, जब पर्यवेक्षक एवं बाह्य विशेषज्ञ समस्त सहमत हों तथा कुलपति द्वारा उचित अनुमोदन किया गया हो। विभाग/संस्थान/केन्द्र के विभागाध्यक्ष शोधार्थी के शोध पर मूल्यांकन प्रतिवेदन को संबंधित बाह्य परीक्षक एवं संकायाध्यक्ष को अग्रिम रूप से भेजेंगे व ऑनलाइन मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए पर्यवेक्षक एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से आवश्यक व्यवस्था की जायेगी तथा अग्रिम सूचना जारी करके समस्त इच्छुक लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन मौखिक परीक्षा की न्यूनतम अवधि एक घंटें से कम नहीं होनी चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया की विडियों रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए तथा यह परीक्षा नियंत्रक को सौंपी जानी चाहिए। ऐसे मामले में, मौखिक परीक्षा अभूतपूर्व स्थिति या तकनीकी समस्याओं के कारण आयोजित नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में, कुलपति के अनुमोदन पर बाद की तारीख पर इसे आयोजित किया जायेगा।

8.10शोधार्थी की मौखिक परीक्षा पूरी होने पर, मौखिक परीक्षा मंडल (बोर्ड) के आंतरिक सदस्य बाह्य परीक्षकों की सहमति से प्रतिवेदन का आकंलन करेंगे एवं इसे अंतिम रूप देंगे तथा ई-मेल द्वारा आधिकारिक ई-मेल पर हस्ताक्षर हेतु बाह्य परीक्षक को भेजेंगे। बाह्य परीक्षक हस्ताक्षरित स्केन प्रतिलिपि अपने आधिकारिक ईमेल से वापस भेजेगा। समस्त परीक्षकों के हस्ताक्षरों के साथ मौखिक परीक्षा प्रतिवेदन की हस्ताक्षरित प्रति के साथ शोधप्रबंध की मूल्यांकन प्रतिवेदन की वास्तविक प्रति विभाग/संस्थान/केन्द्र के विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित की जाएगी।

8.11यदि मौखिक परीक्षा मंडल (बोर्ड) एवं बाह्य परीक्षक, विशेष रूप से, शोधार्थी की प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं हो, ऐसी स्थिति में शोधार्थी को दो महीनें की अवधि के बाद दूसरी मौखिक परीक्षा के लिए फिर से बुलाया जाएगा लेकिन यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. उपाधि प्रदान करना एवंआईएनएफएलआईबीएनईटी (इनफ्लिबनेट)के साथ निक्षेपण (डिपॉजिटरी):

मौखिक परीक्षा के बाद शोधार्थी शोध प्रबंध की संशोधित प्रति, यदि परीक्षक ने ऐसा कहा है ऐसी स्थिति में, इलैक्ट्रानिक प्रति के साथ आर.ए.सी.के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को जमा कराएगा। इसके प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय पुस्तकालय को आईएनएफएलआईबीएनईटी (इनफ्लिबनेट) पर अपलोड करने के लिए भेजेगा। परीक्षा नियंत्रक कुलपति/सक्षम अधिकारी की सहमति से विश्वविद्यालय की आर.बी.की मीटिंग आयोजित करेगा (सामान्यतः जो प्रति माह होगी) जिसमें समस्त सार्थक दस्तावेज जो शोधार्थी को पी.एच.डी. उपाधि के लिए आवश्यक है रखेगा एवं अनुमोदन प्राप्त करेगा। परीक्षा का वर्ष उपाधि प्रदान करने वाला वर्ष गिना जाएगा। तत्पश्चात अनुमति मिलने पर परीक्षा नियंत्रक एक अस्थाई प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पी.एच.डी. की उपाधि यू.जी.सी. विनियम, 2016 के अनुसार प्रदान की गई है। पी.एच.डी. उपाधि शोधार्थी को अगले दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी। परीक्षकों की शोध प्रबंध के मूल्यांकन की प्रतिवेदन की प्रति पी.एच.डी. शोधार्थी को पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना के छः माह बाद प्रदान की जाएगी।

9. अन्य संबंधित विषय

पी.एच.डी. उपाधि के अतिरिक्त विषयों से संबंधित प्रबंधन जैसे कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम, कोर्स वर्क का ग्रेडिंग,शोधार्थी का परिणाम, पर्यवेक्षक परिवर्तन, नए पर्यवेक्षक की नियुक्ति, अवकाश एवं उपस्थिति, छात्रवृत्ति का भुगतान, प्रगति प्रतिवेदन, शोध के अनुमोदित विषय/शीर्षक में परिवर्तन, स्टॉक पंजी का रखरखाव तथा परिसंपत्ति/डाटा जमा, पूर्ण कालिक शोधार्थी को अंश कालिक शोधार्थी में परिवर्तन एवं विपर्येण, पंजीकरण रद्द

करना,शोध जमा करने का प्रारूप, शोध के साथ संलग्न की जाने वाले प्रमाण पत्र/दस्तावेज इत्यादि को अकादमिक परिषद् द्वारा संचालित नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

10. पी.एच.डी. कार्यक्रम संचालित करने हेतु संबद्ध महाविद्यालयों /अन्य संस्थानों द्वारा पूर्ण करने योग्यआवश्यक शैक्षणिक/प्रशासनिक एवं बुनियादी ढ़ाँचा

विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के स्नातकोत्तर विभाग, पी.एच.डी कार्यक्रम के लिए तभी मान्य होंगे जब वे यू.जी.सी (एम.फिल./पी.एच.डी उपाधि न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2016) तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित नियम एवं शर्तों को पूर्ण करते हों। केवल समस्त आवश्यकताओं की संतोषजनक पूर्ति मात्र से संबद्ध महाविद्यालय/अन्य संस्थान पी.एच.डी. कार्यक्रम चलाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों./अन्य संस्थानों के प्रस्तावित पी.एच.डी. कार्यक्रमों को मान्यता तभी देगा जब ऐसी संबद्ध महाविद्यालयों/अन्य संस्थानों के आवेदन संबंधित विभागीय अनुसंधान मंडल (बोर्ड) /अनुसंधान मंडल/अकादमिक परिषद्/कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित हो।

11. **समस्याओं का निराकरण :** इस अध्यादेश में उल्लेखित किसी अनुच्छेद की व्याख्या के बारे में कोई संदेह या विवाद होने पर संबंधित द्वारा उसे कुलपति को प्रेषित किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी का इस पर निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस अध्यादेश के प्रावधानों में निहित न होने के बावजूद भी, कुलपति कार्यकारिणी परिषद् की तदनंतर स्वीकृति की शर्त पर समस्याओं के निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

12. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य संबंधित सांविधिक नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधनों को स्वतः संज्ञान से स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू करेगा। ऐसे परिवर्तन/संशोधनों की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तदनंतर पुष्टि की जायेगी।

****

अध्यादेश

परीक्षा नियंत्रक (सीओई) की सेवा संबंधी शर्तें एवं नियम

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006की धारा 18, एवं31 (2) के अधीन क़ानून के

सांविधिखंड 8 के साथ पढ़ा जाए)

पात्रता, नियुक्ति इत्यादि :

a. परीक्षा नियंत्रक को कार्यकारिणी परिषद् द्वारा परीक्षा संबंधी उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा एवं वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

b. परीक्षा नियंत्रक को पांच वर्ष (5) के लिए नियुक्त किया जाएगा एवं वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते परीक्षा नियंत्रक बासठ (62) वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होंगे।

c. जब परीक्षा नियंत्रक का पद खाली है, या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैंऐसी स्थिति में कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है।

d. परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के पात्र होने के लिए, प्रत्यक्ष या प्रतिनियुक्ति पर, निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए:

i. कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या बिंदु पैमाने में इसके समकक्ष ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, एवं शैक्षणिक स्तर 11 एवं उससे ऊपर के सहायक आचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, या शैक्षणिक स्तर 12 या इससे ऊपर सह आचार्य को सम्मिलित करते हुए जिसे शैक्षिक प्रशासन में अनुभव हो के साथ 8 वर्ष की सेवा के साथ, शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ सहआचार्य के रूप में शैक्षणिक स्तर 12 एवं ऊपर; या

अनुसंधान प्रतिष्ठान एवं/या उच्च शिक्षा के संस्थानों में तुलनीय अनुभव वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे; या

कम से कम पंद्रह (15) वर्षों के प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति जिनमें से आठ (8) वर्ष उप कुलसचिव के रूप में होने चाहिए या इसके समकक्ष पद पर हों भी योग्य होंगे।

ii. वांछनीय: केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

e. **नियुक्ति के लिए समिति** : परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा शासित की जाएगी:

i. कुलपति (अध्यक्ष)

ii. कुलाधिपति का एक नामांकित व्यक्ति

iii. कार्यकारिणी परिषद् के दो सदस्य, जो इसके द्वारा नामित हैं

iv. एक व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामितजो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है।

1. कुलपति, या उनकी अनुपस्थिति में सम-कुलपति, चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता एवं आयोजन करेंगे:

a. बशर्ते कि चयन समिति की बैठक पूर्व परामर्श के साथ, एवं आगंतुक के नामिती एवंकार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधा के अधीन तय की जाएगी;

b. बशर्ते कि चयन समिति की कार्यवाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि -

i. जहां कुलाधिपतिपरिषद् के सदस्य एवंकार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या चार है, उनमें से कम से कम तीन बैठक में भाग लेते हैं; तथा

ii. जहां कुलाधिपति के नामित व्यक्ति एवंकार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या तीन है, उनमें से कम से कम दो बैठक में सम्मिलित होते हैं।

2. कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

a. अकादमिक परिषद् द्वारा जारी किए गए विनियमों एवं नियमों के अधीन परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं के संचालन से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं के लिए एवं उससे संबंधित समस्तप्रकरणों के लिए जिम्मेदार होंगे एवं वह इस तरह के कर्तव्यों एवं कार्यों का पालन करेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपा जाएगा।

b. परीक्षा नियंत्रक अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे एवं विभिन्न अधिनियमों / अध्यादेशों / विधियों में निर्दिष्ट कुलपति की तत्काल दिशा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

c. परीक्षा नियंत्रक अध्यादेश द्वारा निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था एवं अधीक्षण करेंगे।

3. सेवा शर्तें आदि

a. परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए नियम एवं शर्तें, पात्रता मानदंड एवं चयन प्रक्रिया आरजीयू अधिनियम 2006 एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

b. परीक्षा नियंत्रक वेतन एवं अन्य भत्तों के हकदार होंगे, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए समय देय के अनुसार वेतन, भत्ते, अवकाश, अवकाश वेतनभविष्य निधि एवं अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे जो कि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जायें।

c. परीक्षा नियंत्रक, असज्जित आवास के हकदार होंगे, जिसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा।

d. परीक्षा नियंत्रक की सेवा की परिलब्धियां, सेवांत लाभ इत्यादि एवं अन्य नियम एवं शर्तें ऐसी स्थिति में होंगी जैसे विश्वविद्यालय के अन्य गैर-अवकाश कर्मचारियों के लिए निर्धारित की जायें।

e. यदि परीक्षा नियंत्रक को प्रति-नियुक्ति/सरकार की विदेश सेवा या किसी अन्य संगठन / संस्थान से नियुक्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी सेवा के नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय के प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा शासित होंगी।

f. जहां इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान/सरकार एवं उसके संगठनों के एक कर्मचारी को परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह उसी सेवानिवृत्ति लाभ योजना, (जैसे कि सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन) के रूप में शासित होना जारी रखेगा। ग्रेच्युटी/ट्रांसफर टीए/एन.पी.एस. आदि) जिसके लिए वह परीक्षा के नियंत्रक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले हकदार था / एवं जब तक वह उस पोस्ट पर अपने ग्रहणाधिकार को जारी रखता है।

4. समस्याओं का निराकरण

a. इन प्रावधानों से उत्पन्न किसी भी समस्या को कुलपति द्वारा दूर किया जा सकता है। इस अध्यादेश में उल्लेखित खंड की व्याख्या के बारे में कोई संदेह या विवाद कुलपति को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस अध्यादेश में निहित कुछ भी होने के बावजूद, कुलपति ऐसे उपाय करेंगे जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुसमर्थन के अधीन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक हों।

5. विश्वविद्यालय,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य संबंधित सांविधिक नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधनों को स्वतः संज्ञान से स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू करेगा। ऐसे परिवर्तन/संशोधनों की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तदनंतर पुष्टि की जायेगी।

****

अध्यादेश

5-वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश

(राजीव गाँधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 6(ii), 31(d) एवं31(2) के अधीन)

प्रस्तावना : कला, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन इत्यादि में स्नातक उपाधि सहित एक दोहरी उपाधि एकीकृत पाठ्यक्रम होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा विधि में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम के साथ निर्मित होगा, जो ज्ञान से संबंधितअनुशासन एवं विधि सहित एकीकृत उपाधि प्राप्ति की अवधि 5 वर्ष की अवधि से कम नहीं होगी। पाठ्यक्रम कला

एवं विधि स्नातक (बी.ए.एल.एल.बी.)/ विज्ञान एवं विधि स्नातक (बी.एस.सी.एल.एल.बी.)/ वाणिज्य एवं विधि स्नातक(बी.कॉम.एल.एल.बी.)/वाणिज्य प्रशासन एवं विधि स्नातक(बी.बी.ए.एल.एल.बी.)/कंप्यूटर अनुप्रयुक्ति एवं विधि (बी.सी.ए.एलए.ल.बी.) के नाम से जाना जाएगा।

1. पाठ्यक्रम की अवधि एवं संरचना

a. उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि पाँच शैक्षणिक वर्षों की होगी। यह दो भागों में होगा जैसे दो वर्षों के प्रथम भाग के दो वर्षों में पूर्व-विधि अध्ययन का मुख्य कार्यक्रम होगा एवं द्वितीय भाग में विधि क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण का तीन वर्षीय कार्यक्रम होगा।

b. कला एवं विधि, विज्ञान एवं विधि, प्रबंधन एवं विधि, वाणिज्य एवं विधि, इत्यादि के एकीकृत शाखाक्षेत्र में, जैसा कि संदर्भ होगा,ऐसे अनिवार्य पत्र/विषय होंगे तथा विधि में प्रतिष्ठा के साथ वैकल्पिक सहित अथवा रहित, अंग्रेजी के साथ विशिष्ट क्षेत्र से एक प्रधान एवं दो अप्रधान विषय होंगे जैसा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हो। पाठ्यक्रम यू.जी.सी. द्वारा बी.ए., बी.एस.सी. ,बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.सी.ए. इत्यादि की स्नातक उपाधि के तीन वर्षों के पाठयक्रम के निर्धारित पाठ्यक्रम के समान यू.जी.सी./एआईसीटीई अथवा शिक्षा की किसी शाखा हेतु अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगा।

c. एक छात्र को समग्र रूप से 36 पत्रों से कम नहीं लेगा, जिसमें अठारह अनिवार्य पत्र, चार नैदानिक पत्र, छह वैकल्पिक पत्र तथा आठ विशिष्ट पत्र बार कॉऊन्सिल ऑफ इंडियन रूल ऑफ लीगलएजूकेशन, 2008 की अनुसूची-।। में वैकल्पिक पत्रों की सूची में से लेने होंगे तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पत्र भी लेने होंगे। जबकि, यदि आठ पत्र अलग-अलग समूहों से लिये गये हों, ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञता का उल्लेख किए बिना ही प्रतिष्ठा सामान्य विधि में ऑनर्स की उपाधि सामान्य विधि के रूप में दी जाएगी।

   i. विश्वविद्यालय एक अध्ययन मंडल (बोर्ड) की नियुक्ति, विधि एवं ज्ञान की दोनों शाखाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के ढाँचे की रचना/संशोधन हेतु, इसकी विभिन्न पाठ्यक्रम निर्माण समितियों द्वारा यू.जी.सी. को जमा की गयी विभिन्न विषयों पर प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए करेगी।

   ii. कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना तथा रूपरेखा बार कॉऊन्सिल ऑफ इंडियन रूल ऑफ लीगलएजूकेशन, 2008 की अनुसूची-।। के प्रावधानों के द्वारा विनियमित होगी।

d. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष दो सत्रों में विभाजित होगा तथा प्रत्येक सत्र में औसत 100 कार्यदिवस/शिक्षण दिवस होंगे। शैक्षणिक सत्र सामान्यतः जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून के मध्य होगा।

e. एकीकृत दोहरी उपाधि का संचालन सत्र प्रणाली में होगा तथा इसमें कम से कम 18 सप्ताह सहित कम से कम 36 कक्षा-घंटों प्रति सप्ताह के साथ संगोष्ठी, विधि-सभा तथा शैक्षणिक कक्षा एवं न्यूनतम 30 घंटों के व्याख्यान प्रति सप्ताह होंगे।

f. न्यूनतम साप्ताहिक कक्षा कार्यक्रम प्रति विषय(पत्र): प्रत्येक पत्र (4 क्रेडिट) के लिए एक घंटा अवधि के चार व्याख्यान कक्षा-घंटो की (4 क्रेडिट) होगी तथा एक घंटे की विधि–सभा/परियोजना कार्य प्रति सप्ताह होगी।

2. प्रवेश हेतु योग्यता

a. 5 वर्ष के एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एक उम्मीद्वार को सफलतापूर्वक उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (+2/कक्षा 12वीं) अथवा समतुल्य (11+1, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र स्तर में 'अ' श्रेणी) भारत या विदेश की मान्यता प्राप्त या उच्चतर माध्यमिक मंडल (बोर्ड) अथवा संघ अथवा राज्य सरकार अथवा विदेश में समतुल्य संस्थान से जो उस देश की सरकार द्वारा इस उद्देश्य में पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समाप्ति पर अर्हता प्रमाणपत्र जारी करने वाले के लिए मान्यता प्राप्त हो, समतुल्य संस्थान से कुल अंको के कम से कम औसत 45 प्रतिशत सामान्य उम्मीद्वार एवं 40 प्रतिशतएस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. उम्मीद्वार को प्राप्त करने होंगे।

   बशर्ते कि वे उम्मीद्वार जिन्होंने +2/उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा प्रथम उपाधि प्रमाणपत्र दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से प्राप्त किया है वे भी एकीकृत पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य होंगे।

b. प्रवेश प्राप्त करने के वर्ष की 1 जनवरी में यदि आवेदक 20 वर्ष (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के लिए 22 वर्ष) की आयु पूरी न करते हों हालाँकि आयु की अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट की अनुमति विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा असाधारण मामले में, विधि संकाय के प्राचार्य एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय की सिफारिश पर प्राप्त की जा सकती है।

c. किसी भी परिस्थिति में, प्रवेश के लिये अर्ह न्यूनतम प्राप्तांकों के प्रतिशत में कोई छूट नहीं मिलेगी।

d. संबंधित प्रवेश समिति द्वारा उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार (जो भी लागू हो) करवाने के पश्चात योग्यता के आधार पर प्रवेश होगा। उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना होगा।

e. किसी भी छात्र को एक ही समय में विधि उपाधि पाठ्यक्रम के साथ किसी अन्य स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक संस्थान सेकेवल एकीकृत विधि उपाधि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त करने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, छात्र भाषा, कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर अनुप्रयुक्ति पाठ्यक्रम मे अल्प अवधि के अंशकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को किसी संस्थान से अथवा दूरस्थ शिक्षण केन्द्र द्वारा संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों के केन्द्र से अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से इस पाठ्यक्रम के साथ कर सकता है।

f. जैसा कि यह पाँच वर्षों का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है, ऐसी स्थिति में किसी भी छात्र को नौकरी में रहते हुए पाठ्यक्रम करने कीअनुमति नहीं होगी।

g. विनिर्दिष्ट खंड- 2.5 एवं 2.6 के अनुसार नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी समय छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

h. एक अनुभाग में छात्रों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती।

3. सत्रांत परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता

a. किसी भी उपाधि कार्यक्रम के किसी छात्र को किसी विषय की सत्रांत परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी यदि संबंधित छात्र ने संबंधित विषय में कम से कम 70% कक्षाएँ उपस्थित न की हों, जिसमें कि विषय के साथ आयोजित विधि–सभा, कक्षा प्रयोग, शैक्षणिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी सम्मिलित हैं। यद्यपि, कोई छात्र किसी विषय में अपरिहार्य कारणों से 70% कक्षा उपस्थिति करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में संकाय के संकायाध्यक्ष अथवा महाविद्यालय के प्रचार्य, संबंधित प्रकरण होने पर,छात्र की संबंधित विषय में कम से कम 65% कक्षा में उपस्थिति तथा समस्त कक्षाओं के समग्र में 70% की उपस्थिति होने पर छात्र को परीक्षा की अनुमति दे सकते हैं। ऐसी ही शक्तियाँ कुलपति अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास भी विधि संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में रहेंगी।

बशर्ते कि ऐसी स्थिति में परीक्षा में बैठने की छूट प्राप्त छात्रों की सूची, लिखित कारणों के साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अग्रेषित की जाएगी।

b. पूर्वानुमोदन के बिना, कक्षाएँ प्रारम्भ होने की तिथि से लगातार एक सप्ताह तक यदि कोई छात्र कक्षाओं में उपस्थित होने में असफल रहता है ऐसी स्थिति में उसके नाम को क्रमांक पंजिका से हटा दिया जायेगा। बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में कुलपति एवं विधि संकायाध्यक्ष को विभाग के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा इस संबंध में ऐसी अनुपस्थिति की माफी की संस्तुति करें।

c. **प्रशिक्षुता की न्यूनतम अवधिः** प्रत्येक पंजीकृत छात्र को विधि अध्ययन की संपूर्ण अवधि के दौरान एन.जी.ओ., जाँच एवं अपील अधिवक्ता,न्यायपालिका, विधि विनियमक प्राधिकरण, विधानसभा एवं संसद, अन्य कानूनी कामकाज निकाय, बाजार संस्थानों, विधि फर्म, कंपनियों स्थानीय स्वशासन तथा अन्य ऐसे अन्य निकाय जहाँ कार्यवाही, विवाद समाधान अथवा विधि का अभ्यास किया जाता हो, जैसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे न्यूनतम 20 सप्ताह की विधि में संपन्न करनी होगी।

बशर्ते कि किसी भी शैक्षणिक वर्ष में इंटर्नशिप निरंतर चार सप्ताह से अधिक की नहीं होगी।समस्त छात्रों को संपूर्ण शैक्षणिक अवधि में एक बार किसी भी प्रशिक्षण एवंअपीलीय अधिवक्ता के साथ इंटर्नशिप से गुजरना होगा।

d. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसारप्रत्येक छात्र इंटर्नशिप डायरी को रखेंगे तथा उसका मूल्यांकन इंटर्नशिप के दौरान निदेशक (गाइड)एवं कर्मियों के आधारभूत संकाय सदस्य द्वारा प्रत्येक बार किया जाएगा। चौथे नैदानिक पाठ्यक्रम के अंतिम सत्र के कुल अंकों का आंकलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी शिक्षा नियम 2008 की अनुसूची–।। के अनुसार किया जायेगा।

e. विषम सत्र जुलाई से दिसंबर तक एवं सम सत्र जनवरी से जून तक चलेगा। विषम व सम सत्रों की सत्रांत परीक्षाएं दिसंबर एवं मई में क्रमशः प्रत्येक वर्ष होंगीं, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

4. **परीक्षा**

a. अध्ययन के एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रदान किए जाने वाला प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा। सत्रांत परीक्षा में 80 अंक होंगे एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंक का होगा। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विनियमित होगी।

b. प्रत्येक महीने छात्रों द्वारा समस्त प्रायोगिक पत्रों/इंटर्नशिप के लिए निर्मित दैनन्दिनियों पर महाविद्यालय का प्रधानाचार्य प्रति-हस्ताक्षर करेगा। जो छात्र ऐसी दैनन्दिनी निर्मित नहीं करते हैं उन्हें सिद्धांत पत्रों में बैठने नहीं दिया जायेगा।

c. सत्रांत परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार को :

(i) समस्त आंतरिक मूल्यांकनों में उत्तीर्ण होना होगा।

(ii) निर्धारित अनुसार इंटर्नशिप की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(iii) विभाग के विभागाध्यक्ष/संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान एवं निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। यदि वह परीक्षा में पास होने या स्वयं को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, ऐसी स्थिति में उसे उस परीक्षा के लिए भुगतान किये गये परीक्षा शुल्क का त्याग करना होगा।

(iv) विभाग के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य से सदाशयता प्रमाणपत्र,अध्ययन की संतोषजनक प्रगति एवं अपने सदाचरण एवं चरित्र को प्रमाणित करने का प्रमाणपत्र देना होगा।

5. **परीक्षा में उत्तीर्ण होना आदि**

a. प्रत्येक सत्रांत परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक वैयक्तिक पत्र में 40% तथा 45% औसत प्राप्तांक सुनिश्चित करने होंगे।

b. अंतिम परीक्षा प्रकरणोंके अतिरिक्त, अन्य समस्त सत्रीय परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की सूची अनुक्रमांक के अनुसार निर्मित की जायेगी। अंतिम सत्र की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की सूची योग्यता के आधार पर होगी। जिसमें समस्त अंकों का 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी में एक साथ रखा जायेगा तथा 50% से अधिक एवं 60% से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा। 75% या उससे अधिक औसत प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, बशर्ते उसने समस्त विषयों को एक ही बार में उत्तीर्ण किया हो।

c. किसी विद्यार्थी को एकीकृत उपाधि प्रवेश की तिथि से 7 वर्षों के अंदर पूरी करनी होगी यद्यपि, विद्यार्थी को किसी भी परीक्षा में तीन से अधिक बार लगातार सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी नियत परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर वह अभ्यर्थी अपने निश्चित अवसर को गवां देगा।

d. विद्यार्थीं को विगत सत्रों की समस्त परीक्षाएँ पास न करने पर पाँचवें सत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परन्तु पाँचवे सत्र में प्रवेश प्राप्त छात्र को अनुत्तीर्ण पत्रों सहित अपने अध्ययन को छठे सत्र तक सम्पन्न करने की अनुमति होगी।

e. छात्र को चतुर्थ सत्रों तक अधिकतम दो पत्रों तथा अन्य सत्रों की परीक्षाओं में अधिकतम तीन पत्रों में अनुत्तीर्ण पत्र के रूप में बैठने की अनुमति दी जा सकती हैं। बशर्ते उसने निर्धारित परीक्षा में अन्य पत्रों में औसत 50% अंक प्राप्त किए हों।

f. तीन सत्रों की परीक्षाओं के पश्चात प्रायोगिक पत्रों में प्राप्तांको को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

6. **पार्श्विक प्रवेश एवं निकास के खिलाफ पर निषेध**

a. एकीकृत दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम में किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि के आधार पर प्रवेश या दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम को विभाजित करके उससे बाहर निकलने की अनुमति, एकीकृत दोहरी डिग्री कोर्स के मध्य किसी भी चरण में नहीं होगी।

7. **न्यूनतम अधोसंरचना**

a. कोई भी महाविद्यालय/केंद्र/संस्थान विधिक शिक्षा में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का संचालन बार काउंसिल के भारतीय विधिक शिक्षा नियम 2008 के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में निर्दिष्ट अनुसूची–।।। द्वारा न्यूनतम मानक बुनियादी ढाँचे पर करेगा।

b. विश्वविद्यालय उसके समस्त संबद्ध महाविद्यालयों/विधिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों के लिए मानक बुनियादी ढांचे एवं अन्य सुविधाओं को व्यवसायिक विधिक अध्ययन के विस्तार को सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय समय - समय पर निश्चित शुल्क के भुगतान पर इन महाविद्यालयों/विधिक शिक्षा केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करेगा।

8. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य संबंधित सांविधिक नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधनों को स्वतः संज्ञान से स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू करेगा। ऐसे परिवर्तन/संशोधनों की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तदनंतर पुष्टि की जायेगी।

****

अध्यादेश

छात्र कल्याण प्रमुख के अधिकार एवं दायित्व

(राजीव गाँधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 40(1) के अधीन)

1. **नियुक्ति :** कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए एक आचार्य को छात्र कल्याण प्रमुख (डीएसडब्ल्यू) नियुक्त करेंगे।
2. छात्र कल्याण प्रमुख (डीएसडब्ल्यू) निम्नलिखितदायित्वों को क्रियान्वित करेंगे :
   i. राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, 2006 के सांविधि के खंड 40(1)के अनुसार छात्र परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
   ii. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का संयोजन करना तथा उनकी तैयारियों की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देना।
   iii. विश्वविद्यालय के निवास एवं अनुमोदित छात्रावासों के विभिन्न हॉलों में छात्रों के प्रवेश का समन्वय करना।
   iv. छात्रावासों के वार्डन, कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों (यदि कोई हों) की नियुक्ति में कुलपति को सलाह देना।
   v. वार्डन के साथ समन्वय करके छात्रावासों के समस्त हॉल में रहने वालों की निगरानी एवं नियंत्रण में कुलपति की सहायता करना।
   vi. विश्वविद्यालय के निवास/छात्रावासों के हॉल में प्रबंधन, समग्र अनुशासन एवं रहने की शर्तों के प्रकरणों का निपटान।
   vii. संगठनों एवं छात्र निकायों के विकास से संबंधित प्रकरणों में विश्वविद्यालय को सलाह देना।

viii. विभिन्न छात्रों के निकायों की छात्र कल्याण एवं रैगिंग-विरोध से संबंधित गतिविधियों का समन्वयन करना।

ix. विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में आरजीयूछात्रसंघ व अन्य छात्र निकायों के पदाधिकारियों व अन्य प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था करना।

x. विश्वविद्यालय के विभिन्न सांविधिक निकायों के लिए छात्र प्रतिनिधियों के नामांकन पर उपयुक्त अधिकारियों को सलाह देना।

xi. विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर छात्रों एवं शोधार्थियों की सह-पाठयक्रमएवंखेल गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं आयोजन कराना।

xii. विश्वविद्यालय परिसर में आरजीयू छात्र संघ एवं अन्य छात्र निकायों की सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के लिए स्वीकृत धन का समग्र प्रभारी होना। राजीव गाँधी विश्वविद्यालय छात्र संघ तथा अन्य छात्र निकायों द्वारा स्वीकृत निधियों में से किए गए प्रमाणित व्यय के खातों का ब्यौरा रखना तथा उन्हें अग्रेषित करना।

xiii. प्रामाणिक छात्रों के लिए यात्रा-रियायत जारी करना तथा छात्रों के शैक्षिक पर्यटन/भ्रमण की संस्तुति करना।

xiv. छात्रों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कैरियर मार्गदर्शन एवं अन्य परामर्श सुविधाओं का पर्यवेक्षण एवं आयोजन करना।

xv. ऐसे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण/आयोजन करना, जिनसे शिक्षकों एवं छात्रों तथा विश्वविद्यालय प्रशासन एवं छात्र समाज के साथ मजबूत संबंध स्थापित हो सके।

xvi. अनुशासनहीनता एवं निषिद्ध/आपराधिक गतिविधियों, में लिप्त किसी भी छात्र के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर अथवा स्वतः संज्ञान से अनुशासनात्मक कार्यवाही की पहल करना/कार्यवाही करना।

xvii. समय-समय पर विश्वविद्यालय के विभिन्न सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार छात्रों के कल्याण से संबंधित अन्य कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

3. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/सांविधिकविनियमनप्राधिकरणों द्वारा नियमों एवं विनियमों में किए गए परिवर्तनों या संशोधनों को इस संबंध में अधिसूचना की तिथि से स्वतः स्वीकार कर इन्हें लागू किया जाएगा। इस तरह के परिवर्तनों/संशोधनों की बाद में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पुष्टि की जाएगी।

****

अध्यादेश

महाविद्यालयों एवं संस्थानों से संबद्धता

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 4 (एफ), 6 (XIV), 6 (XVII), एवं 31 (2) के

अधीनसांविधि 32 के साथ पढ़ा जाये)

1. परिभाषा

a) "अतिरिक्त या भावी संबद्धता" का अर्थ है; किसी विषय या विषयों या शाखा या किसी विषय की कई शाखाओं से संबद्धता, उनके अतिरिक्त जिसमें एक महाविद्यालय पहले से ही संबद्ध है एवं सीटों की वृद्धि एवं जिसके लिए अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

b) अपनी व्याकरणिक विविधताओं के साथ "संबद्धता", एक महाविद्यालय के संबंध में, ऐसे महाविद्यालय की मान्यता, ऐसे महाविद्यालय के साथ गठजोड़, एवं विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए ऐसे महाविद्यालय का प्रवेश सम्मिलित है;

c) "महाविद्यालय परिषद्" का अर्थ है; प्रत्येक महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला शैक्षणिक कर्मचारियों का ऐसा निकाय जो महाविद्यालय के आंतरिक प्रकरणों के प्रबंधन के संबंध में प्राचार्य को सलाह देता है।

d) 'महाविद्यालय' से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान से है: जिसे इस अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता है; जो विश्वविद्यालय से किसी योग्यता को अर्जित करने के लिए बारह वर्षों की स्कूल की शिक्षा से आगे के अध्ययन कार्यक्रम संचालित करता हो एवं जिसे विश्वविद्यालय के नियमों-विनियमों के अनुसार ऐसे कार्यक्रम को संचालित करने, ऐसी योग्यता को प्रदान करने के लिए उक्त अध्ययन कार्यक्रमों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय ने सक्षम पाया हो तथा ऐसे संस्थान जिन्होंने राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006एवं इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय में प्रवेश/सम्बद्धता हेतु आवेदन किया हो या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में पहले से ही सम्मिलित/सम्बद्ध हैं।

e) "शासी निकाय" का अर्थ है; राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की सांविधि 32 के अधीन प्रत्येक महाविद्यालय में गठित व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जो महाविद्यालय प्रबंधन करे; एवं जिसका पुनर्गठन किया जा सकेगा।

f) "कार्यक्रम" / "अध्ययन का कार्यक्रम" का अर्थ है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22(3) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक उपाधि के लिए संचालित एक उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम।

g) "सांविधिक नियामक प्राधिकरण या एस.आर.ए." का अर्थ है; केंद्र/राज्य सरकार अधिनियम के अधीन उच्च शिक्षा के सुसंगत क्षेत्रों में मानकों को स्थापित करने एवं बनाए रखने के उद्देश्य से गठित एक निकाय, जैसे ए.आई.सी.टी.ई., एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.टी.ई., बी.सी.आई., आई.एन.सी., सी.सी.एच. या केंद्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ शिक्षा मंत्रालय आदि।

h) "छात्र" का अर्थ है; अध्ययन के एक निर्दिष्ट कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त एवं अध्ययनरत् एक व्यक्ति।

2. सामान्य प्रावधान

a) **संबद्धता**

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रवेश अथवा अतिरिक्त अथवा भावी सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालय को यह वचन देना होगा कि वे प्रति व्यक्ति शुल्क या दान एकत्र नहीं करेंगे तथा राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 एवं यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों से सम्बद्धता) विनियम 2009 व 2012 के विभिन्न प्रावधानों में विहित या उनमें होने वाले संशोधनों तथा इनके अतिरिक्त इसमें विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

3. अस्थाई संबद्धता के लिए पात्रता मानदंड :

a) विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय संबद्धता चाहने वाला प्रस्तावित महाविद्यालय निम्नलिखित आवश्यकताओं, या एस.आर.ए. द्वारा निर्धारित इनसे संबंधित अपेक्षाओ को, या जो अधिक हो, को पूर्ण करेगा :

i. शहरी क्षेत्र के लिए ऐसी निर्विवाद स्वामित्व एवं कब्जे वाली जमीन जो दो एकड़ से कम न हो एवं पाँच एकड़ हो यदि वह अन्य क्षेत्र में स्थित हो ऐसी स्थिति में;

1) बशर्ते कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ऐसी 5 एकड़ जमीन सटी हुई हो या अधिकतम ऐसे तीन स्थानों पर हो जिनके मध्य की दूरी दो किलोमीटर की क्षेत्रसीमा से अधिक न हो।

ii. परिशिष्ट-1 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तात्कालिक शैक्षणिक एवं अन्य जरुरी जगहों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ ऐसे प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं अन्य भवन, जो प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों के लिए हों एवं जिसमें यू.जी.सी./ एस.आर.ए. के द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए भविष्य में विस्तार की पर्याप्त संभावना हो, तथा जिसमें यह भी ध्यान रखा गया हो कि महाविद्यालय में निर्मित समस्त भवन दिव्यांगों के लिए अनुकूल हैं।

iii. ऐसे शैक्षणिक भवन जिसमें संकाय सदस्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों एवं ऐसेव्याख्यान/संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं हों जिनके व्याख्यान/संगोष्ठी कक्ष/पुस्तकालय में न्यूनतम 15 वर्ग फुट/1.394 वर्ग मीटर प्रति छात्र एवं प्रत्येक प्रयोगशाला में न्यूनतम 20 वर्ग फुट/1.858 वर्ग मीटर स्थान प्रति छात्र उपलब्ध हो।

iv. विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./ संबंधित एस.आर.ए के मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या हो।

v. केंद्र/राज्य पीडब्लूडी. द्वारा निर्धारित मानदंडों के समानुरूप पानी, बिजली, वायुगमन, शौचालय, मलनिकासी इत्यादि जैसी अनिवार्य जरुरतों के लिए पर्याप्त नागरिक सुविधाएं।

vi. सुरक्षा, बचाव, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि के लिए पर्याप्त उपाय।

vii. एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों की पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकों से संबंधित कम-से-कम एक हजार पुस्तकें हों, या प्रत्येक विषय के अलग-अलग शीर्षकों की सौ पुस्तकें हों, या इनमें से जो भी अधिक हो, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय की दो पत्रिकाएँ हों, इसके साथ ही एस.सी./एस.टी. एवं समय-समय पर यू.जी.सी. द्वारा विनिर्दिष्टकिये जाने वाले ऐसे अन्य वर्ग के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की सुविधा हो।

viii. प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय/एस.आर.ए द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण।

ix. एक बहुउद्देश्यीय परिसर/एक ऑडिटोरियम/खेल सुविधाएँ, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय जरुरतों के अनुसार लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग सार्वजनिक कक्ष एवं छात्रावास जैसे विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई हों।

x. व्याख्यान/संगोष्ठी कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, संकाय सदस्य के कमरों, प्राचार्य सहित प्रशासनिक कर्मचारियों के कमरों, बहुउद्देश्यीय परिसर/सभागार, सार्वजनिक कक्षों एवं छात्रावास के कमरों एवं अन्य सुविधाओं के लिए जरुरीफ़र्नीचर।

xi. राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 द्वारा निर्दिष्ट विधिसम्मत गठित शासी निकाय।

xii. अकादमिक परिषद्/कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित महाविद्यालय के नाम पर अक्षय निधि के रूप में एक सावधि जमा राशि (सरकारी महाविद्यालय के अतिरिक्त केवल अन्य महाविद्यालयों के लिए)।

xiii. छात्रों/अभिभावकों/माता-पिता एवं कर्मचारियों से कैपिटेशन शुल्क या दान नहीं लेने का एक वचन-पत्र; एवं

xiv. विश्वविद्यालय/एस.आर.ए. द्वारा समय-समय पर निर्धारित इस तरह की अन्य शर्तें।

b) महाविद्यालय, यदि राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है,

i. एक विधिवत गठित एवं पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा प्रबंधित;

1) विश्वविद्यालय को विश्वास दिलाना होगा कि किसी भी बाहरी स्रोत से बिना किसी सहायता के कम से कम तीन वर्ष तक महाविद्यालय चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान अवस्थित हैं। विशेष रूप से, इसे अप्रत्यादेय सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा महाविद्यालय के नाम प्रति कार्यक्रम 15 लाख रुपये, एवं यदि महाविद्यालय के पास केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में ही

कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है ऐसी स्थिति में प्रति कार्यक्रम 35 लाख रुपये अथवा एस.आर.ए. द्वारा निर्धारित राशि की स्थायी अक्षय निधि बनाने एवं उसे बनाए रखने का साक्ष्य दिखाना होगा। यदि वह व्यावसायिक कार्यक्रम के संचालन का प्रस्ताव करता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा जैसी राशि को तीन वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि के लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से रखा जाएगा। इससे प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के साथ अपनी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

2) विश्वविद्यालय को एक वचनबंध भी प्रस्तुत करेगा कि उसके पास इसके निरंतर एवं सक्षम संचालन हेतु अपने संसाधनों से पर्याप्त आवर्ती आय है।

ii. न्यायोचित अपवादी प्रकरणों में पंजीकृत सोसायटी/ न्यास को पहले से निर्मित उपलब्ध भवन में कार्यक्रम का प्रथम वर्ष प्रारंभ करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि वह विनियम के अधीन निर्धारित अन्य समस्त अकादमिक एवं प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो एवं महाविद्यालय उपबंध4(डी)(IX) के अधीन भवननिर्माण को पूर्ण करेगा एवं दूसरे वर्ष के अंत तक विस्तृत प्रोजेक्टप्रतिवेदन में उदधृत अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा एवं तीसरे वर्ष के आरंभ में महाविद्यालय प्रस्तावित स्थायी भवन में पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने की स्थिति में महाविद्यालय की अस्थायी संबद्धता तब तक नवीनीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि वह स्थायी भवन में स्थानांतरित न हो जाये। किसी भी परिस्थिति में, स्थायी भवन में स्थानांतरण के लिए, विश्वविद्यालय प्रथम अस्थायी संबद्धता की तारीख से पाँच वर्षों से अधिक समय का कोई भी अन्य समय-अवधि विस्तार स्वीकृत नहीं करेगा।

iii. महाविद्यालय को प्रस्तावित करने वाला पंजीकृत सोसायटी/न्यास एक बॉन्ड क्रियान्वित करेगा:

1) संकायों के केवल उन्हीं विषयों एवं पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए अनुदेश प्रदान करने के संबंध में जिसकी संबद्धता विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है एवं पूर्वप्रभावी संबद्धता की माँग नहीं करने के संबंध में। ऐसे समस्त पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के उपयुक्त शैक्षणिक निकायों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का ही पालन करने के संबंध में।

2) इस संबंध में निर्मित विश्वविद्यालय के अधिनियम,सांविधि, अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों के समस्त प्रावधानों का पालन करने के लिए।

3) इस आशय का कि शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के सदस्यों की नियुक्ति केवल यू.जी.सी./एस.आर.ए. द्वारा उनके लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जाएगी एवं किसी दान या अन्य वस्तुओं की मांग या स्वीकार के आधार पर नहीं की जाएगी।

4) इस आशय का कि संबद्धता के तीन महीने के अंदर नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की पात्रता का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करेगा एवं शैक्षणिक कर्मचारियों में किए गए किसी भी तरह के बदलाव एवं ऐसे समस्त बदलावों को जो विश्वविद्यालय से संबद्धता को प्रभावित कर सकता है को ऐसे बदलावों के होने के पंद्रह दिनों के अंदर विश्वविद्यालय को सूचित करेगा।

5) इस आशय का कि छात्रों से लिया जाने वाला समस्त प्रकार का शुल्क, समय-समय पर यू.जी.सी. के मानदंडों के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार होगा।

6) इस आशय का कि महाविद्यालय किसी भी रूप में किसी भी छात्र या उसके माता-पिता/अभिभावकों की ओर से, समय-समय पर यू.जी.सी. के मानदंडों के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर किसी अन्य रूप में कोई कैपिटेशन शुल्क या दान एकत्र नहीं करेगा, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले।

7) इस आशय का कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने की प्रत्याशा में किसी भी छात्र को अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में या विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम के लिए स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

8) इस आशय का कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, पहले से अनुमोदित पाठ्यक्रम/अध्ययन के कार्यक्रम की पेशकश को निलंबित नहीं करेगा।

9) इस आशय का कि महाविद्यालय द्वारा एस.सी., एस.टी.एवं अल्पसंख्यक सहित अन्य वंचित समूहों, जहाँ भी लागू हो, के छात्रों की शैक्षणिक एवं कल्याणकारी गतिविधियाँ की उचित देखरेख की जाएगी।

10) इस आशय का कि समय-समय पर एस.आर.ए. द्वारा जारी/निर्धारित नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

11) इस आशय का कि शैक्षणिक पदों की संख्या, शैक्षणिक कर्मचारियों की योग्यता एवं उनकी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया यू.जी.सी. के निर्देशों के अनुसार होगी एवं सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय/एस.आर.ए.केसांविधियों/अध्यादेश/विनियमों के अनुसार होगी एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के विषय में छात्रों को पर्याप्त निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करेगा एवं महाविद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात यू.जी.सी. के मानदंडों के अनुसार होगा।

12) इस आशय का कि शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के सदस्यों को, संबंधित प्रकरण होने पर,एस.आर.ए. द्वारा निर्धारित वेतनमान, लागू भत्तों सहित नियमित रूप से एवं पूर्णतः भुगतान किया जाएगा।

13) इस आशय का कि यू.जी.सी./विश्वविद्यालय/एस.आर.ए के नियमों/आदेशों के अधीन रखे जाने वाले समस्त पंजिकाएं एवं अभिलेख, अंकेक्षित किए गए खातों के विवरणों का रख-रखाव किया जाएगा एवं निरीक्षण के समय जब भी एवं जैसी भी आवश्यकता हो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा; एवं

14) इस आशय का कि अकादमिक मानकों को बनाए रखने के लिए महाविद्यालय के प्रदर्शन के आकलन एवं निगरानी हेतु यू.जी.सी./विश्वविद्यालय/एस.आर.ए.के लिए जरूरी समस्त आवश्यक विवरणियां तथा अन्य जानकारियों को महाविद्यालय प्रस्तुत करेगा एवं इसको बनाए रखने के लिए यू.जी.सी./विश्वविद्यालय/एस.आर.ए. द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए जरुरी कदम उठाएगा।

4. अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया:

a) केंद्र/राज्य सरकार के संस्थानों एवं पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा एक नया महाविद्यालय शुरू करने एवं इसे विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

b) यदि आवेदक एक सोसाइटी/न्यास है, ऐसी स्थिति में वह आवेदन जमा करने की तारीख को या उससे पहले सोसाइटी अधिनियम या केंद्र/राज्य सरकार के किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत होगा।

c) ऐसे सरकारी/सोसाइटी/न्यास, जिसे महाविद्यालय खोलना है एवं उसे विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी है, उसे प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को आरंभ करने वाले शैक्षणिक वर्ष के ठीक पहले वर्ष के 31 दिसंबर से पहले विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पक्ष में अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क का एक बैंक ड्राफ़्ट/ऑनलाइन शुल्क जमा कर निर्धारित प्रारूप में कुलसचिव को एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।

d) प्रधानाचार्य द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा :

i. सोसाइटी/न्यास का पंजीकरण के साथ संविधान/अनुच्छेद एवं संस्थापन प्रलेख का विवरण।

ii. भूमि के वर्गीकरण से संबंधित सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी का पत्र एवं शहरी या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी स्थिति।

iii. राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग प्रमाण पत्र।

iv. महाविद्यालय के नाम से पंजीकृत भूमि/सरकारी पट्टे की भूमि के दस्तावेज या समतुल्य दस्तावेज (भूमि आधिपत्य प्रमाण पत्र)।

v. प्रस्तावित पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों के विवरण सहित महाविद्यालय शुरू करने के लिए सोसाइटी/न्यास को अनुमति देने वाला सरकार का समुचित आदेश; (जैसा भी मामला हो एवं जहाँ भी ऐसी अनुमति की आवश्यकता हो वहाँ संबंधित राष्ट्रीय निकाय या परिषद् या सांविधिकविनियमनप्राधिकरणों से अनुमति पत्र की सत्यापित प्रति सहित संबंधित सरकारी विभाग द्वारा महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने संबंधी आदेश की एक सत्यापित प्रति)।

vi. संबद्धता के लिए दिए गए पिछले आवेदन की प्रतिएवं वे विषय जिनके संदर्भ में यह संबद्धता मांगी गई थी, के साथ इस आवेदन को जिस तरीके से निपटाया गया था उसकी जानकारी, यदि कोई हो ऐसी स्थिति में ।

vii. ऐसे पाठ्यक्रम एवं विषय जिसमें संबद्धता मांगी गई है।

viii. भूमि विलेख।

ix. एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा निर्मित प्रस्तावित महाविद्यालय की भवन योजना एवं राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन।

x. प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए चिह्नित भूमि एवं भवनों का पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण दस्तावेज।

xi. संबंधित बैंक खातों की छायाप्रतियों के साथ निधि की वर्तमान स्थिति का विवरण एवं इस उद्देश्य के लिए चिह्नित अक्षय निधि का साक्ष्य (महाविद्यालय के नाम पर निर्मित अक्षय निधि/ सावधि जमा)

xii. प्रावधान किए गए आवास, उपकरण, महाविद्यालय की क्षमता, छात्रों की संख्या एवं महाविद्यालय के भवनों की योजना या मानचित्र।

xiii. प्रत्येक शिक्षक को आवंटित कार्य की समय सारणी के साथ शिक्षकों की योग्यता, वेतन एवं कार्य-भार का विवरण।

xiv. नियुक्त किए गए शिक्षक का एस.आर.ए. द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करने संबंधी साक्ष्य।

xv. जिस दिन आवेदन दिया गया है उस दिन पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए नियुक्त कर्मचारी सहित स्टॉक में उपलब्ध पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की संख्या सहित प्रदत्त पुस्तकालय की सुविधाओं का विवरण।

xvi. महाविद्यालय के छात्रों को प्रदान किए गए छात्रावास, आवास, कैंटीन, शौचालय एवंखेल के मैदानों का पूर्ण विवरण।

xvii. महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारियों के लिए यदि कोई आवासीय व्यवस्था बनाई गयी हो ऐसी स्थिति में।

xviii. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित शिक्षा-शुल्क एवं अन्य शुल्कों का मासिक एवं सत्रवार विवरण।

xix. महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति का विवरण जिसमें महाविद्यालय के आय के स्त्रोतों एवं आय-व्यय का ब्यौरा हो।

xx. भवनों एवं उपकरणों पर पूंजीगत व्यय एवं महाविद्यालय के निरंतर रखरखाव के लिए किए गए प्रावधान।

xxi. महाविद्यालय द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र की वह कैपिटेशन शुल्क एवं दान नहीं एकत्र करेगा एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानक एवं स्तर बनाये रखने के लिए समस्त जरूरी कदम उठाएगा।

xxii. संबद्धता प्राप्त करने के लिए जमा किए गए शुल्क को साबित करने वाला मूल चालान/बैंक ड्राफ़्ट।

xxiii. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जो दर्शाती हो;

1) शैक्षिक संस्थानों के प्रोत्साहन, प्रबंधन एवं संचालन के अनुभव के संदर्भ में सोसाइटी/न्यास की पृष्ठभूमि; इसके प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि सहित विवरण; आरंभ के समय से ही सामाजिक, धर्मार्थ एवं शैक्षिक क्षेत्रों में इसकी भूमिका एवं इसकी भविष्य दृष्टि तथा लक्ष्य।

2) महाविद्यालय की समयबद्ध विकास योजना, जिसमें पहले दस सालों के दौरान शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न चरणों, छात्रों की संख्या में वृद्धि एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों/शोध कार्यों की शुरुआतएवं शिक्षक भर्ती जैसे शैक्षणिक अधोसंरचनाओं एवं छात्रावास, खेल एवं मनोरंजन सुविधाओं सहित छात्रों की सुख सुविधाओं की विकास योजना बताई गई हो।

3) भविष्य की योजना सहित भूमि उपयोग की पद्धति को संकेतित करने वाली वास्तु महायोजना।

4) शिक्षक भर्ती, प्रतिधारण एवं विकास संबंधी नीति।

5) शैक्षणिक एवं प्रशासनिक शासन की संरचना।

6) छात्रों के शुल्क द्वारा प्राप्त धन के अतिरिक्त पूंजी एवं परिचालन व्यय के वित्तपोषण के स्रोत; तथा

7) अनुमानित संसाधन एवं उनके उपयोग का कार्यक्रम।

e) जिस वर्ष एक अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रम विषय के साथ पाठ्यक्रम आरंभ होना प्रस्तावित है, उस वर्ष भी असाधारण परिस्थितियों में आवेदन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते यह आग्रह उस वर्ष के 31 मार्च के पहले किया गया हो एवं इसके लिए विलम्ब शुल्क (अकादमिक परिषद्एवंकार्यकारिणीपरिषद् द्वारा समय-समय पर तय किया गया) जमा किया गया हो।

यह कि आगामी या अतिरिक्त सम्बद्धता हेतु आवेदन कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जायें तथा आवेदन के साथ इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट प्रकरणों से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी संलग्न हो। आवेदन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्तावित वर्ष के 31 मार्च तक अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए।

f) सरकार की मान्यता एवं सहमति के लिए आवश्यक समस्त आवेदन निजी शिक्षण संस्थानों के शासी निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा जिस वर्ष पाठ्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है उसके पहले के शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में ही सरकार को भेजे जाएंगे।

g) सरकारी महाविद्यालयों के संदर्भ में, सरकार की सहमति का प्रस्ताव संबंधित विभाग/केंद्रक अभिकरण द्वारा बनाए जाएंगे। सरकार की मान्यता एवं सहमति के समस्त प्रस्तावों को 31 दिसंबर तक सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा निपटाया जाएगा। इसके बाद संबद्धता के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

h) विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक जांच करेगा, एवं यदि संतोषजनक पाये जाने पर, विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के अंदर, संबद्धता प्राप्त करने संबंधी समस्त जरुरीअपेक्षाओं के भौतिक सत्यापन के लिए तीन महीने की अवधि के अंदर निरीक्षण करने संबंधी एक पत्र जारी करेगा।

i) कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कराया जाएगा, इस समिति में सम्मिलित होंगे:

i. प्रत्येक प्रस्तावित विषय से जुड़ा हुआ एक विशेषज्ञ।

ii. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्/इनके समकक्ष विश्वविद्यालय का एक शिक्षाविद।

iii. सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से नीचे के स्तर का न हो, एवं

iv. पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी या विश्वविद्यालय का एक इंजीनियर, जो कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे का न हो।

j) कुलपति द्वारा नामित आचार्य स्तर के विषय विशेषज्ञों में से एक समिति के अध्यक्ष होंगे।

k) समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधिवत निर्मित की गई निरीक्षण समिति की प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण के तीन महीने के अंदर विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद् में इस पर विचार करेगा एवं महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने या न करने संबंधी लिखित कारण सहित निर्णय लेगा।

l) उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर, महाविद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीटों की संख्या विश्वविद्यालय तय करेगा।

m) संबद्धता देने या न देने के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

n) इस अध्यादेश में निर्धारित निरीक्षण प्रक्रिया के आधार पर महाविद्यालय एवं उसके अध्ययन कार्यक्रमों की अस्थायी संबद्धता विश्वविद्यालय द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जाएगी।

o) यदि विश्वविद्यालय किसी भी कारण से महाविद्यालय को संबद्धता नहीं देने का निर्णय करता है एवं संबद्धता प्राप्त करने की शर्तों/अपेक्षाओं को पूर्ण करने में उसकी विफलता को लिखित रूप में दर्ज करता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय इन शर्तों/अपेक्षाओं को पूर्ण करने के बाद संबद्धता के लिए फ़िर से आवेदन कर सकता है, लेकिन ऐसा वह पहले आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से छ: माह के पहले नहीं कर सकता।

5. स्थायी संबद्धता के लिए पात्रता मानदंड

a) महाविद्यालय द्वारा अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने के बाद के कम से कम पाँच वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन एवं विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./एस.आर.ए. द्वारा समय-समय पर निर्धारित अकादमिक एवं प्रशासनिक मानकों को बनाए रखना।

b) अध्यादेश में निर्धारित भवनों एवंसमस्त बुनियादी संरचनाओं/सुविधाओं का महाविद्यालय द्वारा निर्माण पूर्ण कर लिया गया हो।

c) यू.जी.सी./सरकारी वेतनमान पर समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति (सरकारी महाविद्यालय के संदर्भ में नियमित तौर पर नियुक्त)।

d) महाविद्यालय को एन.ए.एस. या केंद्र/राज्य सरकार की किसी अन्य वैधानिक मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा मान्यता।

e) महाविद्यालय में मानदंडों के अनुसार महाविद्यालय परिषद् का विधिवत गठन।

6. स्थायी संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

a) ऐसे महाविद्यालय जो स्थायी संबद्धता प्राप्त करना चाहते हैं,उन्हे अस्थायी संबद्धता के पाँच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात किसी भी समय विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पक्ष में निर्देशानुसार निर्धारित शुल्क का एक बैंक ड्राफ़्ट/ऑनलाइन शुल्क जमा कर निर्धारित प्रारूप में कुलसचिव को एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।

b) स्थायी संबद्धता की प्रक्रिया इस विनियम में उल्लेखित अस्थायी संबद्धता की प्रक्रिया के समान ही होगी।

c) यदि विश्वविद्यालय किसी भी कारण से महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता नहीं देने का निर्णय करता है एवं संबद्धता प्राप्त करने की शर्तों/अपेक्षाओं को पूर्ण करने में उसकी विफलता को लिखित रूप में दर्ज करता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय इन शर्तों/अपेक्षाओं को पूर्ण करने के बाद संबद्धता के लिए फ़िर से आवेदन कर सकता है, लेकिन ऐसा वह पहले आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से छ: माह के पहले नहीं कर सकता। स्थायी संबद्धता प्राप्त नहीं कर पाने की स्थिति में महाविद्यालय की अस्थायी संबद्धता बरकरार रहेगी।

7. नए अध्ययन कार्यक्रमों को सम्मिलित करने हेतु आवेदन करने की पात्रता

a. विश्वविद्यालय द्वारा नए कार्यक्रमों को जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव को उच्च शिक्षा के लिए समान रूप से सुविधाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के बाद ही माना जाएगा, विशेष रूप से जब इसके अधिकार क्षेत्र के

अंदर के उपेक्षित, अविकसित, ग्रामीण, पहाड़ी आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया हो।

b. नए कार्यक्रम को जोड़ने के लिए दिये जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पक्ष में निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क का एक बैंक ड्राफ़्ट/ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा।

c. महाविद्यालय में अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया इस अध्यादेश में अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया के समान ही होगी।

8. संबद्धता वापस लेना

a. संबद्धता द्वारा महाविद्यालय को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों को आंशिक या पूर्ण रूप से, निलंबित या संशोधित करके वापस ले लिया जाएगा, यदि महाविद्यालय, निरीक्षण के दौरान अधिनियमों, सांविधियों, अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों के किसी भी प्रावधान या यू.जी.सी./विश्वविद्यालय/एस.आर.ए. के किसी अन्य दिशा या निर्देश का पालन करने में विफल पाया जाता है, या संबद्धता की शर्तों में से किसी का पालन करने में विफल पाया जाता है, या शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मानकों एवं विश्वविद्यालय के हित के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वग्रहपरक आचरण करता हुआ पाया जाता है।

b. यदि कोई संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना कार्य करना बंद कर देता है या किसी भिन्न स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी भिन्न सोसायटी, न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को दी गई संबद्धता ऐसे स्थानांतरणों पर, चाहे संबंधित प्रकरण होने पर,स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं भविष्य में संबद्धता के संदर्भ में इसे एक नया महाविद्यालय माना जाएगा। विश्वविद्यालय/सरकार का कर्तव्य होगा कि वह अपने निर्णय के कारण प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक/कैरियर संबंधी संभावनाओं का उचित तरीके से ध्यान रखे।

c. विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यू.जी.सी. अपने आप, या किसी शिकायत के आधार पर या किसी अन्य स्रोत से मिली किसी अन्य सूचना या प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के खिलाफ़ जाँच बैठा सकता है एवं महाविद्यालय को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, यू.जी.सी. अधिनियम की धारा (12ए)(4) के अधीन विश्वविद्यालय किसी भी निर्दिष्ट पाठ्यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे किसी भी छात्र को योग्यता/उपाधि प्रदान करने से महाविद्यालय को रोक देने का आदेश पारित कर सकता है एवं ऐसी परिस्थिति में यू.जी.सी. अधिनियम की धारा (12ए)(5) के अनुसार महाविद्यालय की संबद्धता स्वत: समाप्त हो जाएगी।

d. यदि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की संबद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है, या विश्वविद्यालय/यू.जी.सी. के आदेश से संबद्धता अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में इस तरह के निर्णय से महाविद्यालय के ऐसे छात्रों के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका पाठ्यक्रम ऐसे आदेश के पारित होते समय जारी था एवं वे जिस पाठ्यक्रम में पंजीकृत थे उसकी सामान्य अवधि के पूर्ण हो जाने तक यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय/सरकार का कर्तव्य होगा कि वह अपने निर्णय के कारण प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक/कैरियर संबंधी संभावनाओं का उचित तरीके से ध्यान रखे।

e. विशेषाधिकारों से पूर्णरूपेण वंचित होना

i. कोई महाविद्यालय संबद्धता वापस लिए जाने के साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समस्त विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा यदि :

1. अध्यादेश में निर्दिष्ट किसी भी विश्वविद्यालयी परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों एवं गतिविधियों में सम्मिलित होने एवं निषिद्ध गतिविधियों में लिप्त होने के प्रमाण मिलते हैं;

2. विश्वविद्यालय परीक्षा, निरीक्षण एवं अन्य सहयोगी कार्यों के संचालन में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं अधिकारियों के साथ असहयोग किया जाता है;

3. छात्रों के प्रवेश के मानदंडों का घोर उल्लंघन होता है; एवं

4. प्रति व्यक्ति शुल्क या दान के संग्रहण का प्रमाण मिलता है ऐसी स्थिति में

a. महाविद्यालय की संबद्धता को समाप्त करने के साथ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को वापस लेने का एकमात्र अधिकार कार्यकारिणी परिषद् को होगा, जो उसके द्वारा नियुक्त समिति की जाँच पर आधारित होगा।

b. महाविद्यालय को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

f. महाविद्यालय की आंशिक असंबद्धता

i. एक संबद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से वंचित होगा :

1. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्रों का लगातार असंतोषजनक प्रदर्शन, खासकर यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम के छात्रों का प्रदर्शन लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय के औसत मानक से कम हो या किसी परीक्षा में लगातार तीन वर्षों तक तीस प्रतिशत से कम छात्र उत्तीर्ण हों।

2. यू.जी.सी. के मानदंडों एवं कार्यभार के अनुसार महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति न कर पाना, एवं

3. अध्यादेश में निर्दिष्ट पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्ययन-कक्ष, खेल सुविधाएं, छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था इत्यादि जैसी सुविधाओं की कमी।

9. अन्य नियम एवं विनियम

a. विषयों का नवीन संयोजन प्रदान करने के लिए

i. इस अनुबंध के अधीन कि सम्बन्धित महाविद्यालय को आवास, स्टाफ एवं उपकरणों के सम्बन्ध में अकादमिक परिषद्/कार्यकारिणी परिषद् को संतुष्ट करना होगा। एक से अधिक वैकल्पिक विषय के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय को अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ऐसे विषयों के किसी भी संयोजन में अनुदेश देने की अनुमति होगी, बशर्ते महाविद्यालय को ऐसे अनुदेश देना प्रारंभ करने के प्रस्तावित वर्ष के ठीक पहले के अंतिम सत्र समाप्ति के पूर्व ही अकादमिक परिषद्/कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष इस आशय का कथन/विवरण देना होगा।

ii. यह महाविद्यालय की इच्छा पर निर्भर करेगा कि उसने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार को प्राप्त करने या इसके अतिरिक्त या आगामी संबद्धता के लिए जो आवेदन दिया है उसे वापस ले ले, परंतु इस मामले में कार्यकारिणी परिषद् अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जमा शुल्क में से अधिकतम 25 प्रतिशत की कटौती प्रक्रिया शुल्क के रूप में कर शेष राशि लौटा दे, बशर्ते कि संबद्धता के लिए निरीक्षण करने के लिए कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं की गई हो।

b. महाविद्यालय विवरणियां

i. अकादमिक परिषद्/कार्यकारिणी परिषद् के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक महाविद्यालय को निर्दिष्ट अंतराल पर ऐसे विवरणियां एवं विश्वविद्यालय/एस.आर.ए. द्वारा निर्धारित मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षण, प्रशासनिक एवं अन्य पहलुओं में दक्षता के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए बुलाए।

c. पंजिका एवं अभिलेख

i. प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पंजिकाओं एवं अभिलेखों का विश्वविद्यालय/एस.आर.ए. द्वारा निर्धारित तरीकों एवं मानकों के अनुरूप रख-रखाव किया जाएगा:

1. प्रवेश एवं प्रवेश-वापसी की एक पंजिका।
2. उपस्थिति की एक पंजिका।
3. छात्रों के स्थायी एवं स्थानीय पते सहित उनके स्थानांतरण एवं प्रव्रजन की भी एक पंजिका।
4. कर्मचारियों के नाम, योग्यता, पिछले अनुभव, वेतन, पढ़ाए जाने वाले विषय एवं कक्षाओं के साथ आवंटित कार्यों के घंटों की संख्या दर्शाने वाली एक पंजिका।
5. भुगतान की तारीखों को दर्शाने वाली एक शुल्क-पंजिका।
6. शुल्क प्राप्ति पुस्तिका की समस्त काउंटरफॉइलें।
7. ट्यूशन, आवास या खानपान सहित समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं रियायतों की एक पंजिका।
8. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की समस्त काउंटरफॉइल पुस्तकें।
9. छात्रों के समय-समय पर हुए चिकित्सा निरीक्षणों की प्रतिवेदन को दर्शाने वाली एक पंजिका।
10. महाविद्यालय की परीक्षाओं में प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की एक पंजिका;
11. महाविद्यालय की वित्तीय लेन-देन को दर्शाने वाला खाता-बही, जो प्रबंधन से अलग हैं; तथा
12. एक सामान्य कैश-बुक।
13. स्टॉक पंजिका (सामान्य एवं प्रयोगशालाओं के लिए, यदि कोई हो)
14. पुस्तकालय दस्तावेज एवं पंजिका।
15. एडहॉक / संविदा / अस्थायी कर्मचारियों की पंजिका।
16. कर्मचारियों का वेतन रोल।

d. **यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12(बी) एवं/या धारा 2(एफ) के अधीन महाविद्यालय के अनुदान को रोकना एवं/या सूची से हटाना**: यदि कोई महाविद्यालय धारा 2 (एफ) के अंतर्गत आता हो एवं धारा 12(बी) के अधीनयू.जी.सी. अनुदान प्राप्त करता हो एवं वह विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है ऐसी स्थिति मेंयू.जी.सी. जो भी उचित समझे उसके अधीनयू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) एवं/या 12(बी) के अधीन महाविद्यालय का अनुदान रोक सकती है एवं/या आयोग द्वारा बनाए गए महाविद्यालयों की सूची से उसे बाहर कर सकती है।

10. समस्याओं का निराकरण :-इन समस्त प्रावधानों के इतर यदि कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में उसका निराकरण कुलपति द्वारा किया जाएगा। इस अध्यादेश में कथित/अंकित किसी भी खंड की व्याख्या में यदि कोई विवाद अथवा संदेह उत्पन्न होता है ऐसी स्थिति में उसे कुलपति के पास भेजा जायेगा, इस सम्बन्ध में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस अध्यादेश में सम्मिलित होने के बावजूद, कार्यकारिणी परिषद् से पुष्टि कराने के पश्चात् कुलपति ऐसे कदम उठा सकते हैं, जिनसे समस्याओं का निराकरण हो सके।

विश्वविद्यालय,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य संबंधित सांविधिक नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधनों को स्वतः संज्ञान से स्वीकार

करेगा तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू करेगा। ऐसे परिवर्तन/संशोधनों की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तदनंतर पुष्टि की जायेगी।

परिशिष्ट 1

अधिकारियों के कमरों की माप

विवरण	माप	अन्य संलग्नक
प्रधानाध्यापक कार्यालय कक्ष	30 वर्ग मीटर	संलग्न शौचालय
प्राध्यापक सामान्य कक्ष	40-50 वर्ग मीटर	पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग संलग्न शौचालय
सभा कक्ष	50 वर्ग मीटर	पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग संलग्न शौचालय
कार्यालय कक्ष	30-50 वर्ग मीटर	दस्तावेजीकरण के अलमारियों, शुल्क खिड़कीइत्यादि ले लिए स्थान
पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष (अलग से चिह्नित) सहित	300 वर्ग मीटर	-
छात्र सामान्य कक्ष	60-80 वर्ग मीटर	संलग्न शौचालय
छात्रा सामान्य कक्ष	60-80 वर्ग मीटर	संलग्न शौचालय
सार्वजनिक शौचालय	प्रति 50 छात्रों पर एक एवं प्रति 30 कर्मचारियों पर एक	1.छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय 2. कर्मचारियों (पुरुष एवं महिला) के लिए अलग-अलग शौचालय 3. मानक मापदंडों के अनुसार चिह्नित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय (पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग)
प्राथमिक चिकित्सा कक्ष	15 वर्ग मीटर	संलग्न शौचालय
एन.एस.एस./एन.सी.सी./वाई.आर.सी./ खेल कार्यालय	20 वर्ग मीटर	प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग-अलग
बाधा मुक्त वातावरण (चिह्नित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए)	चिह्नित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पकड़ने वाले रैम्प, लिफ़्ट, एलिवेटर तथा अन्य उचित साधनों के रूप में	

2. अध्ययन कक्षों की माप: प्रत्येक व्याख्यान कक्ष/संगोष्ठी कक्ष/पुस्तकालय में प्रति छात्र 15 वर्ग फुट/1.394 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए। प्रयोगशाला में प्रति छात्र फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग फुट/1.858 वर्ग मीटरप्रदान करना चाहिए।

विशेष विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल कक्ष
मुख्य विषयों के लिए व्याख्यान कक्ष (समस्त छात्र)	01	01	01	03
विशेष/ वैकल्पिक विषयों के लिए व्याख्यान कक्ष (अनुमानत: @ प्रति विषय 50 छात्र)	03	03	03	09
व्याख्यान कक्ष (अनुशिक्षण) (अनुमानत: @ प्रति प्रत्येक समूह 25 छात्र)	03	03	03	09
प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग प्रयोगशाला (अनुमानत:प्रति प्रत्येक समूह 25 छात्र)	01	01	01	03
संगोष्ठी कक्ष	अधिकतम 250-300 छात्रों के बैठने के लिए (200 वर्ग मीटर)			01
प्रशासनिक कार्य हेतु संगणक एकक	150 वर्ग मीटर			01
सूचना प्रद्यौगिकी प्रयोगशाला	100 वर्ग मीटर			02

डार्क कक्ष (भौतिक विज्ञान)	20 वर्ग मीटर	01
प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए तैयारी कक्ष	20 वर्ग मीटर	-
प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए भंडार कक्ष	36 वर्ग मीटर	-
संग्रहालय	70 वर्ग मीटर (वनष्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान हेतु)	-

3. छात्रावासों के लिए

विवरण		**प्रति व्यक्ति जगह**
बैठककक्ष	एक बिस्तर वाला	8-9 वर्ग मीटर प्रति छात्र
	दो बिस्तर वाला	7.5 से 8 वर्ग मीटर प्रति छात्र
	तीन बिस्तर वाला	7 से 7.5 वर्ग मीटर प्रति छात्र
	पीजी/शोध-छात्र/शिक्षक/अन्य कर्मचारी	10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं
सार्वजनिक कक्ष		छात्रावास की क्षमता के 25 प्रतिशत के लिए 2 वर्ग मीटर प्रति उपयोगकर्त्ता की दर से, अधिकतम 60 वर्ग मीटर
भोजन कक्ष		छात्रावास की क्षमता के 50 प्रतिशत के लिए 1 वर्ग मीटर प्रति उपयोगकर्त्ता की दर से, अधिकतम 40 वर्ग मीटर
रसोई एवं रसोई भंडार		प्रति रसोई 0.5 वर्ग मीटर की दर से, अधिकतम 60 वर्ग मीटर
शौचालय खंड		i) 8 छात्रों पर 1 की दर से वॉटरक्लोजेट ii) 6 छात्रों पर 1 की दर से स्नान घर iii) 8 छात्रों पर 1 की दर से शौचालय iv) 8 से 10 छात्रों पर 1 की दर से वॉशबेसिन
रसोई नौकर कक्ष		डब्ल्यूसी एवं स्नान घर सहित 9.60 वर्ग मीटर का एक कक्ष
आगंतुक कक्ष		9.60 वर्ग मीटर का एक कक्ष
बीमार कक्ष		9.60 वर्ग मीटर का एक कक्ष
अध्ययन कक्ष (2 कमरे)		प्रति अध्ययनकर्त्ता2.33 वर्ग मीटर औसत न्यूनतम क्षेत्र
छत की ऊँचाई		3.40 मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल		कुल बैठककक्ष का 2.5 गुना (पिलिंथएरिया के 25 प्रतिशत की दर से परिसंचरण स्थान हो सकता है)
चारदीवारी		छात्रावास के चारों ओर, यदि आवश्यक हो ऐसी स्थिति में
अधीक्षक कक्ष		100 छात्रों पर एक अधीक्षक सहित एक सहायक अधीक्षक होगा। अविवाहित अधीक्षक के लिए दो सिंगल कमरे होंगे। विवाहित अधीक्षक के लिए अधिकतम 115.32 वर्ग मीटर का स्थान होगा।

डॉ. एन. टी. ऋकाम, कुलसचिव
[विज्ञापन-III/4/असा/571/2020-21]

MINISTRY OF EDUCATION

Department of Higher Education

(RAJIV GANDHI UNIVERSITY)

NOTIFICATION

Rono Hills, the 31th March, 2021

No. F. RGU/ADM-38/ORD/10.—By exercising the power vested in terms of the provisions contained under Statute 41 of the Rajiv Gandhi University, the following Ordinances, reproduced as under, have come into effect immediately after the approval of the Executive Council.

Ordinance Relating to

MASTER OF PHILOSOPHY (M. Phil) PROGRAM

(Under Section 6(ii), 31(1)(d) and 31(2) of Rajiv Gandhi University Act, 2006)

PREAMBLE

In exercise of the powers conferred by *Section-6(ii), 31(1)(d) and 31(2) of Rajiv Gandhi University Act, 2006*, and in supersession of all earlier Ordinances in this subject, the University hereby makes the *Master of Philosophy (M.Phil.) Ordinance, 2021*.

1. Short Title, Application and Commencement, Terms Used

a) The Ordinance shall be called *Master of Philosophy (M.Phil.) Ordinance, 2020*. The regulation mentioned herein shall come into force from the date of its notification.

b) This Ordinance shall be regulated by and supplementary to the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D Degrees) Regulations, 2016, University Grants Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018; and amendments thereon.

Terms used

a) Academic Council or AC means the committee formulated by the University under the act, as and with the power vested.

b) Board of Postgraduate Studies (BPGS) means the committee formulated by the University under University Ordinances, as and with the power vested.

c) Candidate means the applicant for the degree of Master of Philosophy (M.Phil.).

d) CoE means Controller of Examinations of the University

e) Departmental Research Committee (DRC) means the committee formulated by the University under this Ordinance, as and with the power vested.

f) Executive Council (EC) means the committee formulated by the University under the act, as and with the power vested.

g) Faculty Board of Studies (FBS) means the committee formulated by the University under University Ordinances, as and with the power vested.

h) Fees means fees prescribed and amended by the University for this Degree, from time to time.

i) Research Advisory Committee (RAC) means the committee formulated by the University under this Ordinance, as and with the power vested.

j) Research Board (RB) of the University means the committee formulated by the University under this Ordinance, as and with the power vested.

k) Research Scholar or Scholar means the candidate after getting himself / herself registered for the degree of M.Phil.

l) RGUMPET means Rajiv Gandhi University M.Phil./Ph.D. Entrance Test, conducted by the University

m) UGC or Commission means University Grants Commission

n) University means Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Doimukh, Arunachal Pradesh.

2. Eligibility Criteria for Admission to the M. Phil Program

The following candidates shall be eligible to seek admission to the Master of Philosophy (M.Phil.) program in the University:

2.1 Candidates for admission to the M.Phil. program having Master's degree in concerned/ relevant subjects or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

2.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled and other categories of candidates as per the decision of the UGC from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

3. Duration of the Program

3.1 M.Phil. shall be offered by the University in regular mode as a full-time course only. The duration of the program shall be for a minimum duration of two (2) consecutive semesters/ one year and a maximum of four (4) consecutive semesters / two years.

3.2 The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) shall be additionally allowed a relaxation of one year for M.Phil. in the maximum duration. In addition, the women candidates shall be provided Maternity Leave/ Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil./Ph.D. for up to 240 days.

3.3 A further relaxation in the maximum duration of the M.Phil. course by another six months shall be provided on due approval from the RB only in case of epidemic, natural disaster, serious illness leading to hospitalization and otherwise such very exceptional and well admissible cases thereby affecting the research work of the scholar / submission of the thesis prior to the expiry of the maximum period. No further extension beyond this period shall be admissible under any circumstances.

3.4 A relaxation in the maximum duration shall be admissible to a scholar thereby enabling him / her to resubmit the thesis after revision on such recommendation of the External Examiner(s).

4. Procedure for Admission

4.1 The University shall admit M.Phil. student(s) through an Entrance Test (RGUMPET) or any other similar procedure approved by the AC from time to time as per UGC Regulation 2016 and its amendments thereon.

4.2 The concerned DRC of the Department/Institute/Centre of the University shall decide the intake capacity prior to notification of RGUMPET for ensuing academic session after having a formal consultation with eligible Research Supervisor(s) and by taking into account the number of vacant seats under them as per the provisions of this ordinance, in specific area(s) of research within the given subject/discipline, and the existing academic and physical facilities available for research including laboratory, library and such other essential requirements for the research work.

4.3 The intake capacity as decided and consequently approved by the University authority shall be notified well in advance in the University website and through advertisement in at least one (1) national newspaper and one (1) local newspaper. The detailed advertisement in the University website shall reflect the number of available seats for admission in a particular Department/Institute/Centre and precise area of research, if any, within the subject, distribution of seats for different categories, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where RGUMPET shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.

4.4 RGUMPET shall be a two-stage process i.e. Written test, and Interview/Viva-voce. The syllabus of RGUMPET written test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific based on the syllabus approved for the Master's degree in the concerned subject by the University.

4.5 RGUMPET written test shall be qualifying with aggregate qualifying marks as 50%. A relaxation of 5% of marks, from 50% to 45% shall be allowed for the candidates belonging to SC/ST/OBC(NCL)/Differently-Abled categories.

4.6 RGUMPET written test qualified candidates shall be called on for interview/viva-voce in 3:1 ratio against the number of seats notified for admission in a given subject/discipline. The name list of such candidates belonging to various reservation categories as mentioned in this ordinance shall be prepared on the basis of their secured score in RGUMPET written test and also the choice mentioned by them in the application for the specific area(s) of research within the given subject/discipline, if so specified and advertised by the concerned Department/Institute/Centre together with the number of seat(s) available

in that specific area(s) of research. The list shall be published on University website; and the selected candidates shall be informed through email and/or text message.

4.7 Candidates who fulfil the minimum eligibility conditions mentioned under Clause 2 above and have qualified UGC-NET (including JRF)/UGC-CSIR NET (including JRF)/State Level Eligibility Test (SLET) accredited by UGC/GATE (only for Engineering and Technology courses) shall be exempted from RGUMPET. All the in-service candidates shall submit along with application a "No Objection Certificate" from their employer/ competent authority with a specific mention therein that requisite twenty-four months study leave for pursuing M.Phil. course as a regular scholar shall be sanctioned consequent upon his/her selection. The non-submission of NOC, latest by the time of viva-voce, by the in-service candidates shall make them liable to forfeit their claim to the selection to this program.

4.8 A self-financing foreign national who is admitted through the Embassies/High commission of his/her country or admitted under a MoU with due clearance from the Indian Missions abroad shall also be exempted from appearing the RGUMPET. As per revised guidelines/ instructions of the Department of Higher education, MoE, GoI on grant of research visa, the foreigners who desire to undertake research in India, shall therefore, apply to the concerned Indian Missions abroad with the brief synopsis of the research project to be undertaken in India, the details of places to be visited, previous visits, whether the scholar has secured admission into a recognized or reputed institution and evidence of financial resources.

4.9 The eligibility for exemption from the entrance examinations (RGUMPET) shall be decided by the University on the criterion, as provided by the UGC and the present Ordinance.

4.10 A candidate shall be considered exempted from RGUMPET written test as per the above clauses provided that such exemption has been sought in the application form. Such exempted candidates shall be eligible to appear directly in interview/viva-voce to be conducted by the respective department/institute/center provided their choice for pursuing research in specific area(s) within the given subject/discipline, if any, shall be in conformity with such requirement as specified and advertised.

4.11 Candidates shall be required to discuss their research interest/area through a presentation during interview/viva-voce before DRC/ duly constituted Board of respective Department/ Institute/Centre.

4.12 The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether

(i) the candidate possesses the competence for the proposed research;
(ii) the research work can be suitably undertaken at the University;
(iii) the proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

4.13 Selection of candidates shall be made in order of merit. RGUMPET written test appearing candidates shall be shortlisted giving a weightage of 70% for the written test and 30% to the performance in the interview/viva-voce whereas the candidates belonging to exempted category as specified in the above clauses shall be shortlisted on the basis of their marks secured in the interview/viva-voce.

4.14 40% of the seats of the M.Phil. course in the Department/Institute/Centre shall be kept for the RGUMPET appearing candidates and remaining 60% for the RGUMPET exempted candidates. However, the seats shall be inter-convertible in case of non-availability of qualified and/or suitable candidate(s) in either of these two categories. An exempted candidate may also appear in RGUMPET written test provided he/she submits separate applications for both the categories (exempted and non-exempted), and in such cases his/her result shall be prepared separately for both the categories on the basis of merit as mentioned in above clauses.

4.15 Further, reservation of seats for different categories of candidates shall be as per the latest Reservation Policy of the Government. In case, the seats allotted for SC/ST/OBC (non-creamy layer)/EWS/Differently-Abled categories remain unfilled, the University shall launch a Special Admission Drive for that particular category, devise within one month from the date of closure of admissions of general category by adopting suitable mechanisms along with eligibility conditions mentioned under clause 4.5 to ensure that most of the seats under these categories are filled.

4.16 The candidate shall be considered as a registered M.Phil. scholar from the date of admission in the

course and shall be allotted a Registration Number by the academic branch of the University. The Registration Number shall be mentioned in all documents and future communications / correspondences, and certificates.

4.17 The academic branch shall maintain the list of all the registered M.Phil. scholars on the University's website on year-wise basis, mentioning their names, topic of research, name of supervisor, date of enrolment and registration number.

5. Allocation of Research Supervisor

5.1. The department/center/institute shall take utmost care to assign a supervisor to the selected candidates based on their specialisation and area of research domain.

5.2. Any regular Professor of the University with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the University with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals shall be recognized as Research Supervisor/Co-supervisor. However, the Assistant Professor shall have to clear his/her probation period to become eligible for Research Supervisor/Co-supervisor.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the Academic Council of the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor/ Co-supervisor with reasons recorded in writing.

5.3. Only a full-time regular teacher of the University shall act as a Supervisor/Co-supervisor. The external supervisor(s) shall not be allowed. In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department/Institute/Centre concerned feels that the expertise in the Department/Institute/Centre has to be supplemented by other Faculty/ Department/ Institute/ Centre within the University OR from outside Institutions, a Co-Supervisor may be appointed on recommendation of the RAC with due approval from DRC and FBS on such terms and conditions as may be specified and agreed upon with the consenting Department/Institute/Centre/ Faculty.

5.4. The allocation of Research Supervisor for a selected M.Phil. Scholar shall be decided by the concerned DRC depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.

5.5. A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, shall not guide more than three (3) M.Phil. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor shall guide up to a maximum of two (2) M.Phil. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor shall guide up to a maximum of one (1) M.Phil. scholar.

5.6. In case of a Co-supervisor, all research scholars shall be counted towards the quota of both the Supervisor and the Co-supervisor. All research scholars registered for M.Phil. shall be counted within the quota till they submit their theses.

5.7. In case of relocation of an M.Phil. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the other University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations shall be followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ Supervisor from any funding agency. The scholar shall however give due credit to the parent Supervisor(s) and the University for the part of research already done.

6. Course Work (Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.)

6.1. The credit assigned to the M.Phil. course work shall be a minimum of 8 credits and a maximum of 16 credits.

6.2. The course work shall be treated as prerequisite for M.Phil. preparation. The Department/Institute/Centre shall assign a minimum of four credits to one or more courses on Research Methodology covering areas such as quantitative methods, computer applications, and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Additionally, there shall be a compulsory course paper of two credits on Research and Publication ethics (as per the directives of

UGC vide DO no – F.1-1/2018(Journal/CARE) dated December 2019). Other courses shall be advanced level courses preparing the students for M.Phil. degree.

6.3. The course work for M.Phil. shall be prescribed by the BPGS of the concerned Department/Institute/Centre and approved by the FBS and the AC. All courses prescribed for M.Phil. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. The concerned Departmental Board of Studies (DBS) shall slightly modify/ upgrade the contents of the course work as and when required and implement the same from next academic session on approval by the FBS and the AC.

6.4. The Department where the M.Phil. scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the RAC, as stipulated under Clause 8.1 below, and approved by the DRC.

6.5. The course work shall be evaluated on the basis of the performance of the scholar in the Internal Assessment Examination(s) to be conducted by the concerned Department/ Institute/ Centre, and the End Semester Examination to be conducted by the University. The weightage for the Internal Assessment and the End Semester Examination shall be in 25:75 ratio. In case, the scholar fails to secure a minimum of 55% marks in the Internal assessment examination, he/she shall be discontinued to pursue the program.

6.6. An M.Phil. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the program and submit his/her thesis. In case the scholar fails to complete the course work by the end of Even Semester Examination, a supplementary examination shall be conducted by the University within two months from the date of declaration of the result. However, the scholar shall be discontinued from the program if he/she fails again to clear the supplementary examination.

7. **Research Advisory Committee and its functions**

7.1 The DRC shall constitute a four member RAC for each M.Phil. scholar, with three members from the department/institute/centre and one member from the cognate/related department on advice of his/her supervisor. Co-supervisor, if any, shall be an additional member in the RAC. In cases where RAC requires inclusion of relevant expertise from outside the University department, an external member shall be included with proper justification. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. If the number of faculty members in a Department/ Institute/ Centre is not enough for constituting a RAC, then the RAC for the scholar shall be constituted with members from concerned/cognate department(s) or members from other University/institute.

7.2 The RAC shall have the following responsibilities:

7.2.1 To review the research proposal and finalize the topic of research;

7.2.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she shall have to do.

7.2.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the scholar.

7.3 An M.Phil. scholar shall appear before the RAC by end of every semester to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The progress report of the scholar shall be submitted to the University by the RAC through the Head of the department and the Dean of the concerned faculty.

7.4 In case the progress of the M.Phil. scholar is unsatisfactory, the RAC shall record its reasons and suggest for corrective measures, on approval by the Head of the department and the Dean of the concerned faculty. If the M.Phil. scholar fails to implement those corrective measures, the RAC shall recommend with specific reasons to the University through DRC and the Dean for cancellation of the registration of the M.Phil. Scholar.

7.5 Submission of six-monthly progress report on time shall be mandatory for every M.Phil. Scholar and a pre-condition to the release of Non-NET fellowship by the University and forwarding of the application for release of fellowship by the research scholars with JRF fellowship.

8. **Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:**

8.1 The overall minimum credit requirement, including credit for the course work of minimum 4 papers, for the award of M.Phil. degree shall not be less than 24 credits. The credit assigned for dissertation shall be of 12 credits (8 credits for thesis and 4 credits for viva-voce).

8.2 Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 5.5, as the case may be, the M.Phil. scholar shall be required to undertake research work. He/She shall submit his proposed topic of research to the DRC after finalization/recommendation by the RAC.

8.3 The M.Phil. Scholar shall produce a draft dissertation one month before the end of final semester of the M.Phil. program and shall make a presentation in the Department before the RAC which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them shall be suitably incorporated into the draft dissertation in consultation with the RAC.

8.4 The M.Phil. scholar shall present at least one (1) research paper in a conference/seminar before the submission of the dissertation for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificate.

8.5 The dissertation shall be subjected to detection of plagiarism and other forms of academic dishonesty by the Research Supervisor using the URKUND or any other software/gadgets as decided by the Academic Council, and a certificate generated thereupon shall be attached with the dissertation. While submitting for evaluation, the dissertation shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor(s) in prescribed format by the University attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the University where the work was carried out, or to any other Institution, and also that provisions of the University Ordinance for the award of M.Phil. degree is fulfilled. The Head of the department shall forward the dissertation to the Controller of Examinations. The scholar shall submit the hard copies of the dissertation along with its electronic copy to the Office of the Controller of Examination through the Head of the concerned department/ center/ institute.

8.6 The dissertation submitted by the M.Phil. scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor, one Faculty not below the rank of Associate Professor of the Cognate Department, and one external examiner who is not in the employment of the University. The RAC shall submit through the Head of the Department a panel of five (5) external examiners and two (2) internal examiners from cognate department, not below the rank of Associate Professor or an equivalent position, to the CoE for approval by the Vice Chancellor, who shall decide the names of the one internal examiner from cognate department, and two external examiners in order of priority; and communicate the same to the Controller of Examinations for despatching the dissertation to the first external examiner and the Internal examiners.

8.7 The University shall adopt appropriate efficient mechanism so as to complete the entire process of evaluation of M.Phil. dissertation within a period of three months from the date of its submission. For the sake of expediting the evaluation process, the Controller of Examinations shall also email the soft copy of the dissertation to both internal and external examiners along with a prescribed format for submitting the evaluation report. The office of the Controller of Examination of the University shall send a gentle reminder to the external examiner through email after 30 (thirty) days from the date of despatch of the dissertation followed by weekly reminders. In case, the external examiner does not send his evaluation report within 15 (fifteen) days from the date of the first reminder, then the dissertation shall be sent to the second examiner. The examiners shall submit a signed copy of the evaluation report in the given format and the same shall also be sent through email.

8.8 The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation shall be conducted only if the evaluation report of the external examiner on the dissertation is satisfactory. If the external examiner recommends for a revision, then the University shall communicate the same to the candidate and the supervisor to comply. The revised thesis shall be forwarded to the external examiner to submit the report within 15 (fifteen) days. The thesis shall be summarily rejected after the 2nd unsatisfactory compliance and the degree shall not be awarded.

8.9 If the evaluation report of the external examiner is for rejection of thesis, the University shall send the

dissertation to the second selected external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is not satisfactory, the dissertation shall be rejected and the M.Phil. scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

8.10 The viva-voce examination of the scholar, based among other things, on the critiques given in the evaluation report by both the examiners (Internal and External), shall be conducted by DRC, and shall be open to Members of the RAC, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/ researchers.

9. Award of Degree and Depository with INFLIBNET: After successful *viva-voce*, the scholar shall submit corrected copies of the dissertation, if so, asked by the examiners, along with its electronic copy through RAC to the CoE. On receipt of the same, the CoE shall send the electronic copy within 15 days to the University Library for uploading the same on INFLIBNET. The CoE shall convene the meeting of the RB of the University, normally to be held monthly, on consent of the Vice-Chancellor/Competent authority and place all relevant documents for obtaining its approval for the award of M.Phil. degree to the scholar. The year of examination shall be considered as the year of award of the M.Phil. degree. Subsequent to approval, the CoE shall issue a notification and provisional certificate to the effect that the M.Phil. Degree has been awarded in accordance with the provisions of the UGC Regulations, 2016. The M.Phil. degree shall be awarded to the scholar in the next convocation of the University. The copies of the thesis evaluation report of the examiners shall be issued to the M.Phil. awardee, on application to the CoE, only after six months from the date of notification of awarding M.Phil. degree.

10. Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by Colleges for getting recognition for offering M.Phil./Ph.D. programs: Post-graduate Departments of Colleges affiliated to the University and Research Laboratories of Government of India/State Government to offer M.Phil. programs only if they satisfy the terms and conditions mentioned in the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees Regulations, 2016) and M.Phil. Ordinance of the University.

11. Removal of difficulties: Any doubt or dispute about the interpretation of the clause mentioned herein this Ordinance shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final and binding. Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the Vice-Chancellor shall take such measures as may be necessary for removal of difficulties subject to ratification by the Academic Council.

12. The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the UGC/MoE/Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

****

Ordinance Relating to

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) ORDINANCE, 2020

PREAMBLE

In exercise of the powers conferred by *Section-31(2) of Rajiv Gandhi University Act, 2006*, and in supersession of all earlier ordinances in this subject, the University hereby makes the following Ordinance, namely *Doctor of Philosophy (Ph.D.) Ordinance, 2020.*

1. Short Title, Application and Commencement, Terms Used

a) The ordinance shall be called *Doctor of Philosophy (Ph.D.) Ordinance, 2020* under Rajiv Gandhi University Act, 2006. The regulation mentioned herein shall come into force from the date of notification of the ordinance of the Rajiv Gandhi University.

b) This ordinance shall be regulated by and as supplementary to the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016 and amendments thereon, and University Grants Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018.

Terms used

a) Academic Council or AC means the committee formulated by the University under the constitution, as and with the power vested.
b) Board of Postgraduate Studies (BPGS) means the committee formulated by the University under University ordinances, as and with the power vested.
c) Candidate means the applicant for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.).
d) CoE means Controller of Examinations of the University
e) Departmental Research Committee (DRC) means the committee formed by the University under this ordinance, as and with the power vested.
f) Executive Council (EC) means the committee formed by the University under the constitution, as and with the power vested.
g) Faculty Board of Studies (FBS) means the committee formed by the University under University ordinances, as and with the power vested.
h) Fees means fees prescribed and amended by the University for award of this Degree, from time to time.
i) Research Advisory Committee (RAC) means the committee formed by the University under this Ordinance, as and with the power vested.
j) Research Board (RB) of the University means the committee formed by the University under this Ordinance, as and with the power vested.
k) Research Scholar or Scholar means the candidate after getting himself / herself registered for the degree of Ph.D.
l) RGUMPET means common Rajiv Gandhi University M.Phil./Ph.D. Entrance Test conducted by the University
m) UGC or Commission means University Grants Commission
n) University means Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Doimukh, Arunachal Pradesh.

2. Eligibility Criteria for Admission to the Ph.D. Programme

The following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. programme in the University:

2.1 For admission to the Ph.D. programme, candidates having a Master's degree in concerned/relevant subjects or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, are eligible.

2.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, shall be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-abled and other categories of candidates as per the decision of the UGC from time to time, or for those who have obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark.

2.3 Candidates who have been awarded M.Phil. Degree as per UGC regulation 2009 or 2016 as the case may be, and have cleared the M.Phil. course work with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) shall be eligible for exemption from the written test. However, the M.Phil. Degree should not have been obtained through Open and Distance Learning Mode (ODL).

2.4 Candidates possessing a Degree, considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a Foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. programme.

2.5 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, shall be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled and other categories of M.Phil. Degree candidates as per the decision of the UGC from time to time.

2.6 A bonafide student of this University whose M.Phil. dissertation has been evaluated and the *viva-voce* is pending shall be admitted to the Ph.D. programme of the University provided one fulfils the other eligibility conditions as mentioned in clause 2.3 and 2.5.

3. Duration of the Programme

3.1 Ph.D. shall be offered by the University in regular mode which shall be either a full-time or a part-time course subject to fulfilment of the conditions mentioned in this ordinance. The duration of the Ph.D. course shall be of minimum of Three years and maximum of 6 (Six) years including the course work period.

3.5 The Women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) shall be additionally allowed a relaxation of 2 (two) years in the maximum duration. In addition, the women candidates shall be provided Maternity Leave/ Child Care Leave for up to 240 days, once in the entire duration of Ph.D.

3.6 A further relaxation in the maximum duration of the Ph.D. course by another six months shall be provided on due approval of the RB only in case of epidemic, natural disaster, serious illness leading to hospitalization and otherwise such very exceptional and well admissible cases thereby affecting the research work of the scholar / submission of the thesis prior to the expiry of the registration period. No further extension beyond this period shall be admissible under any circumstances.

3.7 A relaxation in the maximum duration mentioned above shall be admissible to a scholar thereby enabling him / her to resubmit the thesis after revision on such recommendation of the External Examiner(s).

4. Procedure for Admission

4.1 The University shall admit the students for Ph.D. program through an Entrance Test (RGUMPET) or any other similar procedure approved by the AC from time to time as per the UGC regulation and its subsequent amendments.

4.2 The concerned DRC of the Department/Institute/Centre of the University shall decide the intake capacity prior to notification of RGUMPET for ensuing academic session after having a formal consultation with eligible Research Supervisors and by taking into account the number of vacant seats under them as per the clause 5.0, on specific area(s) of research within the given subject/ discipline, and the existing academic and physical facilities available for research including laboratory, library and such other essential requirements for research work.

4.3 The intake capacity as decided and consequently approved by the University authority shall be notified well in advance in the University website and through advertisement in at least one (1) national newspaper and one (1) local newspaper. The detailed advertisement in the University website shall reflect the number of available seats for admission in a particular Department/ Institute/ Centre and precise areas of research, if any, within the subject, distribution of seats for different categories, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where RGUMPET shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.

4.4 RGUMPET shall be a two-stage process i.e. Written test, and Interview/*Viva-voce*. The syllabus of RGUMPET written test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject-specific based on the syllabus approved for the Master's degree in the concerned subject by the University.

4.5 RGUMPET written test qualifying marks shall be 50%, in aggregate. A relaxation of 5% of marks, from 50% to 45% shall be allowed for the candidates belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled categories.

4.6 RGUMPET written test qualified candidates shall be called for interview/*viva-voce* in 3:1 ratio against the number of seats notified for admission in a given subject/ discipline. The name list of such candidates belonging to various reservation categories as mentioned in clause 4.11 shall be prepared on the basis of their secured score in RGUMPET written test and also the choice mentioned by them in the application for the specific area(s) of research within the given subject/ discipline, if so specified

and advertised by the concerned Department/ Institute/ Centre together with the number of seat(s) available in that specific area(s) of research. The list shall be published on University website and the selected candidates shall be informed through email and/or text message.

4.7 Candidates who fulfil the minimum eligibility conditions mentioned under Clause 2 above and have qualified UGC-NET (including JRF)/UGC-CSIR NET (including JRF)/State Level Eligibility Test (SLET) accredited by UGC/GATE (only for Engineering and Technology courses), or have been awarded M.Phil. degree fulfilling the criteria mentioned in the clause 2.3 and 2.4 above, or have submitted M.Phil. dissertation in this University which has been evaluated but the *viva-voce* is pending as mentioned in the clause 2.6 above or have been awarded Teacher fellowship shall be considered exempted from the written test. The regular faculty member of the University or the colleges affiliated by the University in Arunachal Pradesh shall be exempted from RGUMPET written test provided they fulfil the minimum eligibility conditions mentioned under clause 2.0 above. All in-service candidates shall submit along with application form a "No Objection Certificate" from their employer/ competent authority with a specific mention therein that requisite six-month study leave for pursuing Ph.D. course work as a regular scholar shall be sanctioned consequent upon his/her selection. The non-submission of NOC, latest by the time of viva-voce, by the in-service candidates shall make forfeit their claim for selection to this programme.

4.7.1 A self-financing foreign national who is admitted through the Embassies/High commission of his/her country or admitted under a MoU with due clearance from the concerned Indian Mission(s) abroad shall also be exempted from appearing the RGUMPET. As per revised guidelines/ instructions of the Department of Higher education, MoE, GOI, on grant of research visa, the foreigners who desire to undertake research in India, should therefore, apply to the concerned Indian Missions abroad with the brief synopsis of the research project to be undertaken in India, the details of places to be visited, previous visits, whether the scholar has secured admission into a recognized or reputed institution and evidence of financial resources.

4.7.2 The eligibility for exemption from the entrance examinations (RGUMPET) shall be decided by the University on the criterion, as provided by the UGC and the prevailing ordinance(s).

4.8 A candidate shall be considered exempted from RGUMPET written test as per the clause 4.5 provided that such exemption has been sought in the application form. Such exempted candidates shall be eligible to appear in interview/viva-voce directly to be conducted by the respective department provided their choice for pursuing research in specific area(s) within the given subject/discipline, if any, is in conformity with such requirement as specified and advertised by the concerned Department/ Institute/Centre.

4.9 Candidates shall be required to discuss their research interest/area through a presentation during interview/viva-voce before DRC/ duly constituted Board of respective Department/ Institute/ Centre.

4.10 The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether

(i) the candidate possesses the competence for the proposed research;

(ii) the research work shall be suitably undertaken at the University;

(iii) the proposed area of research shall contribute to new/additional knowledge.

4.11 Selection of candidates shall be made in order of merit. RGUMPET written test appearing candidates shall be shortlisted giving a weightage of 70% for the written test and 30% to the performance in the interview/viva-voce whereas the candidates belonging to exempted category as specified in the clause 4.7 shall be shortlisted on the basis of their marks secured in the interview/viva-voce.

4.12 40% of the seats of the Ph.D. course in the Department/Institute/Centre shall be kept for the RGUMPET appearing candidates and remaining 60% for the RGUMPET exempted candidates. However, the seats shall be inter-convertible in case of non-availability of qualified and/or suitable candidate(s) in either of these two categories. An exempted candidate shall also appear in RGUMPET written test provided he/she submits a separate application for both the categories, and in such cases his/her result shall be prepared separately for both the categories on the basis of merit as mentioned in clause 4.11.

4.13 Further, reservation of seats for different categories of candidates shall be as per the latest Reservation Policy of Government. In case, the seats allotted for SC/ST/OBC (non-creamy layer)/

EWS/Differently-Abled categories remain unfilled, the University shall launch a Special Admission Drive for that particular category, devise within one month from the date of closure of admission of general category by adopting suitable mechanisms along with eligibility conditions mentioned under clause 4.5 to ensure that most of the seats under these categories are filled.

4.14 The candidate shall be considered as a registered Ph.D. scholar from the date of admission in the course and shall be allotted a Registration Number by the academic branch of the University. A distinct Registration Number shall be provided to all the admitted candidates by the Academic Branch which shall be mentioned in all documents and future communications / correspondences, and certificates.

4.15 The academic branch shall maintain the list of all the registered Ph.D. scholars on the University's website on year-wise basis, mentioning their names, research topic, name of supervisor, date of enrolment and registration number.

5. Allocation of Research Supervisor

5.1 The University shall take utmost care to assign a supervisor to the selected candidates accordingly, basing on their specialisation and area of research domain.

5.2 Any regular Professor of the University with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the University with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals shall be recognized as Research Supervisor/Co-supervisor. However, the Assistant Professor shall have cleared his/her probation period to become eligible for Research Supervisor/Co-supervisor.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the AC shall relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor/ Co-supervisor with reasons recorded in writing.

5.3 Only a full-time regular teacher of the University shall act as a Supervisor/Co-supervisor. The external supervisors shall not be allowed. In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department/Institute/Centre concerned feels that the expertise in the Department/Institute/Centre has to be supplemented by other Faculty/Department/ Institute/ Centre within the University or from outside Institutions, a Co-Supervisor shall be appointed on recommendation of the RAC with due approval from DRC and FBS on such terms and conditions which shall be specified and agreed upon with the consenting Department/Institute/Centre/Faculty/Institution.

5.4 The allocation of Research Supervisor for a selected Ph.D. Scholar shall be decided by the concerned DRC depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/*viva voce*.

5.5 A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, shall not supervise more than 8 (eight) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor shall supervise up to a maximum of 6 (six) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor shall supervise up to a maximum of 4(four) Ph.D. scholars.

5.6 In case of a Co-Supervisor, all research scholars shall be counted towards the quota of both the supervisor and the Co-Supervisor. All research scholars registered for Ph. D. shall be counted within the quota till they submit their theses.

5.7 In case of relocation of a Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, her research data shall be allowed to be transferred to the other University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar shall however give due credit to the parent Supervisor and the University for the part of research already done.

6. Course Work (Credit Requirements, Number, Duration, Syllabus, Minimum Standards for Completion, etc.)

6.1 The credit assigned to the Ph.D. course work shall be a minimum of 8 (eight) credits and a maximum of 16 (sixteen) credits.

6.2 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. The Department/Institute/Centre shall assign a minimum of four credits to one or more courses on Research Methodology covering areas such as quantitative methods, computer applications, review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Additionally, there shall be a compulsory course paper of two credits on Research and Publication ethics (as per the directives of UGC vide DO no – F.1-1/2018(Journal/CARE) dated December 2019). Other courses, with rest of the credit, shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree.

6.3 The course work for Ph.D. shall be prescribed by the BPGS of the concerned Department / Institute/ Centre and approved by the FBS and the AC. All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. The concerned DBS shall slightly modify/upgrade the contents of the course work as and when required and implement the same from next academic session on approval by the FBS and the AC.

6.4 The Department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the RAC, as stipulated under Clause 7.1 below, and approved by the DRC.

6.5 Admitted scholars shall be required to complete the prescribed course work during the initial one semester as a regular student fulfilling the mandatory attendance and other associated requirements for successful completion of the course. In-service candidates admitted in the Ph.D. course shall have to take mandatory study leave for the period from their employer/competent authority. However, those scholars who have been awarded M.Phil. Degree and/or have successfully passed M.Phil./Ph.D. course work in the concerned/relevant subject/discipline shall be either fully or partially exempted as the case may be from doing the prescribed course work provided such course work pursued earlier by them is considered equivalent and appropriate by the RAC and DBS, and so approved by the competent authority of the University. Such scholars as have been prescribed to pursue additional course work paper(s) shall have to fulfil the minimum requirement of 8 (eight) Credits to complete the Course Work.

6.6 The course work shall be evaluated on the basis of the performance of the scholar in the Internal assessment examination(s) to be conducted by the concerned Department/ Institute/ Centre, and the End semester examination to be conducted by the University. The weightage for the Internal assessment and the End semester examination shall be in 25:75 ratio. In case, the scholar fails to secure a minimum of 55% marks in the Internal assessment examination, he/she shall be dropped from the program.

6.7 A scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the thesis. In case the scholar fails in the End Semester Examination of the course work, a supplementary examination shall be conducted by the University within two months from the date of declaration of the result. However, the scholar shall be dropped from the program if he/she fails again to clear the examination.

7. Research Advisory Committee and its functions

7.1 The DRC shall constitute a four member RAC for each Ph.D. scholar, with three members from the department/institute/centre and one member from the cognate/related department on advice of his/her supervisor. Co-supervisor, if any, shall be an additional member in the RAC. In cases where RAC requires inclusion of relevant expertise from outside the University Department, an external member shall be included with proper justification. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. If the number of faculty members in a Department/Institute/Centre is not enough for constituting a RAC, then the RAC for the scholar shall be constituted with members from concerned/relevant Department(s) or members from other University/Institution.

The RAC shall have the following responsibilities:

7.1.1 To review the research proposal of the scholar and finalize the topic of research;

7.1.2 To supervisor the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she shall have to do.

7.1.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the scholar.

7.2 Consequent upon admission in the course, the scholar shall begin drafting of synopsis on the topic of his/her research interest in consultation with his/her supervisor, co-supervisor (if any) and seek approval of the RAC so as to submit the final synopsis within 90 (ninety) days of the successful completion of the course work.

7.3 Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in clause 6.7 above, as the case may be, the scholar shall be required to undertake research work. He/She shall submit a synopsis of proposed research work to the RAC within the above-mentioned time from the date of being declared successful in his/her course work. The RAC shall discuss and finalize the synopsis and recommend the same for approval by the DRC of the concerned Department/Institute/Centre, followed by the FBS of the concerned faculty. Consequent upon approval by FBS, the candidate shall deposit the due fee in the University account, & shall start formally working on the topic of his/her research.

7.4 A scholar shall appear before the RAC by the end of every semester to make a presentation of the progress of his/her research work for evaluation and further guidance. The six-monthly progress report of the scholar shall be submitted to the University by the RAC through the concerned Head and the Dean with a copy to the scholar.

7.5 In case the progress of the scholar is unsatisfactory, the RAC shall record the reasons for the same and suggest corrective measures on approval of the same by the Head of the Department/Institute/Centre and the Dean of the concerned Faculty. If the scholar fails to implement these corrective measures, the RAC shall recommend with specific reasons to the concerned authorities of the University through DRC and through the Dean for cancellation of the registration of the Ph.D. Scholar.

7.6. Failing to submit the six-monthly progress report in time, without any valid reason, shall lead to withheld of Non-NET fellowship. For the non-submission of the six-monthly progress report in time, without any valid reason, the application for release of fellowship by the research scholars with JRF fellowship shall not be forwarded.

8. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards etc.

8.1 Prior to the submission of the thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the RAC which shall also be open to all faculty members and other research scholars and students. The feedback and comments obtained from them shall be suitably incorporated into the draft thesis in consultation with the RAC.

8.2 A Ph.D. scholar must publish at least one (1) research paper in refereed journal/ peer reviewed Journal / UGC Listed Journal and make two paper presentations in conferences /seminars/ symposiums/ congress before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

8.3 The thesis shall be subjected to detection of plagiarism and other forms of academic dishonesty by the Research Supervisor using the URKUND or any other software/gadgets as decided by the UGC, and a certificate generated thereupon is to be attached with the thesis. While submitting for evaluation, the thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor in prescribed format by the University attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism or the percent of plagiarism within the permissible limit and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the University where the work was carried out, or to any other Institution, and also that provisions of the University ordinance for the award of Ph.D. degree is fulfilled. The scholar shall submit the hard copies of the thesis along with its electronic copy after having the same duly authenticated by the Supervisor(s) through the Head of the concerned department/center/institution to the Academic Branch. On satisfaction of the formalities and requirements, the Academic Branch shall forward the thesis to CoE for further onward action (evaluation).

8.4 The thesis submitted by the Ph.D. scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners not below the rank of Associate Professor and not in the employment of the University. If the RAC resolves, one of the external examiners shall be from outside the country. The RAC shall submit through DRC a panel of 10 (ten) external examiners, not below the rank of Associate Professor or an equivalent position, to the CoE for obtaining approval of the Vice Chancellor/the competent authority who shall decide the names of the two external examiners for dispatching the thesis to them.

8.5 The University shall adopt appropriate efficient mechanism so as to complete the entire process of evaluation of Ph.D. thesis within a period of 6 (six) months from the date of its submission. For the sake of expediting the evaluation process, the CoE shall email to the external examiners the electronic copy of the abstract of the thesis for obtaining their consent for evaluation, and on obtaining their willingness, the electronic copy of the thesis along with a prescribed format for submitting the evaluation report shall be sent to them with the hard copies of the same, whenever necessary, being sent through speed post. The office of the CoE shall send a gentle reminder to the Internal and External Examiners through email after 60 (sixty) days from the date of dispatch of the thesis followed by fortnightly reminders. In case the external examiner does not send his/her evaluation report within 30 (thirty) days from the date of the first reminder, then the thesis shall be sent to the third examiner. The examiner shall submit a signed copy of the evaluation report which shall otherwise be sent in the prescribed format through his/her official/certified email.

8.6 The public *viva-voce* of the research scholar to defend the thesis shall be conducted only if the evaluation reports of both the external examiners on the thesis are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the *viva-voce* examination. If one of the evaluation reports of the external examiners is unsatisfactory and does not recommend *viva-voce*, the CoE shall send the thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the *viva-voce* examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

8.7 The *viva-voce* examination of the scholar, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, by both the examiners (internal and external), shall be conducted by the duly constituted *viva-voce* board, under the Chairmanship of the Dean of the concerned faculty, and shall be open to be attended by all members of the concerned RAC, faculty members of the Department, research scholars and other interested experts/researchers. On completion of the *viva-voce* of the scholar, the *viva-voce* board shall submit a report to the CoE along with the original copies of the thesis evaluation reports of all the examiners.

8.8 The open *viva-voce* shall be conducted online with the desire of the external examiner or in case of any unprecedented situations such as epidemic and natural disaster. The scholar shall present his/her Viva-Voce online, in case of limited mobility due to medical emergency, epidemic, natural disaster, and otherwise such very exceptional and well admissible cases, provided the scholar makes such request for such exemption in writing to the Vice-Chancellor. The supervisor and the concerned Dean shall also attend the Viva-Voce on online, in case of being out of station/on long leave and due to their inability to remain physically present.

8.9 The online Viva-Voce shall be conducted only when the scholar, the supervisor and the external expert, all agree and due approval is accorded by the Vice-Chancellor. The Head of the Department/Institute/Centre shall send all evaluation reports on the thesis of the scholar, received from the CoE, to the concerned external examiner and the Dean well in advance. He/she shall make necessary arrangement with active support from the supervisor and other concerned staff for conducting the On-line *viva-voce* and ensure a wider participation of all interested by issuing an advance notice. The minimum duration of the online Viva-Voce should not be less than an hour and the entire proceeding should be video recorded and submitted to the COE. In case the Viva-Voce is not conducted due to any unprecedented situations or technical problems, the same shall be conducted on a later date on approval of the Vice-Chancellor.

8.10 On completion of the *viva-voce* of the scholar, the internal members of the *viva-voce* board shall assess and finalize the report with assent of the concerned external examiner, and send the same through official email to him/her for signature. He/she shall send back the signed and scanned copy through his/her official/certified email. The signed copy of the *viva-voce* report along with the original copies of the thesis evaluation reports of all the examiners shall be forwarded to the CoE by the Head of the Department/Institute/Centre.

8.11 If the *viva-voce* board and the External Examiner, in particular, is not satisfied with the performance of the scholar, then the scholar shall be asked to reappear for a second *viva-voce* after a period of 2 (two) months but within a maximum period of 6 (six) months.

9. **Award of Degree and Depository with INFLIBNET:** After successful performance in the *viva-voce*, the scholar shall submit the corrected copy of the thesis, if so asked by the examiners, along with its electronic copy through RAC and DRC to the CoE. On receipt of the same, the CoE shall send the electronic copy, within 15 (fifteen) days, to the University Library for submitting the same to the INFLIBNET for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges. The CoE shall convene the meeting of the RB of the University, normally to be held monthly, on consent of the Vice-Chancellor/Competent authority and place all relevant documents for obtaining its approval for the award of Ph.D. degree to the scholar. The year of submission of the thesis shall be considered as the year of award of the Ph.D. degree. Subsequent to the approval, the CoE shall issue a notification and provisional certificate to the effect that the Ph.D. Degree has been awarded in accordance with the provisions of the UGC Regulations, 2016. The Ph.D. degree shall be awarded to the scholar in the convocation of the University for that particular year. The copies of the thesis evaluation report of the examiners shall be issued to the Ph.D. awardee, on the scholar's application to the COE, only after six months from the date of notification of award of the Ph.D. degree.

10. **Other related matters:** Internal management of the matters related to Ph.D. degree such as Syllabus of the course work, Grading of the course work, Result of the scholar, Change of supervisor, Appointment of a new supervisor, Leave and attendance, Payment of Fellowship, Progress Report, Change of approved Subject of research / Title of the thesis, Maintenance of Stock Register and Submission of Assets / Data, Conversion of Full-time Research Scholar to Part-time Research Scholar and vice versa, Cancellation of registration, Format for submission of the thesis, List of Certificates and other necessary documents to be attached/enclosed with the thesis etc. shall be governed as per Rules and Regulation for the Ph.D. degree as approved by the AC.

11. **Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by Affiliated Colleges / other institutions for getting recognition for offering Ph.D. programmes:** Post-graduate Departments of Colleges affiliated to the University and Research Laboratories of the Government of India/State Government shall be considered for Ph.D. programme only if they satisfy the terms and conditions mentioned in the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees Regulations, 2016) and Ph.D. ordinance of the University. The mere satisfaction of fulfilment of all requirements shall not qualify the affiliated colleges / other institutions for undertaking Ph.D. Programmes. The University shall recognise the Ph.D. programmes offered by affiliated colleges / other institutions, subject to the approval of concerned DRC/RB/AC/EC, on application of such affiliated colleges / other institutions.

12. **Removal of difficulties:** Any doubt or dispute about the interpretation of the clauses mentioned herein shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his/her capacity as the Chairman, AC and EC, shall be final and binding. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice-Chancellor shall take such measures as may be necessary for removal of difficulties subject to ratification by the AC and EC.

13. The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the UGC/MoE/Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

****

Ordinance Relating to

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS (CoE)

(Under Section 18, and 31(2) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006 to be read with Clause 8 of Statute)

1. Eligibility, Appointment etc.:

a. The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he/she shall be a whole-time salaried officer of the University.

b. The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years (5) and shall be eligible for reappointment, provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two (62) years.

c. When the Office of the Controller of Examinations is vacant, or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

d. To be eligible for appointment to the post of Controller of Examinations, direct or on deputation, one shall have the following essential qualifications:

   i. Master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed, and at least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above, or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in Educational Administration; OR
   Persons with comparable experience in research establishment and/or institutions of higher education shall also be eligible; OR
   Persons with at least fifteen (15) years of administrative experience of which eight (8) years should be as Deputy Registrar or its equivalent post shall also be eligible.

   ii. Desirable: Preference shall be given to the candidates having experience in Examination System of a Central University.

e. **Committee for Appointment**: The appointment of Controller of Examinations shall be governed by a Committee consisting of the following members:

   i. Vice-Chancellor (Chairman)
   ii. A nominee of the Visitor
   iii. Two members of the Executive Council as nominated by it
   iv. One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.

      1. The Vice-Chancellor, or in his absence the Pro-Vice-Chancellor, shall convene and preside over the meeting of the Selection Committee:
         a. Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive Council;
         b. Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless -
            i. where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is four in all, at least three of them attend the meeting; and
            ii. where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is three in all, at least two of them attend the meeting.

2. Duties and Responsibilities:

a. Subject to the Regulations and Rules framed and Directions issued by the Academic Council, the Controller of Examinations shall be responsible for all arrangements connected with the conduct of examinations and all matters connected therewith and he/she shall perform such duties and functions as may be assigned from time to time by the University Authority.

b. The Controller of Examinations shall exercise his/her power and discharge his/her duties as specified in various Acts/Ordinances/Statute, and under the immediate direction of the Vice-Chancellor.

c. The Controller of Examinations shall arrange for and superintend the examinations of the University in the manner prescribed by the Ordinances.

3. Service Conditions etc.

a. The Terms and Conditions, Eligibility Criteria and Selection procedure for the post of Controller of Examinations shall be as per RGU Act 2006 and as per the prescribed guidelines issued by MoE/UGC from time to time.
b. The Controller of Examinations shall be entitled to salary and other allowances, leave, leave salary, allowances, provident fund and other benefits as prescribed in this behalf by the University from time to time for employees of the University.
c. The Controller of Examinations shall be entitled to unfurnished residential accommodation, for which he/she shall pay prescribed license fee and other charges as prescribed by the university.
d. The emolument, terminal benefits etc. and other terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as prescribed for other non-vacational employees of the university.
e. If the Controller of Examinations is appointed on deputation/foreign service from Government or any other organization/institution, the terms and conditions of his/ her service shall be governed by the Deputation Rules of the University.
f. Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organizations is appointed as Controller of Examinations, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely as General Provident Fund/Contributory Provident Fund/ Pension/Gratuity/Transfer TA/NPS etc.) to which he/she was entitled prior to his/her appointment as Controller of Examinations, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

4. Removal of difficulties

a. Any difficulty arising out of these provisions may be removed by the Vice-Chancellor. Any doubt or dispute about the interpretation of the clause mentioned herein this ordinance shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final and binding. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice-Chancellor shall take such measures as may be necessary for removal of difficulties subject to ratification by the Executive Council.

5. The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the GoI/UGC/MoE/Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

****

Ordinance relating to

5-YEARS INTEGRATED LAW COURSE

(Under Section 6(ii), 31(d) and 31(2) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006)

Preamble: A double degree integrated course combining Bachelors' Degree in Arts, Science, Social Science, Commerce, Management etc. as designed by the University together with the Bachelors' degree course in Law, shall be of not less than five years' duration leading to the integrated degree in the respective discipline of Knowledge and Law together. The course shall be and named as Bachelor of Arts and Law (B.A. LL.B)/ Bachelor of Science and Law (B.Sc. LL.B)/ Bachelor of Commerce and Law (B.Com. LL.B)/ Bachelor of Business Administration and Law (B.B.A. LL.B)/ Bachelor of Computer Application and Law (B.C.A. LL.B).

1. **Duration and Structure of the Course**:

a. The duration of the degree program shall be of five academic years. It shall comprise 2 (two) parts viz. Part I of the program shall be a two-year core program consisting of pre-law study, and Part II of the program shall be a three-year program consisting of professional training in Law.
b. In integrated stream of Arts & Law, Science & Law, Management & Law, Commerce & Law, etc. as the case may be, there shall be one major subject and two minor subjects or such number of compulsory paper/subject and such optional with or without Honours in Law, from the specified area in addition to English, as may be prescribed by the University. The syllabus shall be comparable to the syllabus prescribed by UGC in three year Bachelor degree program in BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA etc. taking into account the standard prescribed by the UGC/AICTE or any other respective authority for any stream of education.
c. A student shall take not less than 36 (thirty six) papers in all, which shall include eighteen compulsory papers, four clinical papers, six optional papers and eight papers in specialized course from among the list of

optional papers provided under Schedule-II of Bar Council of India Rules of Legal Education, 2008, and also of any additional papers prescribed by the University from time to time. However, if eight papers are taken from multiple of groups, honours shall be awarded in general law without mentioning any specialization.

(i) The University shall appoint a Board of Studies to design / amend various courses in both knowledge discipline and law, taking into account the Report on various subjects submitted to UGC by its Curriculum Design Committees.

(ii) Course structure and outline of this program/course shall be regulated through the provisions of the Schedule-II of Bar Council of India Rules of Legal Education, 2008.

d. Each academic year is divided into two semesters and each semester shall have an average of 100 working/teaching days. The academic terms shall ordinarily be between July to December and January to June.

e. The course leading to integrated double degree shall be conducted in semester system in not less than 18 weeks with not less than 36 class-hours per week including seminar, mootcourt and tutorial classes and a minimum of 30 lecture hours per week.

f. Minimum weekly class program per subject (paper): There shall be for each paper (with 4 credit) four class-hours of one-hour duration each and one hour of tutorial/ moot court/ project work per week.

g. English shall be the medium of instruction throughout the course.

2. **Eligibility for Admission**

a. A candidate for admission to the 5-year integrated course shall have successfully completed Senior Secondary School course (+2/ class 12) or equivalent (such as 11+1, 'A' level in Senior School Leaving certificate course) from a recognized University of India or outside or from a Senior Secondary Board or equivalent, constituted or recognized by the Union or by a State Government or from any equivalent institution from a foreign country recognized by the government of that country for the purpose of issue of qualifying certificate on successful completion of the course, securing in the aggregate not less than 45% of the total marks for general candidates and not less than 40% for SC/ST/OBC candidates.

Provided that applicants who have obtained the required percentage in +2/ Higher Secondary Pass Certificate or First-Degree Certificate after prosecuting studies in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for admission in the Integrated Five Years course.

b. The applicant shall not have completed 20 years of age (22 years for SC/ST/OBC) on 1st January of the year of admission. However, upper age limit may be relaxed to a maximum of 5 years with the permission from the Vice Chancellor of the University in extraordinary cases, on the recommendation of the Principal and Dean, Faculty of Law.

c. No relaxation of percentage of marks in minimum eligibility shall be allowed, under any circumstances.

d. Admission shall be made strictly on merit by the respective admission committee after holding written test/interview (wherever applicable) of the candidates. Reservation policy of the Govt. of India shall be followed for the selection of the candidate.

e. No student shall be allowed to simultaneously register for the law degree program with any other graduate or postgraduate or certificate course run by this or any other University or an Institute for academic or professional learning excepting in the integrated degree program of the university. However, a student shall pursue any short period part time certificate course on language, computer science or computer application of an Institute or any such course run by a Centre for Distance Learning of this or any other University along with this course.

f. As the five-year program is a full-time course, no student shall be permitted to pursue the course while on employment.

g. The admission of the student shall be cancelled at any stage for violation of the rule specified at clause 2(e) and 2(f).

h. The number of students in a section shall not exceed 50.

3. Eligibility to appear Semester-End Examination

a. No student of any of the degree program shall be allowed to take the end semester examination on a subject if the student concerned has not attended minimum of 70% of the classes held in the subject concerned as also the moot court room exercises, tutorials and practical training conducted in the subject taken together. Provided that if a student for any exceptional reasons fails to attend 70% of the classes held in any subject,

the Dean of the Faculties or the Principal of the College, as the case may be, shall allow the student to take the test if the student concerned attended at least 65% of the classes held in the subject concerned and attended 70% of classes in all the subjects taken together. The similar power shall rest with the Vice Chancellor or his authorized representative in the absence of the Dean of Faculties of Law.

Provided further that a list of such students allowed to take the test with reasons recorded shall be forwarded to the Bar Council of India.

b. In case a student fails to attend classes for one week at a stretch from the date of commencement of classes, without the prior approval, his/her name shall be struck off from the roll of register; provided that in exceptional cases the Vice Chancellor and the Dean of the Faculty of Law shall condone such absence as per the recommendation of the Head of the Department/ Principal of the College.

c. **Minimum Period of Internship**: Each registered student shall have completed minimum of 20 weeks during the entire period of legal studies under NGO, Trial and Appellate Advocates, Judiciary, Legal Regulatory authorities, Legislatures and Parliament, Other Legal Functionaries, Market Institutions, Law Firms, Companies, Local Self Government and other such bodies as the University shall stipulate, where law is practised either in action or in dispute resolution or in management.

Provided that internship in any academic year shall not be for a continuous period of more than Four Weeks. All students shall have to go through internship, once in their entire academic period, with any Trial and Appellate Advocates.

d. Each student shall keep Internship diary in such form as may be stipulated by the University and the same shall be evaluated by the Guide in Internship and also a Core Faculty member of the staff each time. The total mark shall be assessed in the Final Semester of the course in the 4th Clinical course as stipulated under the Rules in Schedule II of Bar Council of India Rules of Legal Education, 2008.

e. The session for the odd semester shall run from July to December and for the even semesters shall run from January to June. The odd and even semester-end examinations shall be held in December and May, respectively every year, if not otherwise notified by the university.

4. Examinations

a. Every paper, provided in the integrated course of study, shall be of 100 marks. End semester examination shall consist of 80 marks and the internal assessment shall be undertaken for 20 marks, for each paper. The internal assessment test shall be regulated as per the rules of the university.

b. College Principal shall put counter signature every month on the dairies maintained by students for all practical papers / internship. Students who do not maintain such dairies shall be debarred from appearing in the theory papers.

c. To be eligible for the end-semester examinations, a candidate shall have:

(i) To pass in all internal assessments.

(ii) To complete the internship period successfully, as prescribed.

(iii) To pay the prescribed fees and apply in the prescribed form through the Head of the Department/ Principal of the constituent or affiliated college. If he/she fails to pass or fails to present himself/herself at the examination, he/she shall forfeit the examination fees, so paid for that examination.

(iv) To submit a certificate from the Head of the Department/ Principal of the College concerned regarding his/her bonafide, satisfactory progress of studies and testifying to his/her good conduct and character.

5. Passing of the Examination etc.

a. In order to pass each semester-end examination, a candidate shall have to secure 40% marks in every individual paper and 45% marks in aggregate.

b. Except in the case of final examination, in all other semester examinations the list of successful candidates shall be declared in order of Roll Nos. In the final semester examination, the list of successful candidates will be prepared in the order of merit. The candidates who obtain 60% or more in aggregate of the grand total of all examinations taken together shall be placed in the First Class and the rest of the successful candidates securing 50% or more marks and less than 60% in aggregate shall be placed in the Second class. Any candidate securing 75% or more in aggregate shall be declared to have passed with Distinction, provided he/she clears all the subjects in one chance.

c. A student shall be required to clear his/her integrated degree within 7 (seven) years from the date of his/her admission provided that a student shall be allowed to appear in not more than three consecutive chances in any paper. A candidate not appearing in any examination due shall lose that particular chance allowed to him/her.

d. A student shall not be admitted into the Fifth semester classes unless he/she clears all the previous semesters. A student admitted into the fifth semester shall however, be allowed to complete his study up to sixth semester with back papers in other semesters.

e. A student shall be allowed to appear in not more than two papers up to fourth semester examination and in not more than three papers in the other semester examinations as back papers, provided that he/she secures 50% marks in average in the remaining papers of that particular semester-end examination.

f. The marks secured by a candidate in practical papers shall not be carried over beyond three semester examinations.

6. Prohibition against lateral entry and exit

a. There shall be no lateral entry on the plea of graduation in any subject or exit by way of awarding a degree splitting the integrated double degree course, at any intermediary stage of integrated double degree course.

7. Minimum infrastructure

a. Any college/ centre/ institution conducting legal education by running this course/program shall have minimum standard infrastructure facility stipulated by the Bar Council of India specified in Schedule III of Bar Council of India Rules of Legal Education, 2008.

b. The University shall ensure that all its affiliated Colleges/Centres of Legal Education maintain the standard infrastructure and other facilities for the students to suitably impart professional legal studies. The University shall periodically inspect these Colleges/Centres of Legal Education, on payment of a fee, as decided from time to time.

8. The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the UGC/MoE/Bar Council of India/any other Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

****

Ordinance Relating to

POWERS AND FUNCTIONS OF THE DEAN OF STUDENTS' WELFARE

(Under Clause 40(1) of the Statute of Rajiv Gandhi University, 2006)

1. **Appointment:** Vice Chancellor shall appoint a Professor as the Dean of Students' Welfare (DSW) for a period of three years.

2. The Dean of Students' Welfare (DSW) shall perform the following functions:

i. Act as the Chairman of the Student's Council as per Clause 40(1) of the Statute of Rajiv Gandhi University, 2006.

ii. Co-ordinate and appraise appropriate authorities in the preparation and approval of the policies and procedures of the admissions to the various programs/courses run by the University.

iii. Co-ordinate the admission of students in various halls of residence and approved hostels of the University.

iv. Advise the Vice-Chancellor on the appointment of the Wardens, staff and office bearers (if any) to the Halls of Residence/ Hostels.

v. Assist the Vice-Chancellor in supervising and controlling the residents of all Halls of Residence/ Hostels by coordinating with the Wardens.

vi. Deal with the matters of management, overall discipline and conditions of living in the Halls of Residence/ Hostels of the University.

vii. Advise the University in the matter related to organizations and development of students' bodies.

viii. Co-ordinate the activities of the different students' bodies concerning students' welfare and anti-

ragging.

ix. Arrange for and coordinate the elections of the Office bearers and other representatives of the RGU Students' Union and other student bodies in the Campus(es) as per the rules of the University.

x. Advise appropriate authorities on the nomination of student representatives to various statutory bodies of the University.

xi. Supervise and/or organize the co-curricular and sports activities of the Post-Graduate Students and Research Scholars in the Campus(es).

xii. Be the overall in-charge of the funds sanctioned for the cultural and sports activities of RGU Students' Union and other students' bodies in the Campus(es) of the University. He/She shall forward the accounts of expenditure, as received from and authenticated by the RGU Students' Union and other students' bodies, against the sanctioned funds.

xiii. Issue the travel concession to the bonafide students and shall recommend the educational tours/excursions of the students.

xiv. Supervise and/or organize the career guidance and other counselling facilities for the welfare and all-round development of the students.

xv. Supervise and/or organize such programs and activities which shall strengthen the relationship of students with teachers, university administration and student-society.

xvi. Undertake / initiate disciplinary proceedings against any student indulging in indiscipline and prohibited / criminal activities, suo moto or on complaints.

xvii. Undertake such other duties and responsibilities relating to the welfare of the students as directed by the various competent authorities of the University from time to time.

3. The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the UGC/MoE/Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

****

Ordinance Relating to

AFFILIATION TO COLLEGES AND INSTITUTIONS

(Under Section 4(f), 6(xiv), 6(xvii), and 31(2) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006 read with Statute 32)

1. **Definition**

a) "Additional or further affiliation" means affiliation in a subject or subjects or branch or several branches of a subject other than that in which a particular college is already affiliated and increase of seats and for which an application has been submitted in accordance with the provisions of this Ordinance.

b) "Affiliation" together with its grammatical variations, includes, in relation to a college, recognition of such college by, association of such college with, and admission of such college to the privileges of the University;

c) "College Council" means the body of the teaching staff in every college to represent the teaching fraternity and advise the Principal in regard to manage the internal affairs of the college.

d) "College" means any institution, whether known as such or by any other name which provides for a programme of study beyond 12 years of schooling for obtaining any qualification from the University and which, in accordance with the rules and regulations of the university, is recognized by the University as competent to provide for such program of study and present student undergoing such program of study for the examination for the award of such qualification, and also an institution which applies for admission/ affiliation to the University or has been admitted/ affiliated to the privileges of the University in conformity with the provisions of the Rajiv Gandhi University Act 2006 and this Ordinance.

e) "Governing Body" means a Body of persons as constituted under the Statute 32 of Rajiv Gandhi University Act 2006 in every college for its management; and shall be reconstituted.

f) "Program" / "Program of study" means a higher education programme pursued for a degree specified by the UGC under Section 22(3) of the UGC Act

g) "Statutory Regulatory Authority or SRA" means a body so constituted by a central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), Central Council of Homoeopathy (CCH) or the Central Government/ UGC/ MoE etc.;

h) "Student" means a person admitted to and pursuing a specified program of study;

2. **General Provisions**

a) **Affiliation**

Any college applying for admission to the privileges of the University or additional or further affiliation shall undertake not to collect capitation fees or donations and conform to the provisions hereinafter specified in addition to those provided in **various provisions** of Rajiv Gandhi University Act 2006 and UGC (Affiliation of Colleges by Universities) Regulations, 2009 & 2012 and any amendments thereto.

3. **Eligibility Criteria for Temporary Affiliation:**

a. The proposed college seeking affiliation, at the time of inspection by the university, shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the SRA concerned, whichever is higher:

i. Undisputed ownership and possession of land measuring not less than 2 acres if it is located in urban areas, and 5 acres if it is located in other areas;

1. Provided also that the requirement of 5 acres in hilly areas shall be be contiguous or upto three places which are not separated by more than 2 kilometers.

ii. Administrative, academic and other buildings with sufficient accommodation to meet the immediate academic and other space requirements as specified by the University, in Appendix - 1,for each of the higher education course/program with adequate scope for future expansion in conformity with those prescribed by the UGC/SRAs concerned, taking care that all buildings constructed in the college are orthopedically disabled-friendly;

iii. Academic building sufficient to accommodate the faculties, lecture/ seminar rooms, library and laboratories with a minimum of 15 sq.ft./1.394 sq.mtr per student in lecture/seminar rooms/library and 20 sq.ft./1.858 sq.mtr. per student in each of the laboratories;

iv. Number of teaching and non-teaching staff as per the norms of University/UGC/concerned SRA;

v. Adequate civic facilities for essentials like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the norms laid down by the Central/ State PWD;

vi. Adequate measures for safety, security, pollution control, etc.

vii. A library with at least 1000 books, or 100 books in different titles on each subject, whichever is more, of the proposed programs to include both text books and reference books, besides two journals per subject, along with a book bank facility for students belonging to the SC/STs and such other sections as may be specified by the UGC from time to time;

viii. Necessary laboratory equipment as prescribed by the University/SRAs concerned, for each of the higher education programs;

ix. a multi-purpose complex/an auditorium/facility for sports, canteen, health care, separate common rooms and separate hostels for boys and girls as per the local requirements as decided by the University;

x. appropriate furniture for lecture/seminar rooms, laboratories, library, faculty rooms, rooms for administrative staff including the Principal, multi-purpose complex / auditorium, common rooms and hostel rooms, and for other facilities;

xi. a duly constituted Governing Body as specified by the Rajiv Gandhi University Act 2006;

xii. a fixed deposit, as a corpus fund in the name of the college as decided by Academic Council/ Executive Council from time to time (only for the colleges other than a Government College);

xiii. an undertaking not to collect capitation fees or donations from students / guardians/ parents and employees; and

xiv. Such other conditions as may be prescribed by the University/SRAs, from time to time.

b. The college, if not run by the State Government,

i. Managed by a duly constituted and registered Society or Trust;
    1. shall satisfy the University that adequate financial provision is available for running the college for at least three years without any aid from any external source. In particular, it shall produce evidence of creating and maintaining a Corpus Fund permanently in the name of the college by way of irrevocable Government Securities of Rs. 15 lakhs per program, if the college proposes to conduct the program only in Arts, Science and Commerce, Rs. 35 lakh per program or as prescribed by the relevant SRAs. If it proposes to offer professional program(s), Fixed Deposits for like amounts by the college shall be jointly held by the college and the University for a minimum lock-in period of three years. The interest accrued out of it shall be utilized by the college with the prior permission of the University for strengthening its infrastructural facilities.
    2. shall also provide an undertaking to the University that it has adequate recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

ii. Registered Society/ Trust in justified exceptional cases shall be allowed to start the college for the first year of the programs in a readily available building, with the condition that all other academic and· administrative requirements are satisfied under the Regulations and the college shall complete the buildings as per clause 4(d)(ix) and other requirements cited in the detailed project report by the end of the second year and the college is moved completely to the proposed permanent building by the beginning of the third year, failing which the college shall not be granted renewal of temporary affiliation until the college moves to the permanent buildings. Under no circumstances, the University shall grant any extension of time beyond five years from the date of first Temporary Affiliation, for the movement to the permanent building.

iii. The Registered Society/ Trust proposing the college shall execute a bond:
    1. to impart instruction only in the subjects and for the courses/ programs in the faculties for which affiliation has been granted by the University and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/programs shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the University,
    2. to comply with all the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, Rules and Regulations of the University framed in this regard;
    3. to the effect that appointment of members of the teaching and the non-teaching staff shall be made only on consideration of merit based on qualifications and experience prescribed for them by the UGC/SRAs and not by demanding or accepting any donation or other consideration;
    4. to the effect that the college shall obtain the eligibility approval of the appointed teaching staff from the University within three months of affiliation and shall report all changes in the teaching staff and all other changes that may affect the fulfillment of the conditions for affiliation to the University within a fortnight of changes coming into effect;
    5. to the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the University based on the norms of the UGC from time to time;
    6. to the effect that the college shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its students or their parents/guardians except the prescribed fee and other charges as approved by the University based on the norms of the UGC;
    7. to the effect that no student shall be admitted to any program of study by the college in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per program of study by the University;
    8. to the effect that the college shall not, without the previous permission of the University suspend offering an already approved course / program of study;
    9. to the effect that the academic and welfare activities of the students belonging to the SC, ST and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the college;

10. to follow the Rules, Regulations and Guidelines of the SRAs issued/prescribed from time to time;
11. to the effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and their recruitment/promotion procedures as prescribed by the UGC and conditions of service shall be in accordance with the Statutes/Ordinance/Regulations of the University/ SRAs, and shall ensure imparting of adequate instruction to the students in the courses/ programs of studies to be undertaken by the college and that the Student-Teacher Ratio in the college shall be as per the UGC norms;
12. to the effect that the members of the teaching and non-teaching staff shall be regularly and fully paid in the pay scales along with applicable allowances as per the pay scales prescribed by the SRAs, as the case may be, from time to time,
13. to the effect that all registers and records, including audited statement of accounts as required to be maintained under the Regulations/Orders of the UGC/University/SRAs shall be maintained and made available to the University as and when required for inspection; and
14. to the effect that the college shall furnish all such returns and other information as the UGC/University/SRAs may require to enable it to monitor and judge the performance of the college with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the UGC / University / SRAs may direct to maintain the same.

4. **Procedure for granting Temporary Affiliation:**

a. The application to start a new college and to get it affiliated to this University shall be submitted by Central/State Government institutions and Registered Society/ Trust.

b. If the applicant is a Society/ Trust, it shall have been registered under Registration of Society Act or any other Act of the Central / State Government on or before the date of submission of the application.

c. The Government/Society/Trust which proposes to start the college and wishes to get it affiliated to the University shall make an application to the Registrar, within 31st December of the year- immediately preceding the academic year in which the courses are proposed to be started, in the prescribed proforma along with the prescribed fee in the form of a Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University/through online payment, as notified.

d. The application shall be submitted by the Principal with certified copies of the following documents:

i. Registration of the Society/Trusts along with details of the Constitution/ Article and Memorandum of Association;
ii. Letter from the Competent Authority designated by the Government concerned for classification of land and its location as urban or other areas;
iii. Land Use Certificate from the Competent Authority designated by the State Government;
iv. Registered land/Govt. leased land documents or equivalent documents (land possession certification) in the name of the College;
v. Appropriate order from the Government permitting the Society/Trust to start the college with details of the courses/ programs intended to be offered; (An attested copy of the Government order from the appropriate department granting concurrence to the proposal for opening of the college along with the attested copy of the letter of permission from the concerned National body or the Council or Statutory Regulating Authorities, as the case may be, wherever such permission is necessary);
vi. Copy of the previous application, if any, made for affiliation and the subjects in which affiliation was sought together with information on the manner of disposal of such application;
vii. Courses and subjects in which affiliation is sought
viii. Land deed
ix. Building Plan of the proposed college prepared by a registered Architect and approved by the Competent Authority designated by the state government;
x. Registered documents by the registered Society/Trust earmarking land and buildings for the proposed college;
xi. Details of the latest fund position along with photocopies of relevant bank accounts, including the evidence of the Corpus Fund earmarked for the purpose (Fixed Deposit / Corpus Fund created in the name of the college);

xii. Accommodation, equipment, strength of college, number of students for whom provision has been made and plans or drawing of the buildings of the college;

xiii. Qualifications, salaries and work-load of the teachers together with the time table of work allotted to each such teacher;

xiv. Whether the teachers appointed possess the qualifications prescribed by the respective SRAs;

xv. Library facilities provided together with the number of books and journals in stock and the staff appointed to manage the library, as on the date of application;

xvi. Full particulars about hostels, lodging, canteen, lavatories and playgrounds provided for the students of the college;

xvii. Residential arrangements, if any, made for the Principal and staff of the college;

xviii. Tuition fees and other fees proposed to be collected for each course, giving the details of monthly and semester wise fees;

xix. The financial condition of the college, showing the details of receipt and expenditure and the sources of income of the college;

xx. Provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance of the college;

xxi. An undertaking by the college that it shall not collect capitation fees and/or donations and do all things that are essential for the maintenance of tone and standards of University education; and

xxii. Original challan or bank draft showing the deposit of the amount of fees deposited for grant of affiliation.

xxiii. Detailed Project Report giving

1. background of the Society/ Trust with reference to its experience in promoting, managing and operating educational institutions; details of its promoters including their background; its activities in the social, charitable and educational spheres since its inception and its Vision and Mission;
2. development plan for the college with timeline, spelling out its growth plan over the first 10-year period in terms of phasing of academic programmes, increase in students' intake and introduction of postgraduate programmes/ research, and the time schedule for stage-wise development of the academic infrastructure, like recruitment of faculty, and other support facilities, including student amenities, such as hostels, sports and recreational facilities
3. architectural master plan indicating the land use pattern including those for the future;
4. policy with regard to faculty recruitment, retention and development;
5. structure of academic and administrative governance;
6. sources of financing of capital and operating expenditure, besides funds to be generated through students' fees; and
7. resource projections and their utilization schedule.

e. In exceptional circumstances, applications may be entertained for affiliation during the year in which courses are proposed to be started as an additional subject/ course subject to the condition that the same request is made not later than the 31st March of the year and with a late fee (as decided by Academic Council and Executive Council from time to time) is paid thereof.

i. Provided that when further or additional affiliation is sought, the application shall be entertained by the Registrar setting forth therein full information on the matters specified in this Ordinance so as to be received not later than the 31st March of the year in which the courses are proposed to be started.

f. All applications for recognition and concurrence of Government required shall be made to the Government by the authorized signatory of the governing body of private educational institutions in the beginning of the Academic year preceding the year in which the courses are proposed to be started.

g. In case of Government Colleges, proposals for concurrence of the Government shall be similarly made by the concerned Department/ Nodal Agency. All proposals for recognition and concurrence of Government shall be disposed of by the Administrative Department of Government by 31st December. No application for affiliation shall be entertained thereafter.

h. The University shall make a preliminary scrutiny of the application, and if found satisfactory, issue a letter of intent, within two weeks from the date of receipt of the application by the University to cause an

inspection within a period of three months for physical verification of all requirements for granting affiliation.

i. The College shall be subjected to an inspection by the University through a committee of experts nominated by the Vice Chancellor and consisting of:
    i. One Expert for each of the subject areas proposed,
    ii. Director, College Development Council/ an equivalent academician of the University,
    iii. a representative of the Higher Education Department of the Government not below the rank of Deputy Director, and
    iv. an Engineer from the PWD/CPWD or the University not below the rank of Executive Engineer.

j. One of the subject experts at the level of Professor, as nominated by the Vice Chancellor, shall be the Chairperson of the Committee.

k. The report of the inspection committee shall be submitted by the Chairperson to the University duly filled in and signed by all the members. The University shall process the report through Academic Council and decide to grant, or not to grant, temporary affiliation to the college, recording the reasons in writing for its decision within three months of inspection.

l. On the basis of the infrastructure and other facilities available at the college, the University shall decide the number of seats for each programme in the College.

m. The Executive Council of the University shall be the ultimate to decide granting or not granting the affiliation.

n. Continuation of temporary affiliation of the programs of study and the college itself shall be granted by the University on a year-to-year basis through the inspection process prescribed in this ordinance.

o. If the University decides not to grant affiliation to the college for any reason, recorded in writing for its failure to meet the conditions/requirement for getting affiliation, the college shall apply again if it fulfils the conditions/ requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

5. **Eligibility criteria for Permanent Affiliation**

a. The college shall have completed at least five years of satisfactory performance after getting temporary affiliation and attained the academic and administrative standards as prescribed by the University/UGC/SRA concerned from time to time.

b. The college shall have completed construction of buildings and all infrastructure/ facilities as stipulated in this ordinance.

c. All the teaching and non-teaching staff are appointed on permanent (appointed on regular basis, in case of a Government college) on the UGC/Government scales of pay,

d. The College shall be accredited by NAAC or any other statutory accreditation agency by State/Central Government.

e. The College shall have a duly constituted College Council as per the norms.

6. **Procedure for granting Permanent Affiliation**

a. A college which wishes to get permanent affiliation shall apply to the University any time after completing 5 (five) years of temporary affiliation in the proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University/ through online payment as instructed.

b. The procedure of according permanent affiliation shall be the same as for granting temporary affiliation given in this Regulations.

c. If the University decides not to grant permanent affiliation to the college for reasons, to be recorded in writing, of its failure to meet the conditions/ requirements for getting such affiliation, the college shall apply again if it fulfills the conditions/requirements subsequently, but not earlier than 6 (six) months from the date of rejection of its earlier application. In case of failure to get permanent affiliation, the college shall continue under temporary affiliation.

7. **Eligibility to apply for addition of new programs of study**

a. Any proposal for adding new programs shall be considered by the University only after ensuring equitable distribution of facilities for higher education, having due regard, in particular, to the needs of the unserved, underdeveloped, rural, hilly tribal and backward areas within its jurisdiction.

b. Each application for addition of a new program shall be accompanied by the prescribed fee in the form of Demand drafts drawn in favour of the Registrar of the University / through online payment as instructed.

c. The procedure to accord temporary affiliation to additional programs of study in the college shall be the same as prescribed under this ordinance for temporary affiliation.

8. **Withdrawal of affiliation**

a. The privileges conferred on a college by affiliation shall be withdrawn in part or in full, suspended or modified, if the college, on due enquiry, is found to have failed to comply with any of the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules and Regulations or any other direction or instruction of the UGC/University/SRA concerned, or failed to observe any of the conditions of affiliation, or has conducted itself in a manner prejudicial to the academic and administrative standards and interest of the University.

b. If an affiliated college ceases to function or is shifted to a different location or is transferred to a different Society, Trust, individual or a group of individuals without the prior approval of the University, the affiliation granted to the college shall lapse automatically on such shifting or transfer, as the case may be, and it shall be treated as a new college for the purposes of future affiliation. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational prospects/career of the affected students in an appropriate manner as per its decision.

c. Without prejudice to the Regulations, the UGC on its own, or on the basis of any complaint or any other information or report from any other source, shall cause an enquiry by the University in respect of a college, and after giving the college a reasonable opportunity of being heard, may pass an order under Section (12A)(4) of the UGC Act prohibiting such college from presenting any student then undergoing such specified course/program of study therein to the University for the award of the qualification/degree concerned and the affiliation of the college shall stand terminated as per Section (12A)(5) of the UGC Act.

d. If the University decides to withdraw the affiliation of the college, or the affiliation stands terminated by the order of the University/UGC, temporarily or permanently, such decision shall not affect the interests of the students of the college who were on its rolls at the time of issue of such order till they pass out the normal duration of the programs to which they are registered at that time. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected student(s) in an appropriate manner as per its decision.

e. Full deprivation of privileges

i. An affiliated college shall be deprived of whole of the privileges of the University by withdrawal of affiliation to the college if:

1. there has been evidence of adoption of en *masse* unfair means and practices and indulgence of restrictive activities in any University examination, as specified in ordinances;
2. there has been non-cooperation with the University authorities and officers in the conduct of University examination, inspections and other collaborative actions;
3. there has been gross violation of norms of admission of students; and
4. there has been evidence of collection of capitation fee or donation.

a. The Executive Council shall be the sole authority to withdraw the privileges of the University provided to the college by scrapping its affiliation, on enquiry through a committee, so appointed.

b. The college shall be given the opportunity to represent its case.

f. Part disaffiliation of colleges

i. An affiliated college shall be deprived of the privileges of the University, in part, in the following circumstances:

1. Consistently unsatisfactory performance of the students at University examinations specifically if the performance of students of a particular course is below the University average standard for three consecutive years or the percentage of pass for three consecutive years falls short of thirty percent of the number of students sent up for an examination;

2. Failure of the college to appoint teachers according to the UGC norms and workload, and
3. Inadequacy of facilities like library, laboratory, classrooms, games facilities, residential arrangements for students, etc. as specified in this ordinance.

9. **Other Rules and Regulations**

a. For providing new combination of subjects

i. Subject to the stipulation that the college concerned must satisfy the Academic Council / Executive Council with regard to the accommodation, staff and equipment, a college affiliated in more than one optional subject shall be permitted, in accordance with the provisions of the ordinance, to provide instruction in any combination of such subjects, provided a statement is made to the Academic Council / Executive Council before the end of the last term preceding the year in which it is proposed to provide such instruction.

ii. It shall be open to the college, which has applied for admission to the privileges of the University or for additional or further affiliation to apply to the Executive Council desiring to withdraw its application in which case the Executive Council shall at its discretion return any fee paid after deducting a processing fees to the maximum of 25% of the fees paid, provided that no financial commitment has been made to conduct inspection for affiliation.

b. College Returns

i. It shall be competent for the Academic Council / Executive Council to call upon every college to furnish such returns at specified intervals and other information to enquire upon the efficiency in teaching, administrative and other aspects, with an objective to maintain the requisite standards as laid down by the University/SRAs.

c. Registers and records

i. The registers and records mentioned below shall be maintained by each College in a standard form and manner, as prescribed by the University/ SRAs.

1. A register of admissions and withdrawals;
2. A register of attendance;
3. A register of permanent and local addresses of students also, of their transfer and migration;
4. A register of members of the staff showing their qualifications, previous experience, salaries, number of hours of work allotted to each together with the classes and subjects taught;
5. A register of fees showing the dates of payments;
6. All counterfoils of fee receipt books;
7. A register of scholarships and concessions of all kinds, whether tuition, boarding or lodging;
8. All counterfoil books of transfer certificates;
9. A register showing the report from time to time of medical inspections of students;
10. A register of marks obtained by each student at the college examinations;
11. Account books showing the financial transactions of the college as separate from those of the management; and
12. A general cash-book.
13. Stock Register (general and for laboratories, if any)
14. Library Documents and Registers
15. Register of Adhoc / contractual / temporary staff
16. Pay roll of the staff

d. **Withholding the grant to the college and/or delisting under Sections 2(f) and/or 12(B) of the UGC Act**: If any college included under Section 2(f) and receiving UGC Grants under Section 12(B) is found guilty of violation of the Regulations, the UGC may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grant to the college and/or delisting the said college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12(B) of the UGC Act.

10. **Removal of Difficulties:** Any doubt or dispute about the interpretation of the clause mentioned herein this ordinance shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final and binding.

Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice-Chancellor shall take such measures as may be necessary for removal of difficulties subject to ratification by the Academic Council.

11. The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the GoI/UGC/MoE/Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

Appendix – 1

1. Dimensions of the Officer Rooms

Specifications	Dimension	Other attachments
Principal's Office Rooms	30 sq.mtr.	Attached Wash room
Teachers' Common Room	40-50 sq.mtr.	Attached and separate Wash room for Male and female
Board Room	50 sq.mtr.	Attached and separate Wash room for Male and female
Office Room	30-50 sq.mtr.	Space for Records shelves, Fees Counter etc.
Library including Reading Room (separately earmarked)	300 sq.mtr.	-
Boys' Common Room	60-80 sq.mtr.	Attached Wash room
Girls' Common Room	60-80 sq.mtr.	Attached Wash room
Common Wash Room	One for every 50 students and one for 30 staff	1. Separate Wash room for Male and female students 2. Separate wash room for staff members (male & female) 3. Separate wash room for persons with benchmarked disability as per standard specification (separate for male & female)
First Aid Room	15 sq.mtr.	Attached Wash room
NSS/NCC/YRC/Sports office	20 sq.mtr.	Separate for each Office
Barrier-free environment (for persons with benchmarked disability)	In the form of ramp with support, lifts, elevators and other appropriate access for persons with benchmarked disability etc.	

2. **Dimensions of Class room:** Each lecture room/seminar room/library should provide 15 sq.ft./1.394 sq.mtr of floor area per student. Laboratory should provide 20 sq.ft./1.858 sq.mtr. of floor area per student.

Specifications	1st Year	2nd Year	3rd Year	Total Rooms
Lecturer Hall for Core subjects (all students)	01	01	01	03
Lecturer Hall for Specialised/ optional subjects (approximately @ 50 students per subject)	03	03	03	09
Lecture room (Tutorial) (approximately @ 25 students per each group)	03	03	03	09
Separate Laboratory for each subject with Practical (approximately @ 25 students per each group)	01	01	01	03
Seminar Room	For maximum seating capacity 250-300 students (200 sq.mtr.)			01
Computer Cell for administrative works	150 sq.mtr.			01
IT Laboratory	100 sq.mtr.			02
Dark Room (Physics)	20 sq.mtr.			01
Preparation Room for each subject with practical	20 sq.mtr.			-
Store rooms for each subject with practical	36 sq.mtr.			-
Museum	70 sq.mtr. (for Botany & Zoology)			-

3. For Hostels

Particulars		Space Per Head
Living Rooms:	Single Seater	8-9 Sq. M. per student
	Double Seater	7.5 to 8 Sq.M. per student
	Three-Seater	7 to 7.5 Sq. m. per student

	PG/Research scholars/ Teachers/ Other staff	not exceeding 10 Sq. M.
Common Room		@ 2 Sq. M. per user for 25% of the hostel strength, subject to maximum of 60 Sq. M.
Dining Room		@ 1 Sq. M. per user for 50% of the hostel strength, subject to maximum of 40 Sq. M.
Kitchen & Pantry		@ 0.5 Sq. M. per diner subject to maximum of 60 Sq. M.
Toilet blocks		i)Water closet @ 1 for 8 students ii) Bathroom @ 1 for 6 students iii) Urinal @1 for 8 students iv) Wash basin @1 for 8 to 10 students
Kitchen servants' room		One room of 9.60 Sq. M. with WC and bathrooms
Visitors' rooms		One room of 9.60 Sq. M.
Sick room		One room of 9.60 Sq. M.
Reading Room (2 Rooms)		Average minimum area @ 2.33 Sq. M. per Reader
Floor height		3.40 Mt.
Total built up area		2.5 times of the total living area (Circulation space may be @ 25% of the plinth area)
Boundary wall		Around the hostel, if necessary
Wardens' Room		Warden One Warden assisted by an Assistant Warden for 100 students or so. Two single rooms in the hostel for single Warden. For married Warden, not more than 115.32 Sq. M.

DR. N. T. RIKAM, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty. 571/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 21:27:47 +05'30'